प्रवासन और गतिशीलता पर
सहयोग और संवाद (चरण II)

प्री-डिपार्चर इन्फॉर्मेशन फॉर इंडियन्स गोइंग टू द यूरोपियन यूनियन

दूसरा संस्करण

International Labour Organization

ICMPD
International Centre for Migration Policy Development

Indian Council of World Affairs

© इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन 2026.
प्रथम प्रकाशन 2026.

एट्रिब्यूशन 4.0 अंतर्राष्ट्रीय (CC BY 4.0)

यह कार्य क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन 4.0 अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस के अधीन लाइसेंस प्राप्त है। creativecommons.org/licences/by/4.0 देखें । इस लाइसेंस के अनुसार उपयोगकर्ता को कार्य का पुनः उपयोग, साझा (प्रतिलिपि बनाने और पुनर्वितरण), तथा अनुकूलन (मूल कार्य का पुनः मिश्रण, रूपांतरण और मूल कार्य पर निर्माण) करने की अनुमति है। उपयोगकर्ता को सामग्री के स्रोत के रूप में आईएलओ (ILO) को स्पष्ट रूप से श्रेय देना चाहिए तथा यह भी बताना चाहिए कि मूल सामग्री में कोई परिवर्तन किया गया है या नहीं। अनुवाद, अनुकूलन या अन्य व्युत्पन्न कार्यों के संदर्भ में आईएलओ (ILO) के प्रतीक, नाम और लोगो के उपयोग की अनुमत नहीं है।
एट्रिब्यूशन – उपयोगकर्ता को यह दर्शाना होगा कि क्या कोई परिवर्तन किया गया है तथा कृति का संदर्भ निम्नानुसार देना होगा: आईएलओ (ILO), *यूरोपीय संघ में जाने वाले भारतीयों के लिए प्रस्थान पूर्व जानकारी (हिंदी संस्करण),* द्वितीय संस्करण, जेनेवा: अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, 2026। © आईएलओ (ILO).

अनुवाद – इस कार्य के अनुवाद के मामले में, निम्नलिखित अस्वीकरण को एट्रिब्यूशन के साथ जोड़ा जाना चाहिए : *यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन* आईएलओ (ILO) *के कॉपीराइट किए गए कार्य का अनुवाद है। यह अनुवाद* (ILO) *द्वारा तैयार, समीक्षित या अनुमोदित नहीं किया गया है और इसे आधिकारिक* आईएलओ (ILO) *अनुवाद नहीं माना जाना चाहिए।* आईएलओ (ILO) *अपनी सामग्री और सटीकता के लिए सभी जिम्मेदारियों को अस्वीकार करता है। जिम्मेदारी पूरी तरह से अनुवाद के लेखक (लेखकों) के पास है।*

अनुकूलन – इस कार्य के अनुकूलन के मामले में, निम्नलिखित अस्वीकरण को एट्रिब्यूशन के साथ जोड़ा जाना चाहिए: *यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के कॉपीराइट किए गए कार्य का एक अनुकूलन है। इस अनुकूलन को* आईएलओ (ILO) *द्वारा तैयार, समीक्षित या अनुमोदित नहीं किया गया है और इसे आधिकारिक ILO अनुकूलन नहीं माना जाना चाहिए।* आईएलओ (ILO) *अपनी सामग्री और सटीकता के लिए सभी जिम्मेदारियों को अस्वीकार करता है। जिम्मेदारी पूरी तरह से अनुकूलन के लेखक (लेखकों) के साथ है।*

तृतीय-पक्ष सामग्री – इस प्रकाशन में सम्मिलित गैर-आईएलओ (ILO) कॉपीराइट सामग्री पर यह क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस लागू नहीं होता है। यदि किसी सामग्री का श्रेय किसी तृतीय पक्ष को दिया गया है, तो ऐसी सामग्री का उपयोगकर्ता को अधिकारधारक से अनुमति प्राप्त करने और उल्लंघन के किसी भी दावे के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।

इस लाइसेंस के अंतर्गत उत्पन्न कोई भी विवाद, जिसे आपसी सहमति से सुलझाया नहीं जा सकता है, उसे यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ((यूएनसिट्रल)(UNCITRAL)) के मध्यस्थता नियमों के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। पार्टियां इस तरह के विवाद के अंतिम निर्णय के रूप में इस तरह की मध्यस्थता के परिणामस्वरूप प्रदान किए गए किसी भी मध्यस्थता अधिनिर्णय से बंधी होंगी।

अधिकारों और लाइसेंसिंग से संबंधित विवरण हेतु: : rights@ilo.org पर संपर्क करें। आईएलओ (ILO) प्रकाशनों और डिजिटल उत्पादों के विवरण हेतु: www.ilo.org/publns देखें।

ISBN 9789220432679 (print); 9789220432686 (web PDF)

अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध:
असमी ISBN 9789220432693 (print); 9789220432709 (web PDF)
बंगाली ISBN 9789220432655 (print); 9789220432662 (web PDF)
अंग्रेज़ी ISBN 9789220431245 (print); 9789220431252 (web PDF)
गुजराती ISBN 9789220433393 (print); 9789220433409 (web PDF)
कन्नड़ ISBN 9789220433379 (print; 9789220433386 (web PDF)
मलयालम ISBN 9789220433416 (print); 9789220433423 (web PDF)
मराठी ISBN 9789220433331 (print); 9789220433348 (web PDF)
तमिल ISBN 9789220433355 (print); 9789220433362 (web PDF)
तेलुगु ISBN: 9789220433317 (print); 9789220433324 (web PDF)

आईएलओ (ILO) के प्रकाशनों और डेटाबेस में नियोजित पदनाम, जो संयुक्त राष्ट्र की प्रथा के अनुरूप हैं, और उसमें सामग्री की प्रस्तुति का मतलब यह नहीं है कि किसी देश, क्षेत्र या प्रदेश या उसके अधिकारियों की कानूनी स्थिति के संबंध में आईएलओ (ILO) की ओर से किसी भी राय की अभिव्यक्ति हो, या इसकी सीमाओं या सीमाओं के परिसीमन के संबंध में। www.ilo.org/disclaimer देखें।

इस प्रकाशन में व्यक्त की गई राय और विचार लेखक (लेखकों) के हैं और जरूरी नहीं कि वे आईएलओ (ILO) की राय, विचारों या नीतियों को प्रतिबिंबित करें।

किसी फर्मों और वाणिज्यिक उत्पादों और प्रक्रियाओं के नामों के संदर्भ का मतलब आईएलओ (ILO) द्वारा उनका समर्थन नहीं है, और किसी विशेष फर्म, वाणिज्यिक उत्पाद या प्रक्रिया का उल्लेख करने में कोई भी विफलता अस्वीकृति का संकेत नहीं है।

भारत में मुद्रित

प्रवासन और गतिशीलता पर
सहयोग और संवाद (चरण II)

प्री-डिपार्चर इन्फॉर्मेशन फॉर इंडियन्स गोइंग टू द यूरोपियन यूनियन

दूसरा संस्करण

International Labour Organization

ICMPD
International Centre for Migration Policy Development

Indian Council of World Affairs

विषयवस्तु

प्रस्तावना v

आभारोक्ति vii

1. यूरोप का परिचय 1

1.1 यूरोपियन यूनियन, शेंगेन क्षेत्र और यूरोज़ोन 2

1.2 शेंगेन क्षेत्र में सफ़र 2

2. ईयू (EU) जाना 3

2.1 उम्मीदों को स्पष्ट करना 3

2.2 काम के लिए ईयू (EU) जाना 3

2.3 पेशेवर मीमांसा 6

2.4 बसने के लिए देश का चुनाव 7

2.5 सामाजिक और रहन– सहन से जुड़ी बातें 8

2.6 परिवार और भारत से जुड़ी बातें 9

2.7 परिवार के किसी सदस्य के पास जाना 9

2.8 ईयू (EU) में भारतीय 10

3. वीज़ा के लिए आवेदन करना और पाना 12

3.1 वीज़ा के लिए आवेदन करने का विचार कर रहे हैं 12

3.2 ईयू (EU) में वीज़ा के प्रकार 13

3.3 पेशेवर कौशल और भाषा संबंधी आवश्यकताएं 14

3.4 ईयू (EU) रोज़गार वीज़ा कार्यक्रम 15

3.5 क्या आप उच्च कुशल श्रमिक हैं? 15

3.6 क्या आप अंतर– कंपनी स्थानांतरी (आईसीटी (ICT)) हैं? 17

3.7 क्या आप एक उद्यमी हैं या स्व–रोज़गार करते हैं? 17

3.8 क्या आप मौसमी श्रमिक हैं? 18

3.9 क्या आप परिवार के सदस्यों को प्रायोजित कर रहे हैं? 19

3.10 ईयू (EU) में काम करने के लिए वीज़ा का आवेदन कब करें? 19

3.11 ईयू (EU) में वर्क (कार्य) वीज़ा के लिए आवेदन करना 20

3.12 ईयू (EU) में वर्क (कार्य) वीज़ा कितने समय के लिए वैध होता है? 21

3.13 अपने यूरोपीय यूनियन कार्य ईयू (EU) वर्क परमिट की समयसीमा बढ़ाना 22

4. ईयू (EU) में नौकरी तलाशना 24

4.1 नौकरी के लिए जानकारी जुटाते समय पूछे जाने वाले सवाल 25

4.2 नौकरी के लिए आवेदन करते समय पूछे जाने वाले सवाल 26

4.3 भर्ती एजेंट की सहायता लेना 26

4.4 नौकरी का आवेदन जमा करना 26

5. भारत से प्रवासन के नियम 30

5.1 पासपोर्ट बनवाना 30

6. अनियमित प्रवासन, तस्करी और गैर-कानूनी व्यापार 32

6.1 अवैध भर्ती के संकेत 33

6.2 प्रवासियों की तस्करी और गैर- कानूनी व्यापार 33

6.3 यदि आप ईयू (EU) में अनियमित प्रवासी हैं तो आपको किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है? 35

6.4 यदि ईयू (EU) में आपकी तस्करी की जाती है या गैर- कानूनी तरीके से आपको ले जाया जाता है तो आपको कौन से खतरे झेलने पड़ सकते हैं? 36

6.5 इन खतरों से आप कैसे बच सकते हैं? 37

7. यूरोप में रहना....39

7.1 सांस्कृतिक भिन्नताओं की तैयारी 39

7.2 यूरोप की संस्कृति 39

7.3 अपनी सेहत का ख्याल रखना 40

7.4 आवास और आवास-संबंधी खर्चे 40

7.5 भारतीय दूतावास को सूचित रखना 41

7.6 घूमना- फिरना 42

7.7 अपने पैसे का प्रबंधन 42

7.8 भारत पैसे भेजना 43

7.9 बीमा 44

7.10 खाना 44

7.11 पावर प्लग और वोल्टेज 45

7.12 मौसम 45

7.13 दवाएं 45

7.14 महत्वपूर्ण कागजातों का प्रबंधन 45

7.15 यूरोप की भाषाएं 45

7.16 प्रवासियों के अधिकार एवं उत्तरदायित्व 46

7.16.1 सामाजिक सुरक्षा 47

7.16.2 पेंशन 47

7.16.3 ट्रेड यूनियन की सदस्यता 47

8. प्रस्थान की तैयारी 48

8.1 ईयू (EU) में आगमन 49

8.2 भारत वापसी 50

अनुलग्नक 1 – महत्वपूर्ण संपर्क....51

अनुलग्नक 2 – भारत में ईयू (EU) के सदस्य देशों के मिशनों के लिंक....52

प्रस्तावना

यह दस्तावेज उन भारतीयों को ध्यान में रख कर बनाया गया है जो काम करने या परिवार के सदस्यों के साथ रहने के लिए यूरोपीय यूनियन में प्रवास कर रहे हैं। इसमें प्रवासन प्रक्रिया के अलग– अलग पहलुओं को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य प्रवासी कामगारों को यूरोपीय यूनियन में प्रवास के लिए बेहतर तरीके से तैयारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस पुस्तिका के विषयों में शामिल हैं:

- प्रवास के लिए देश चुनना
- अलग– अलग प्रकार के वीज़ा (रोज़गार, शिक्षा, परिवार से मिलना) को समझना और उन्हें कैसे प्राप्त करें, नौकरी की तलाश करना और भर्तीकर्ताओं का चयन
- गैर– कानूनी व्यापार और तस्करी के जोखिमों एवं खतरों को समझना
- ईयू (EU) में रहना और वित्तीय प्रबंधन
- भारत वापसी और पुनर्घटन के बारे में सोच रहे हैं

ईयू (EU) में अध्ययन करने जा रहे लोगों को भी यह जानकारी उपयोगी लग सकती है। इस परियोजना के तहत छात्रों के लिए विशिष्ट जानकारी भी तैयारी की गई है– इसे नीचे दिए गए लिंक में पाया जा सकता है।[1] भले ही आप ईयू (EU) के किसी भी सदस्य देश में जाना चाहते हों, यह दस्तावेज़ आपके प्रवासन का निर्णय लेने के पल से लेकर आपके प्रस्थान और उससे आगे तक यूरोपीय यूनियन में प्रवासन के बारे में जानकारी प्रदान करने में आपकी सहायता करेगा।

ध्यान दें

यह दस्तावेज दिसंबर 2025 में तैयार किया गया है। पाठकों को संबंधित ईयू (EU)/ भारतीय/ ईयू (EU) सदस्य देश की वेबसाइटें/ एजेंसियों और दूसरे प्रासंगिक स्रोतों के माध्यम से नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

1. छात्र चेकलिस्ट यहाँ उपलब्ध है - https://www.icmpd.org/file/download/47936/file/Checklist%2520for%2520Students%2520-%2520Prepare%2520 your%2520Study%2520in%2520Europe.pdf

आभारोक्ति

यूरोपीय यूनियन द्वारा वित्त पोषित ईयू (EU) - भारत सहयोग और प्रवासन एवं गतिशीलता पर संवाद (चरण II) परियोजना के हिस्से के रूप में, यह प्रकाशन मूल दस्तावेज़ का अद्यतन संस्करण है और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ (ILO)), अंतरराष्ट्रीय प्रवासन नीति विकास केंद्र (आईसीएमपीडी (ICMPD)), और भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए (ICWA)) के मार्गदर्शन और इनपुट से तैयार किया गया है।

हम यूरोपीय यूनियन– भारत सहयोग और प्रवासन एवं गतिशीलता पर संवाद (चरण I), मैनफ्रेड वर्गमैन (सलाहकार संस्करण 1) और रुहिका रामलिंगम (सलाहकार संस्करण 2) के सभी परियोजना भागीदारों की टीमों के मूल्यवान संयुक्त इनपुट को स्वीकार करते हैं।

हम उन हितधारकों की भी सराहना करते हैं जिन्होंने इस प्रकाशन के पिछले संस्करण के विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और प्रतिक्रिया का योगदान दिया, जिससे इस अद्यतन के लिए एक मजबूत नींव तैयार हुई। उनके पहले के इनपुट मूल कोष को आकार देने में सहायक थे और हमारे जारी काम को सूचित करते रहे।

01

यूरोप का परिचय

प्राचीन काल से चली आ रही संस्कृति के साथ, यूरोप पश्चिमी सभ्यता की जड़ में है। पंद्रहवीं शताब्दी के बाद से, यूरोपीय देशों ने वैश्विक मामलों में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपना प्रभाव छोड़ा है। यूरोप प्रवास का प्रमुख स्थान रहा है और लोग जीवन की गुणवत्ता, सुरक्षा, मानवाधिकार, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे कई कारणों से वहाँ रहना चाहते हैं।

यूरोप विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है लेकिन इसकी आबादी तीसरी सबसे बड़ी है। इसमें **44 देश हैं**।

यूरोपियन यूनियन (ईयू (EU)) का मानचित्र

ऑस्ट्रिया
बेल्ज़ियम
चेक गणराज्य
डेनमार्क
एस्टोनिया
फिनलैंड
फ्रांस
जर्मनी
ग्रीस
हंगरी
आइसलैंड
इटली
लातविया
लिकटेंस्टीन
लिथुआनिया
लक्ज़मबर्ग
माल्टा
नीदरलैंड्स
नॉर्वे
पोलैंड
पुर्तगाल
स्लोवाकिया
स्लोवेनिया
स्पेन
स्वीडन
स्विट्ज़रलैंड

स्रोत: https://european-union.europa.eu/easy-read_en

1.1 यूरोपीय यूनियन, शेंगेन क्षेत्र और यूरोज़ोन

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, युद्ध की संभावना को रोकने के लिए यूरोप के कुछ देश अधिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए साथ आए। समय के साथ, यह समुदाय यूरोपीय यूनियन में विकसित हुआ, जो यूरोप के 27 देशों के बीच का आर्थिक और राजनीतिक संघ है। इनमें से 25 सदस्य देश (एमएस (MS)) शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा हैं जिस पर अगले भाग में विस्तार से चर्चा की गई है।

यूरोज़ोन जिसे आधिकारिक तौर पर यूरो क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, 20 ईयू (EU) सदस्य देश का एक संघ है जिसने यूरो को अपनी प्राथमिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। इन क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और खरीद के लिए कोई दूसरी मुद्रा मान्य या उपयोग में नहीं लायी जाती है।

1.2 शेंगेन क्षेत्र में सफ़र

शेंगेन क्षेत्र यूरोप में आंतरिक सीमाओं के बिना एक क्षेत्र है, और शेंगेन वीज़ा आपको 29 शेंगेन देशों में मुक्त प्रवेश और आवाजाही की अनुमति देता है। ये हैं– ऑस्ट्रिया, बेल्ज़ियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिकटेंस्टीन, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड।

शेंगेन क्षेत्र में आने वाले 29 देशों में से 25 यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश हैं और 4 देश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए (EFTA)) का हिस्सा हैं लेकिन यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश नहीं हैं: आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और लिकटेंस्टीन। इसके अतिरिक्त, यूरोप में कुछ छोटे देश जैसे अंडोरा, मोनाको, सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी, शेंगेन क्षेत्र के साथ मुक्त और वास्तविक सीमाएं बनाए रखते हैं।

आयरलैंड और साइप्रस वे दो यूरोपीय यूनियन एमएस (MS) जो शेंगेन क्षेत्र में शामिल नहीं हुए हैं।

ध्यान दें

कृपया ईयू (EU) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, जो ईयू (EU) के सभी सदस्य देशों[2] के बारे में जानकारी प्रदान करती है। आप देश के नाम पर क्लिक करके प्रत्येक देश के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

2. ईयू (EU) की आधिकारिक वेबसाइट है https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles_en

02

▶ यूरोपीय यूनियिन जाना

2.1 उम्मीदों को स्पष्ट करना

हर साल कई लोग अलग– अलग कारणों से यूरोपीय यूनियन के देशों में जाते हैं। इन कारणों में हो सकते हैं

श्रमिक

- उच्च कुशल कर्मचारी
- अंतर– कंपनी स्थानांतरी (इंटर कॉर्पोरेट ट्रांस्फरी/ (आईसीटी (ICT))
- अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदाता
- मौसमी श्रमिक
- स्व– रोज़गार श्रमिक
- अन्य श्रमिक

- प्रवासियों के परिवार के सदस्य पहले से ही कानूनी रूप से यूरोपीय यूनियन में रह रहे हैं
- शोधकर्ता
- छात्र
- प्रशिक्षु/ शिक्षार्थी
- स्वयंसेवक

2.2 काम के लिए ईयू (EU) जाना

प्रवासन से बड़े वित्तीय लाभ हो सकते हैं लेकिन इसमें कई जोखिम और चुनौतियां भी शामिल हैं। सूचित प्रवासन निर्णय लेने में सक्षम होने के लिए, आपको प्रक्रिया संबंधित व्यावहारिक, कानूनी और प्रशासनिक

रोज़गार गतिशीलता पोर्टल

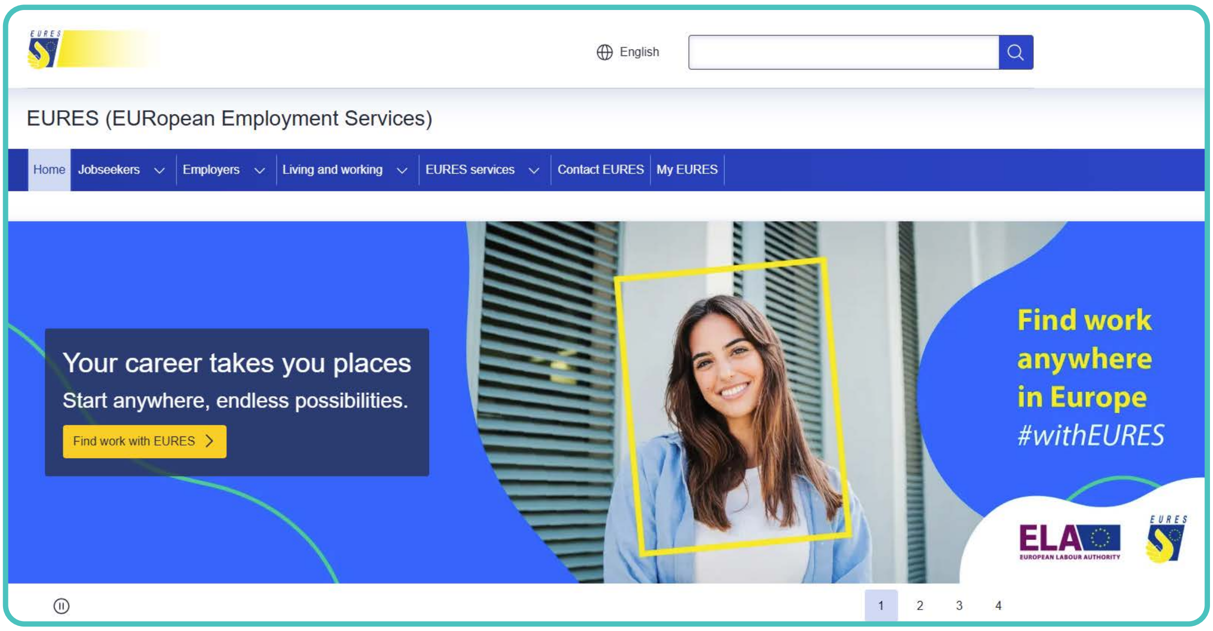

मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

ऐसी संभावित नौकरियों की तलाश करें जिनके योग्य आप हो सकते हैं

ईयू (EU) ने यूरस (EURES) जॉब मोबिलिटी पोर्टल बनाया है जो ईयू (EU) में नौकरी की संभावनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आप इस वेबसाइट पर स्थान, व्यवसाय और क्षेत्र के अनुसार नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं (https://europa.eu/यूरस (EURES)/portal/jv-se/home?lang=en). आप छोटी और लंबी अवधि के लिए देश, क्षेत्र और क्षेत्र विशिष्ट नौकरी रिक्तियों और कामगारों की कमी का भी पता लगा सकते हैं। इससे आपको अपनी नौकरी की तलाश को सीमित करने में सहायता मिल सकती है।

ध्यान दें

कृपया ध्यान दें कि यूरस (EURES) पोर्टल के माध्यम से नौकरी ढूंढ़ने से कानूनी दायित्वों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बदलाव नहीं होता है जो ईयू (EU) में जाने पर गैर- ईयू (EU) नागरिकों पर लागू हो सकते हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कई नौकरियां केवल यूरोपीय यूनियन के नागरिकों के लिए ही उपलब्ध हो सकती हैं।

अपने संभावित वेतन को समझना

हो सकता है कि आप अपनी कमाई की मज़दूरी का एक सांकेतिक विचार प्राप्त करना चाहें। ईयू (EU) यह जानकारी वेबसाइट https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Wages_and_labour_costs पर उपलब्ध कराता है।

गंतव्य देश में रहने के खर्च की समीक्षा करना

वेतन के साथ– साथ, आपको गंतव्य देश में रहने के खर्च की समीक्षा करने से भी लाभ हो सकता है। यूरस (EURES) पोर्टल ईयू (EU) के सदस्य देशों में रहने और काम करने की स्थितियों को समझने के लिए एक उपयोगकर्ता–अनुकूल मंच प्रदान करता है। इसमें आवास ढूंढ़ने, स्कूल ढूंढ़ने, कर, रहने का खर्च, स्वास्थ्य, सामाजिक कानून, योग्यता की तुलनीयता आदि के बारे में जानकारी शामिल है। यह जानकारी https://यूरस (EURES).europa.eu/living-and-working/living-and-working-conditions-europe_en पर उपलब्ध है।

यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों ईयू (EU) एमएस (MS) में रहने और काम करने की स्थितियाँ

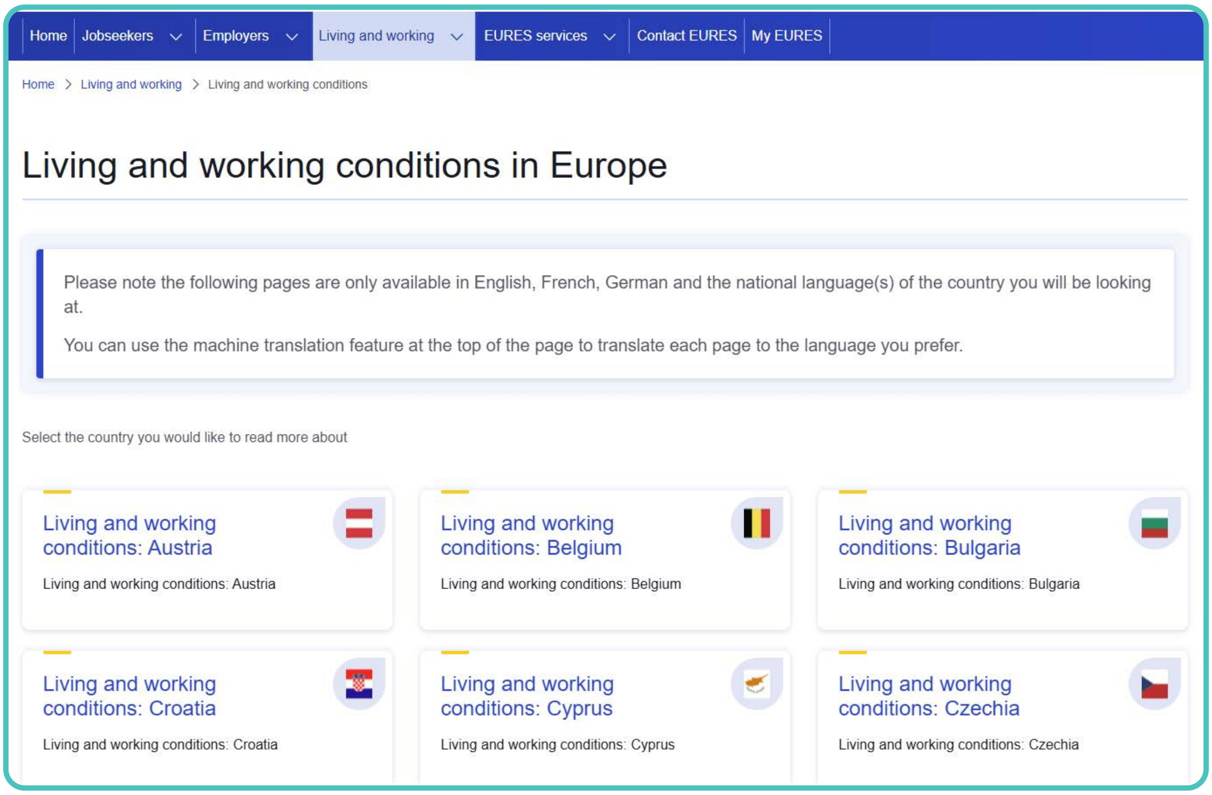

रोज़गार की गुणवत्ता की समीक्षा करना

नौकरी और काम करने के लिए देश चुनते समय, आपकी रुचि के कई संकेतक हो सकते हैं। पेज https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/information-data/quality-employment रोजगार से संबंधित सात क्षेत्रों का विस्तृत डेटा और विश्लेषण प्रदान करता है।

जीवन की गुणवत्ता की समीक्षा करना

जीवन की गुणवत्ता संकेतक जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण, आवास और रोज़गार की जानकारी शामिल हैं, https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality-of-life/information-data पर उपलब्ध है और प्रवास के लिए देश चुनते समय मददगार साबित हो सकता है।

रोज़गार संकेतकों की गुणवत्ता

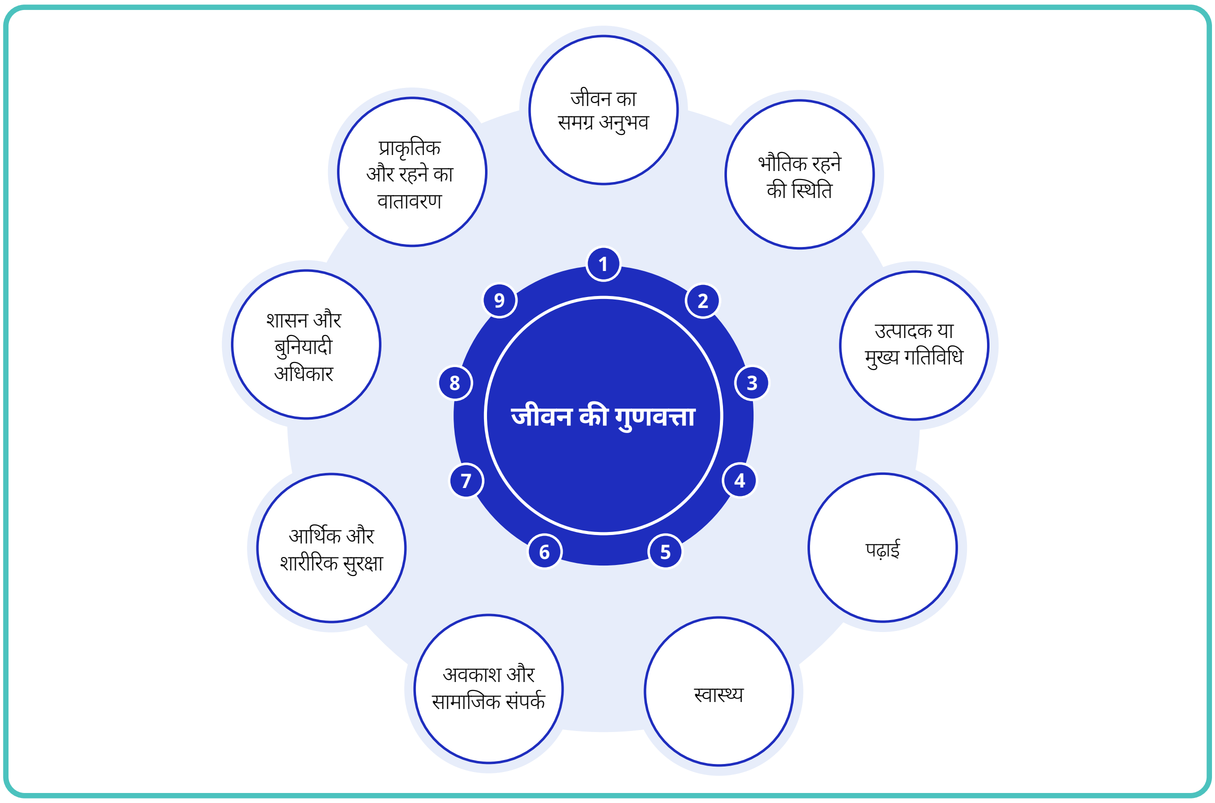

जीवन की गुणवत्ता संकेतक

> **ध्यान दें**
>
> *किसी भी संदेह को दूर करने और जितना संभव हो उतनी जानकारी जुटाने के लिए स्वयं को प्रोत्साहित करें ताकि आप एक सभ्य और पूर्ण जीवन के लिए सूचित विकल्प चुन सकें और अच्छी योजना बना सकें।*

2.3 व्यावसायिक विचार.

1. आप ईयू (EU) में क्यों काम करना चाहते हैं? क्या आप विदेशी माहौल में काम करने के लिए तैयार हैं?
2. भारत में आपके पास क्या विकल्प हैं? क्या आपने देश के दूसरे हिस्सों में नौकरी के अवसर तलाशे हैं?
3. विदेश में काम करने के क्या लाभ और जोखिम क्या हैं?

व्यावसायिक विचार

- बदलावों को नेविगेट करें?
- फ़ायदे और जोखिम?
- ईयू (EU) में मान्यता प्राप्त योग्यता?
- भारत में विकल्प?
- वित्तीय लक्ष्य?
- वीज़ा विकल्प?
- क्या आपके पास कोई बैकअप योजना है?
- ईयू (EU) में काम क्यों करें?
- प्रवासन की लागत वहन करें?

4. क्या आप ईयू (EU) में नौकरी के योग्य हैं? क्या आपकी भारतीय योग्यता और कार्य अनुभव को ईयू (EU) में मान्यता दी जाएगी?

5. क्या आप आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं और प्रवासन की लागत वहन कर सकते हैं? याद रखें कि इन लागतों में वीज़ा खर्च, भर्ती करने वालों की लागत, चिकित्सा मंजूरी और आपकी योग्यता के मूल्यांकन और मान्यता से जुड़े खर्च शामिल हो सकते हैं।

6. आपके वित्तीय लक्ष्य क्या हैं और क्या ईयू (EU) में काम करने से वे पूरे होंगे?

7. आपके वीज़ा विकल्प क्या हैं?

8. क्या आपका नियोक्ता आपको स्थानांतरण लागत और अस्थायी आवास वज़ीफे समेत नए देश में रहने के बदलावों से निपटने में सहायता करेगा?

9. आप कब तक यूरोपीय यूनियन में रहने का इरादा रखते हैं? यदि चीजें काम नहीं करतीं तो क्या आपके पास कोई बैकअप योजना है?

2.4 प्रवास के लिए देश चुनना

खुले और लचीले श्रम बाज़ार, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां, शिक्षा प्रणालियां और आप्रवासन के लिए खुलापन कुछ ऐसे प्राथमिक कारक हैं जिन पर आप प्रवास के लिए देश चुनते समय विचार करना चाह सकते हैं। इसको समझने का दूसरा तरीका यह पता लगाना है कि आपके विशिष्ट कौशल की सबसे अधिक मांग कहां है और फिर कार्य वीज़ा प्राप्त करने और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया के बारे में अपना शोध करें।

इन विवरण को बेहतर तरीके से समझने के लिए देश से जानकारी प्राप्त करना सहायक होगा। क्या यूरोप में आपका कोई व्यक्तिगत संपर्क है? क्या इनमें से कोई भी जानकारी ढूंढ़ने में वे आपकी सहायता कर सकते हैं?

यदि आप जिस देश में रहने पर विचार कर रहे हैं वहाँ रहने वाले किसी व्यक्ति तक आपकी पहुँच है, तो आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं:

1. सामान्य रूप से देश कैसा है? काम करने और रहने की स्थितियां कैसी हैं? क्या करियर में विकास के अवसर और परिवार के लिए अवसर हैं?

2. स्थानीय नौकरी बाज़ार में आपके कौशल वाले कामगारों की वर्तमान मांग क्या है?

3. यदि आपने नौकरी सुरक्षित कर ली है, तो क्या आप अपने नए कार्यस्थल पर सहकर्मियों से संपर्क कर सकते हैं? क्या उस देश में कोई प्रवासी समूह है या उस देश से भारत वापस आये प्रवासी हैं? उनके प्रवास की स्थितियों के अनुभव कैसे हैं? आप किनसे संपर्क कर सकते हैं?

4. देश में कौन– कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? व्यवसाय के लिए आधिकारिक भाषाएं क्या हैं? आगमन पर यदि आपको स्थानीय भाषा न आती हो तो क्या आप उस स्थिति को संभाल पाएंगे? भाषा सीखने पर कितना खर्च होगा?

5. घर लेना कितना मुश्किल या आसान है? शुरुआत में आपको कहाँ रहना चाहिए?

6. क्या आप अपने परिवार/आश्रितों को अपने साथ ला सकेंगे?

7. आपको सामाजिक सुरक्षा, बीमा और पेंशन कैसे मिलेगी?

8. क्या उस देश में आपके कोई मित्र या जाननेवाले हैं जो आपके देश में पहुँचने के बाद आपकी सहायता कर सकें?

9. यदि आप कुछ समय के बाद भारत वापस लौटने का विकल्प चुनते हैं तो वापस लौटने के बाद आपके पास कौन से विकल्प होंगे?

द यूरोपीय फाउंडेशन फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस (यूरोफाउंड (Eurofound)) यूरोपीय यूनियन में जीवन की गुणवत्ता और विशेष रूप से कामकाजी जीवन से संबंधित सामाजिक और कार्य– संबंधी विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर अनुसंधान, डेटा और विश्लेषण प्रदान करता है। डेटा सभी ईयू (EU) एमएस (MS) के लिए उपलब्ध है और इसे निम्नलिखित वेबसाइट पर पाया जा सकता है: https://www.eurofound.europa.eu/

यूरोफाउंड वेबसाइट

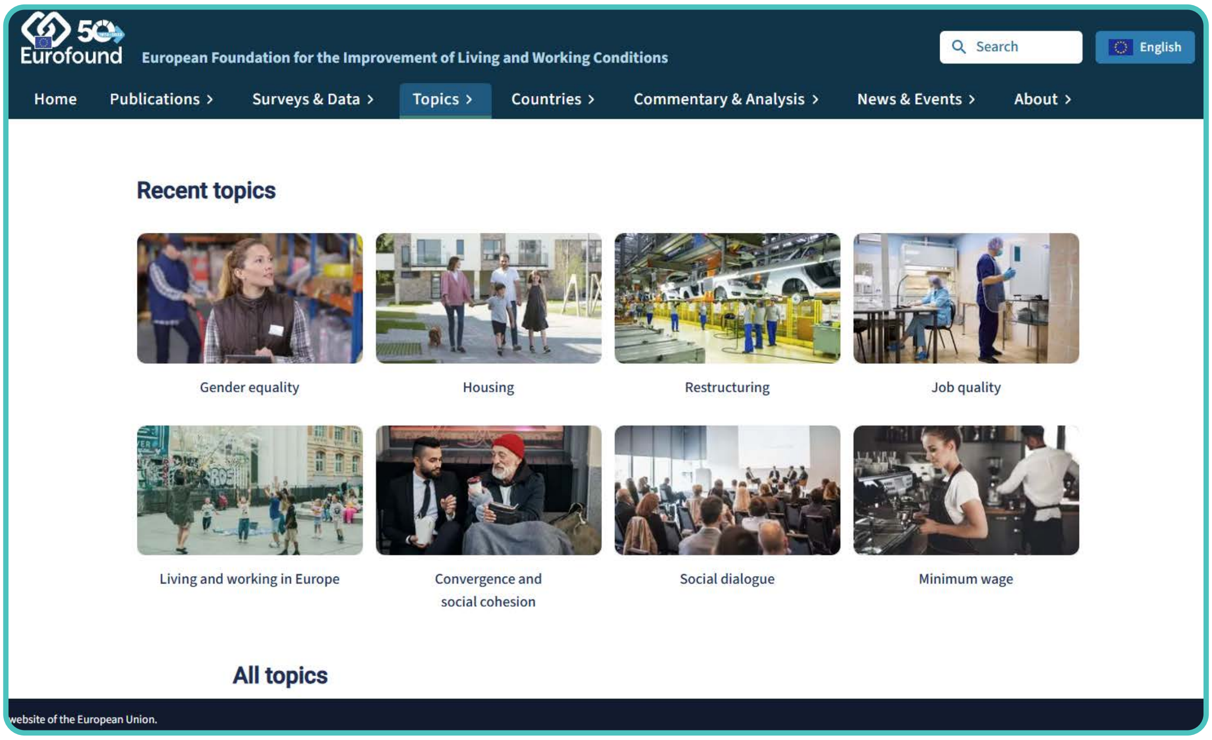

2.5 सामाजिक और रहन-सहन संबंधी बातें

नए स्थान जीवन के नए अनुभव और अप्रत्याशित मित्रताएं ला सकते हैं। हालांकि आपको अकेलेपन का अनुभव भी हो सकता है। कुछ प्रश्न जिनके बारे में आप प्रवास करने से पहले सोच सकते हैं, वे हैं:

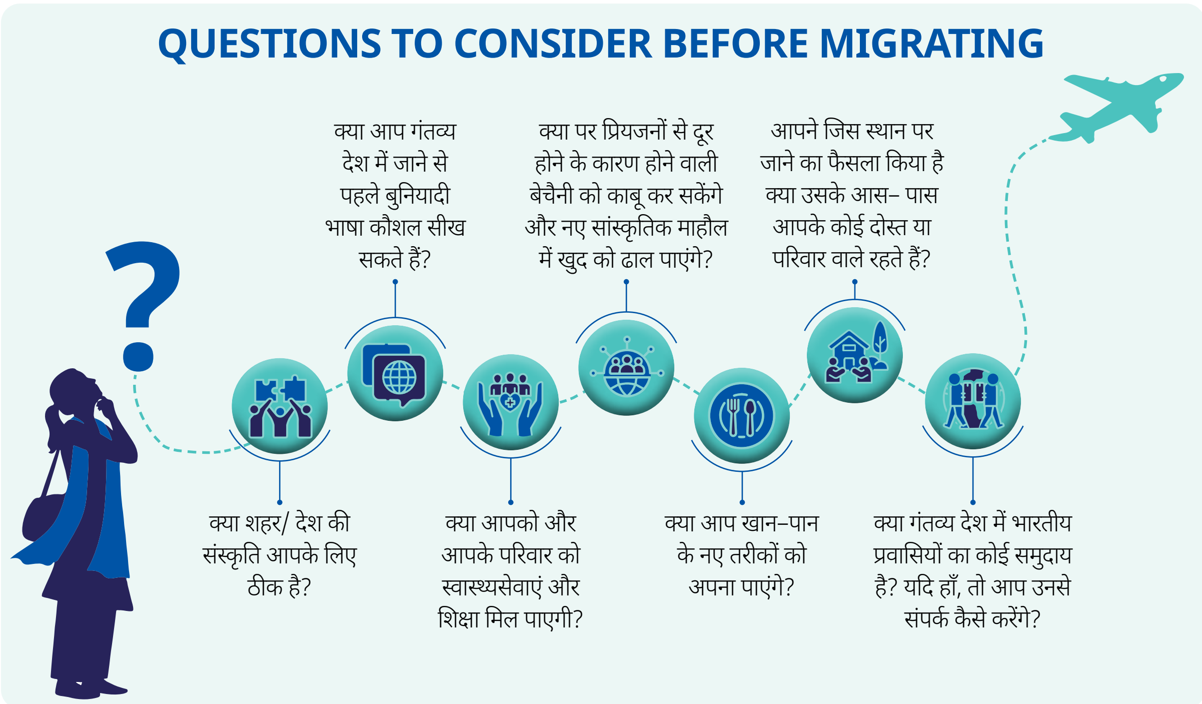

2.6 मनोसामाजिक विचार

1. आप अपने पीछे क्या और किसे छोड़ कर जा रहे हैं?
2. भारत में रहने वाले आपके परिवार के सदस्यों के प्रति आपकी क्या ज़िम्मेदारी है?
3. विदेश जाने के कारण आपके जीवनसाथी, बच्चों, माता– पिता, भाई– बहनों और परिवार के बाकी सदस्यों पर क्या असर पड़ेगा?
4. वापस लौटने पर आपको किन चीज़ों की जरूरत होगी?
5. क्या आपको अपने परिवार के लिए पैसे भेजने की ज़रूरत है? यदि हाँ, तो क्या आपको इतना वेतन मिलेगा कि बचे हुए पैसों से आप आराम से जीवनयापन कर सकें?

2.7 परिवार के सदस्य के पास जाना

यदि आप ईयू (EU) में अपने परिवार के सदस्य के पास जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें।

1. क्या आपको परिवार के सदस्य के रूप में ईयू (EU) में प्रवेश करने की पात्रता मानदंडों के बारे में पता है?
2. यदि आपको किसी एमएस (MS) के नागरिक/ निवासी ने ईयू (EU) में आमंत्रित का है तो क्या आप उनके इरादों के बारे में ठीक से जानते हैं? आप उस व्यक्ति को कितने समय से जानते हैं?

आपका प्रवेश उन पर ही निर्भर करेगा इसलिए उनके कागज़ात वैध होने चाहिए और उन्हें आपको देश में बुलाने की सभी शर्तों को पूरा करना होगा।

केस स्टडी – 1

रमिश और सारा दोनों ही आईटी प्रोफेशनल्स हैं। कई वर्षों तक ईयू (EU) में नौकरी के अवसरों को तलाशने के बाद, रमिश को आखिरकार दो अलग– अलग ईयू (EU) देशों से नौकरी के अच्छे अवसर मिले। रमिश डिजिटल फॉरेंसिक के बहुत ही विशिष्ट क्षेत्र में काम करता है और ईयू (EU) जाना चाहता है ताकि उसे अनुभव और बेहतर मौके मिल सकें।

रमिश और सारा की दो साल की एक बेटी है और एक परिवार के रूप में उनके दिमाग में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके किसी भी फैसले से सारा के करिअर पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। भारत में, उन्हें रमिश और सारा के माता– पिता का सहयोग मिलता है जो बारी– बारी बच्ची की देखभाल में सहायता करते हैं ताकि वे अपना करिअर बना सकें। ईयू (EU) में रहने के दौरान ऐसा नहीं हो पाएगा। सवालों के निम्नलिखित सेट ने रमिश और सारा को अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनने में सहायता की।

प्र. सारा को किस देश में आसानी से नौकरी मिल सकती है ?

उ. नौकरी के अवसरों की पड़ताल की और नियोक्ताओं से संपर्क कर पता किया कि क्या ये नौकरी पारिवारिक वीज़ा पर ईयू (EU) के बाहर के नागरिकों के लिए है।

उ. जॉब मार्केट के बारे में परिवार के सदस्यों और दोस्तों से पूछा।

उ. नियोक्ता से पूछा कि क्या वे पति/ पत्नी के लिए नौकरियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता कर सकते हैं।

प्र. वे अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखेंगे?

उ. देश में उपलब्ध चाइल्ड सपोर्ट सिस्टम्स के बारे में पता किया।

उ. पता लगाया कि इस प्रकार की सुविधाएं उनके दफ्तर से कितनी पास होंगी।

उ. उन्होंने ऐसे देशों में रहने के खर्च की समीक्षा की ताकि यह पता लगा सकें कि ऐसा करना उनके लिए कितना किफायती हो सकता है क्योंकि वे अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छी देखभाल चाहते थे।

उ. उन्होंने घर से काम करने या पार्ट– टाइम नौकरी करने की संभावनाओं के बारे में भी नियोक्ता से पूछा।

जारी...

प्र. रहने के लिए उन्हें जगह कैसे मिलेगी और वे कितनी आसानी से वहां तालमेल बैठा पाएंगे और सामाजिक जीवन जी पाएंगे?

उ. उन्होंने देश में आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और रोज़गार की स्थिति का पता लगाने के लिए जीवन की गुणवत्ता बताने वाले साधनों का प्रयोग किया (https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality-of-life/information-data#What's%20been%20achieved%20so%20far?)[3]

उ. उन्होंने देश में रहने के बारे में जानकारी जुटाने के लिए दोस्तों और जान–पहचान वालों से बात की।

उ. उन्होंने पाया कि वे ऐसे इलाके में रह सकते हैं जहाँ आस– पास पार्क हों, हर सप्ताह स्थानीय बाज़ार लगता हो और बच्चों के मनोरंजन की जगह हो, जहाँ वे स्थानीय लोगों से मिल सकें।

2.8 ईयू (EU) में भारतीय

दुनिया के हर देश से लोग ईयू (EU) में रहने आते हैं, और भारतीय भी इसका अपवाद नहीं हैं। पूरे ईयू (EU) में, भारतीय कई क्षेत्रों में काम करते हैं जैसे कृषि और व्यापार से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार तक।

ईयू (EU) में रहने और काम करने वाले भारतीयों की संख्या हर साल बढ़ रही है। वर्ष 2024 में, ईयू (EU) ने बताया था कि 192,445 भारतीयों, (या जारी किए गए कुल परमिट का 5.5 प्रतिशत)[4], को पहला परमिट जारी किया गया था।

जो लोग काम करने के लिए ईयू (EU) जाते हैं, उनके साथ– साथ कई भारतीय छात्र भी हैं जो वहाँ जाते हैं, उन्हें कभी– कभी पार्ट टाइम काम करने की अनुमति मिल जाती है, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय माहौल में अपना करिअर बना पाते हैं।

ईयू (EU) में भारतीय प्रवासियों की बढ़ती संख्या से ईयू (EU) में कई सांस्कृतिक और व्यापारिक अवसर बढ़े हैं, जहाँ भारत के व्यंजन, संस्कृति और साझेदारी तेज़ी से मुख्यधारा की संस्कृति का हिस्सा बन रहे हैं। आप यूरोप के अलग– अलग देशों में योग केंद्र, भारतीय रेस्त्रां, संगीत और भारतीय फिल्मों का लुत्फ उठा सकते हैं। तालिका –1 से पता चलता है कि ईयू (EU) के अलग– अलग देशों में कितने भारतीय रहते हैं।

तालिका 1: ईयू (EU) में रहने वाले कुल भारतीय

क्र. सं.	ईयू (EU) के देश	ईयू एमएस (EU MS) की कुल आबादी	देश में विदेशी प्रवासी	ईयू एमएस (EU MS) में प्रवासी भारतीयों (एनआरआई (NRI) और ओसीआई (OCI)) की आबादी (संख्या)
1	ऑस्ट्रिया	9,158,750	1,784,900	32500
2	बेल्ज़ियम	11,817,096	1,633,800	28,834
3	बुल्गारिया	6,445,481	119,100	803
4	क्रोएशिया	3,861,967	115,200	12011

3. रहने और काम करने की स्थितियों पर ईयू एमएस (EU MS) के राष्ट्रीय पोर्टल पर देखे जा सकते हैं https://eures.europa.eu/living-and-working/living-and-working-conditions-europe_en
4. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Residence_permits_-_statistics_on_first_permits_issued_during_the_year#First_residence_permits_by_citizenship_and_by_destination_in_the_EU

क्र. सं.	ईयू (EU) के देश	ईयू एमएस (EU MS) की कुल आबादी	देश में विदेशी प्रवासी	ईयू एमएस (EU MS) में प्रवासी भारतीयों (एनआरआई (NRI) और ओसीआई (OCI)) की आबादी (संख्या)
5	साइप्रस	966,365	232,000	14979
6	चेकिया	10,900,555	945,600	9498
7	डेनमार्क	5,961,249	649,900	20647
8	एस्टोनिया	1,374,687	246,500	2328
9	फिनलैंड	5,603,851	371,300	21359
10	फ्रांस	68467362	6,028,500	119000
11	जर्मनी	83,456,045	12,109,000	260864
12	ग्रीस	10,400,720	743,800	35000
13	हंगरी	9,584,627	250,700	8734
14	आयरलैंड	5,351,681	818,600	61386
15	इटली	58971230	5,253,700	206503
16	लातविया	1875316	258,000	3000
17	लिथुआनिया	2885891	136,000	4570
18	लक्ज़मबर्ग	672050	317,500	5321
19	माल्टा	563443	158,400	18250
20	नीदरलैंड्स	17942942	1,523,900	228787
21	पोलैंड	36620970	430,200	24200
22	पुर्तगाल	10639726	1,045,400	103682
23	रोमानिया	19067576	231,400	6027
24	स्लोवाकिया	5424687	63,000	3000
25	स्लोवेनिया	2123949	203,300	908
26	स्पेन	48619695	6,502,300	67592
27	स्वीडन	10551707	834,300	60000

स्रोत: https://www.mea.gov.in/population-of-overseas-indians.htm

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_population_diversity_by_citizenship_and_country_of_birth#:~:text=:%20 Eurostat%20(migr_pop4ctb)-,29.0%20million%20non%2DEU%20citizens%20living%20in%20the%20EU%20on,%25)%20and%20Cyprus%20(24.0%25).

03

वीज़ा के लिए आवदेन करना और पाना

यदि आपने आप्रवास के फायदे और नुकसान पर विचार कर लिया है और आप निश्चित रूप से ईयू (EU) जाना चाहते हैं तो आपको वैध आप्रवासन के लिए उपलब्ध अलग– अलग विकल्पों को समझना चाहिए।

एक भारतीय नागरिक के रूप में आप गैर– ईयू (EU) नागरिक की श्रेणी में आएंगे और आपकी वीज़ा श्रेणी देश में आपके अधिकार निर्धारित करेंगी।

3.1 वीज़ा आवेदन करने की सोच रहे हैं

ईयू एमएस (EU MS) में जाने के लिए, आपको वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा, वीज़ा की सभी शर्तो को पूरा करना होगा और उसे पाने की प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। वीज़ा के लिए आवेदन करते समय, आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप किस उद्देश्य से जा रहे हैं। इससे आपको अपनी वीज़ा श्रेणी निर्धारित करने में सहायता मिलेगी।

यह समझने और जानने के लिए कि आप किस श्रेणी में आते हैं, आप यूरोपीय कमिशन [5] की वेबसाइट पर जाएं , वेबसाइट पर आपको ईयू (EU) के 27 देशों में से 25 देशों, डेनमार्क[6] और आयरलैंड[7] को छोड़कर, द्वारा दिए जाने वाले कई अलग– अलग वीज़ा प्रकार के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। डेनमार्क और आयरलैंड के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया उनके देशों की वीज़ा वेबसाइट देखें।

ध्यान दें

अक्टूबर से, ईयू (EU) ने प्रवेश/ निकास प्रणाली ईईएस (EES) शुरू किया है जो एक नई सीमा प्रबंधन प्रणाली है। यह उन गैर– ईयू (EU) नागरिकों को पंजीकृत करने के लिए है जो शेंगेन क्षेत्र में कम समय के लिए (180-दिन की अवधि में 90 दिनों तक) यात्रा करते हैं, हर बार जब वे 29 यूरोपीय देशों[8] की बाहरी सीमा को पार करते हैं । ईईएस (EES) का उद्देश्य सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाना, शेंगेन नियमों के पालन को बेहतर करना और पूरी व्यवस्था की दक्षता को बढ़ाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: https://travel-europe.europa.eu/ees

ईयू (EU) आव्रजन पोर्टल वेबसाइट

आपको वेबसाइट पर उच्च कुशल कर्मचारी, व्यापारी और छात्र, स्वयंसेवी और प्रशिक्षु जैसे प्रवासी श्रेणी के लिए भी जानकारी मिल जाएगी। यदि आपको पता है कि आप किस श्रेणी में आते हैं और

5. कानूनी प्रवासन के मौकों के बारे में पूरी जानकारी यहाँ उपलब्ध है https://ec.europa.eu/immigration/general-information/what-category-do-i-fit_en.
6. https://um.dk/en/travel-and-residence/how-to-apply-for-a-residence-permit/
7. https://www.dfa.ie/irish-embassy/india/visas/applying-for-irish-visa/#EmploymentVisas
8. ऑस्ट्रिया, बेल्ज़ियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेकिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिकटेंस्टीन, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड।

आप किस एमएस (MS) में प्रवास करना चाहते हैं तो वेबसाइट एक इंटरैक्टिव मैप (संवादात्मक रूपरेखा) देती है जो आपको आसानी से सभी ज़रूरी जानकारी ढूंढ़ने में सहायता करता है[9]।

3.2 ईयू (EU) में वीज़ा के प्रकार

वीज़ा एक, दो या दो से अधिक बार प्रवेश के लिए जारी किया जा सकता है और यह निम्नलिखित प्रकार का होता है:

शेंगेन वर्क वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो लोग शेंगेन देश में काम करते हैं या लंबे समय तक रहते हैं, उन्हें रेजिडेंसी परमिट या D श्रेणी का राष्ट्रीय वीज़ा दिया जाता है।

साधारण लेकिन ज़रूरी बातें

ये कुछ बातें हैं जो सभी प्रवासियों को वीज़ा आवेदन के लिए दस्तावेज़ तैयार करते समय याद रखनी चाहिए। भारत में शेंगेन वीज़ा आवेदकों के लिए सूचना प्रपत्र इस मामले में काम आ सकती है और निम्नलिखित लिंक पर जा कर आप इस प्रपत्र को देख सकते हैं: https://visa.vfsglobal.com/ind/en/deu/common-information

हालांकि, कुछ बुनियादी सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने

ध्यान दें

18 अप्रैल 2024 को, यूरोपीय कमीशन ने भारत में अल्पावधि- प्रवास वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए नया वीज़ा "कैस्केड" व्यवस्था शुरू की है। यह व्यवस्था उन यात्रियों के लिए है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और जिनका पासपोर्ट वैध है। ऐसे यात्रियों के लिए दीर्घकालिक, दो से अधिक बार प्रवेश (मल्टीपल- एंट्री) वीज़ा पाने को आसान हो जाता है। इस व्यवस्था में, आवेदकों को बीते तीन वर्षों में कानूनी रूप से दो वीज़ा का इस्तेमाल करने के बाद दो साल का मल्टीपल- एंट्री वीज़ा दिया जा सकता है और उसके बाद पांच साल का वीज़ा दिया जा सकता है, यदि उनका पासपोर्ट वैध हो। अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें https://www.eeas.europa.eu/delegations/india/european-union-adopts-more-favourable-schengen-visa-rules-indians_en?s=167

ईयू (EU) में वीज़ा के प्रकार

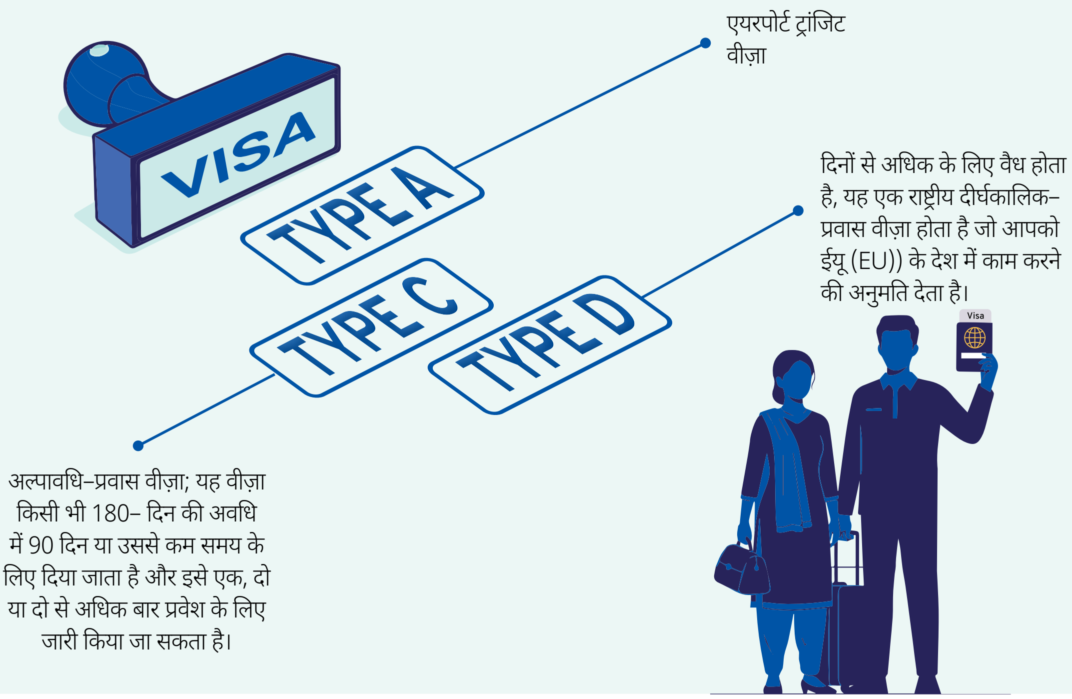

9. इंटरैक्टिव मैप यहां उपलब्ध है https://ec.europa.eu/immigration/node_en.

चाहिए, वे सवाल हैं:

- क्या आपके पास ऐसा पासपोर्ट है जो शेंगेन देश से आपकी वापसी की तिथि के बाद कम– से– कम तीन महीने के लिए वैध हो, जिसमें न्यूनतम दो खाली पृष्ठ हों और जो बीते 10 वर्षों में जारी किया गया हो?
- क्या आपके पास उचित पासपोर्ट फॉर्मेट में तस्वीरें हैं?
- क्या आपके पास वीज़ा पाने के लिए ज़रूरी वित्तीय साधनों का प्रमाण है?
- क्या आपके पास न्यूनतम 30,000 यूरो के कवरेज वाला ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस (यात्रा चिकित्सा बीमा) है?

अगर आप काम करने जा रहे हैं तो स्वयं से ये प्रश्न पूछें:

- क्या आपके पास शेंगेन वीज़ा के लिए आवेदन करने हेतु वर्क कॉन्ट्रैक्ट (कार्य अनुबंध) या स्पॉन्सर है?
- क्या गंतव्य देश पहुँचने के बाद आपके पास इतने पैसे होंगे जिनसे आप कम– से– कम तीन महीने तक जीवनयापन कर सकें?
- क्या आपके पास ईयू (EU) में मान्य स्वास्थ्य बीमा है?

3.3 पेशेवर कौशल और भाषा संबंधी आवश्यकताएं

संभव है कि आपने भारत में पढ़ाई की, योग्यता हासिल की और प्रशिक्षण लिया लेकिन क्या इन सब के बाद आप यूरोपीय यूनियन (EU) में काम करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं? ज़रूरी नहीं है! नौकरी के लिए ईयू (EU) जाने वालों को बहुत अधिक योग्य और प्रमाणित कौशल वाला होना होगा और इसलिए उन्हें निम्नलिखित मानदंडों को भी पूरा करना होगा:

- आपको यह साबित करना होगा कि आपके पास उच्च पेशेवर योग्यताएं हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी डिग्री या संबंधित पेशेवर अनुभव (यदि ऐसे अनुभव को संबंधित एमएस (MS) में योग्यता के तौर पर मान्यता दी जाती है)।
- आपको ईयू (EU) के जिस देश में काम करना है, वहाँ अपनी डिग्री/प्रशिक्षण को मान्यता दिलवानी होगी। यदि आपका पेशा विनियमित है तो आपको विशेष परीक्षा, जैसे कि स्टेट एग्जाम देने पड़ सकते हैं और/या उस पेशे को करने से पहले किसी पेशेवर निकाय में स्वयं का पंजीकरण करवाना पड़ सकता है।
- आपकी सालाना सकल आय राष्ट्रीय वेतन सीमा को पूरा करनी चाहिए और औसत राष्ट्रीय सकल वेतन के 1-1.6 गुना के बीच होनी चाहिए[10]।
- आपके पास ज़रूरी यात्रा दस्तावेज़ होने चाहिए, जिसमें आपके और आपके साथ ईयू (EU) आने वाले आपके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य बीमा भी शामिल हैं।
- आपका पेशा भी विनियमित हो सकता है और आपको प्रमाणित (सर्टिफायड) होने की ज़रूरत हो सकती है[11]। प्रत्येक एमएस (MS) के लिए विनियमित पेशे की सूची अलग होती है। यह जानने के लिए कि आपका पेशा विनियमित है या नहीं, आप इस लिंक पर जा कर विनियमित पेशे का डेटाबेस देख सकते हैं: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/reproof/index.cfm?action=regprofs

वनियिमति पेशों के डेटाबेस की वेबसाइट

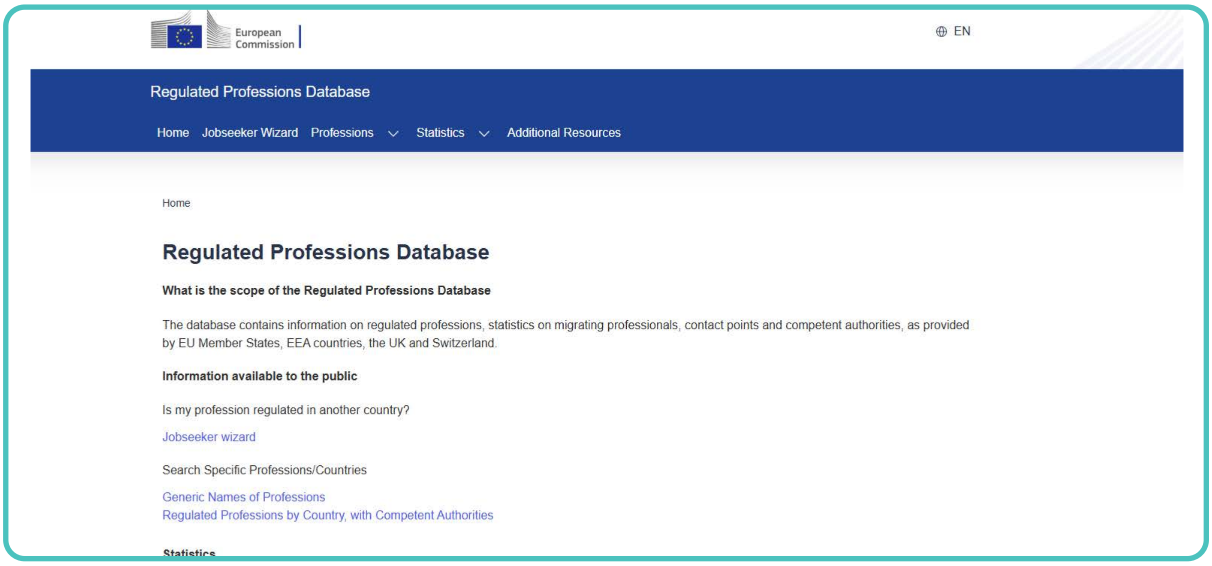

10. औसत राष्ट्रीय वेतन किसी देश में कर्मचारियों द्वारा निश्चित अवधि में अर्जित औसत आय होती है. https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-resettlement/work/eu-blue-card-attracting-highly-qualified-talent-eu_en
11. https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/home

यदि आप कुछ समय के लिए ईयू (EU) जा रहे हैं तो आपको पेशेवर योग्यता की पहचान के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि आपका पेशा स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करता हो।

मौसमी कामगारों की कसौटी अलग होगी और उन्हें बहुत अधिक कुशल होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें ज्यादातर इन क्षेत्रों में काम मिलता है: कृषि, बागवानी, निर्माण, आतिथ्य, खुदरा बाज़ार, पर्यटन और ऐसी नौकरियां जिनमें ज्यादातर शारीरिक मेहनत की ज़रूरत होती है।

जो लोग पहले से ही ईयू (EU) में रह रहे हैं और नौकरी की तलाश में हैं– जैसे कि परिवार के सदस्य– वे गैर–ईयू (EU) नागरिकों[12] के लिए ईयू (EU) कौशल प्रोफाइल टूल पर अपने कौशल को देख सकते हैं। यह ऑनलाइन टूल गैर– ईयू (EU) नागरिकों के कौशल, योग्यताओं और काम के अनुभवों को मैप करने में मदद करता है ताकि उन्हें आगे के कदमों के लिए व्यक्तिगत सलाह दी जा सके, जिसमें डिप्लोमा को मान्यता देना, कौशल सत्यापन, भावी प्रशिक्षण या रोज़गार सहायता सेवाओं के लिए रेफरल शामिल हैं।

भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को अपने कौशल को बेहतर बनाने और नए कौशल सीखने में सहायता करने के लिए देश भर में कई अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र भी बनाए हैं। इनमें से कुछ केंद्र ऐसे कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे जो आपको ईयू (EU) में योग्यता प्राप्त करने और नौकरी ढूंढ़ने में सहायता करेंगे। जानकारी और अपडेट के लिए कृपया राष्ट्रीय कौशल विकास निगम[13] की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

3.4 ईयू (EU) रोजगार वीज़ा कार्यक्रम

ईयू (EU) के प्रत्येक सदस्य देश की अपनी वीज़ा नीति होती है और यह नीति हर देश में अलग हो सकती है। ईयू (EU) में रोज़गार वीज़ा कार्यक्रम संबंधित देशों की श्रमिक आवश्यकताओं को पूरा करने और नौकरियों की कमी को दूर करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए, रोज़गार वीज़ा के नियम और शर्तें, साथ ही आवेदन प्रक्रिया, प्रत्येक देश की श्रमिक आवश्यकताओं और उन कौशलों पर निर्भर करते हैं जो आप देश के जॉब मार्केट को दे सकते हैं।

प्रवासी श्रमिक आमतौर पर पेशेवर कारणों से वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं और उनके वीज़ा की अवधि आमतौर पर उनके अनुबंध अवधि से जुड़ी होती है। वीज़ा के प्रकार और अनुबंधी की अवधि के आधार पर उनका वीज़ा अलग–अलग समय के लिए वैध हो सकता है। वीज़ा का नवीकरण हो भी सकता है और नहीं भी, और यह मल्टी–एंट्री हो सकता है या सिंगल एंट्री।

3.5 क्या आप उच्च कुशल श्रमिक हैं?

यदि आप उच्च कुशल श्रमिक हैं, तो आपके ईयू (EU) ब्लू कार्ड के लिए योग्य होने की संभावना बहुत अधिक हैं। ईयू (EU) के कुछ देश ईयू (EU) ब्लू कार्ड[14] के अलावा अधिक कुशल कामगारों के लिए दूसरे रोज़गार परमिट भी दे सकते हैं।

ईयू (EU) ब्लू कार्ड क्या है?

ईयू (EU) ब्लू कार्ड ईयू (EU) के बाहर के देश के बहुत ही योग्य व्यक्तियों को किसी भी ईयू (EU) देश में रहने और काम करने का अधिकार देता है। ईयू (EU) ब्लू कार्ड डेनमार्क और आयरलैंड में लागू नहीं होता है। यदि आप ईयू (EU) ब्लू कार्ड के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रक्रिया में मदद के लिए ईयू (EU) ब्लू कार्ड चेकलिस्ट देख सकते हैं-https://www.icmpd.org/file/download/62206/file/Final_WEB_EU-India%2520Blue%2520Card%2520Checklist_Booklet%2520A5_WEB.pdf

आपको अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता (जैसे विश्वविद्यालय की डिग्री) को दिखा कर अपनी उच्च पेशेवर योग्यता साबित करनी होगी। कुछ एमएस (MS) डिग्री के बदले न्यूनतम पांच वर्षों का संबंधित पेशेवर अनुभव भी स्वीकार कर सकते हैं।

आपको वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम किया होना चाहिए– ईयू (EU) ब्लू कार्ड स्व–रोजगार कामगारों या उद्यमियों (आंत्रप्रेन्योर) पर लागू नहीं होता है।

12. https://ec.europa.eu/migrantskills/
13. वेबसाइट यहाँ देखी जा सकती है: https://nsdcindia.org/
14. यूरोपीय यूनियन के देश विशेष में कौन से नियम लागू होते हैं इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप फुटनोट 8 में दिए गए इंटरैक्टिव मैप में अपना गंतव्य देश चुन सकते हैं।

ईयू (EU) के ब्लू कार्ड हेतु आवेदन करने के लिए मुझे कौन सी शर्तें पूरी करनी होगी?

- आपकी सालाना सकल वेतन संबंधित ईयू (EU) सदस्य देश द्वारा निर्धारित वेतन सीमा को पूरा करनी चाहिए। हाल ही में ईयू (EU) ने अधिक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए वेतन सीमा को कम किया है और सदस्य देश के आधार पर, आपकी सालाना सकल वेतन राष्ट्रीय औसत वेतन का केवल 1 से 1.6 गुना होना चाहिए।
- आपको न्यूनतम छह माह के लिए किसी ईयू (EU) देश में कार्य अनुबंध या निश्चित नौकरी का प्रस्ताव दिखाना होगा।
- आपके पास अनिवार्य यात्रा दस्तावेज़ होने चाहिए। आपके पास अपना और आपके साथ ईयू (EU) आ रहे किसी भी रिश्तेदार का स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए।

ईयू (EU) ब्लू कार्डधारी के रूप में आपके अधिकार क्या हैं?

01

आप अपने परिवार को आश्रित के रूप में ला सकते हैं।

02

आप ईयू (EU) के अलग- अलग देशों में यात्रा और काम कर सकते हैं।

03

आप कामगारों या नियोक्ताओं के प्रतिनिधि संगठनों में काम कर सकते हैं।

04

आपको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

3.6 क्या आप अंतर–कंपनी स्थानांतरी (इंटर कॉर्पोरेट ट्रांस्फरी/ ICT) हैं?

यदि आप भारत में किसी ऐसी कंपनी के लिए काम करते हैं जो आपको असाइनमेंट पर ईयू (EU) के अपने शाखा कार्यालय में भेजना चाहती है तो आप एक आईसीटी (ICT) हैं।

आईसीटी (ICT) के रूप में ईयू (EU) में प्रवेश करने के लिए आपको यह साबित करना होगा कि:

- अपने स्थानांतरण से पहले आप उसी कंपनी में 3–12 माह से काम कर रहे हों (विशिष्ट ईयू (EU) सदस्य देश की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है)।
- आपको यह प्रमाण देना होगा कि ईयू (EU) और भारत में काम कर रही कंपनी मूल कंपनी की ही शाखा है।
- आपके पास कार्य अनुबंध और आपके पद, नौकरी शुरू करने की तिथियां, वेतन और कारोबारी उद्देश्यों के लिए आपको यात्रा करने की आवश्यकता क्यों हैं, इसकी जानकारी देनी होगी।
- एक आमंत्रण पत्र जिसमें बताया गया हो कि आप ईयू (EU) में रहने के दौरान क्या करेंगे। यदि आप ईयू (EU) के देशों में सफ़र करते हैं, तो आपको अपने आवेदन में यात्राक्रम भी बताना होगा।
- आपके पास ज़रूरी पेशेवर अनुभव और योग्यता होनी चाहिए।
- आपके पास पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए।

आपसे भारत में आपके नियोक्ता द्वारा जारी कार्यपत्र (असाइनमेंट लेटर) और अनापत्ति प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है, साथ ही इस बात का प्रमाण भी देना होगा कि ईयू (EU) में आपका काम पूरा होने के बाद आपको भारत में अपनी कंपनी में वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

आईसीटी (ICT) पेशेवर के रूप में अन्य अधिकार

- आपका वेतन, आपके वर्तमान पद जैसे पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन से कम नहीं होगा।
- आप परिवार के पुनर्मिलन कानूनों के अनुसार अपने परिवार के आश्रित सदस्य को ला सकते हैं।
- आप कामगारों या नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों में शामिल हो सकते हैं या उनसे जुड़ सकते हैं।
- आप भारत[15] और ईयू (EU) के जिस देश में हैं, के बीच हुए समझौते के आधार पर सामाजिक सुरक्षा लाभ ले सकते हैं।

इस वीज़ा श्रेणी के तहत रहने की अधिकतम समय सीमा, प्रबंधक और विशेषज्ञों के लिए 3 वर्ष और प्रशिक्षु कर्मियों[16] के लिए 1 वर्ष है।

3.7 क्या आप एक उद्यमी हैं या स्व–रोज़गार करते हैं?

वर्ष 2025 तक, ईयू (EU) के 18 से अधिक सदस्य देशों में गैर–ईयू (EU) संस्थापकों के लिए विशेष स्टार्टअप या आंत्रप्रेन्योर वीज़ा योजनाएं उपलब्ध हो चुकी थीं। ईयू (EU) सदस्य देशों में गैर– ईयू (EU) नागरिकों/ स्टार्ट–अप कर्मियों को अनुमति देने के लिए विशेष वीज़ा और आवास परमिट भी हो सकता है।

किसी ईयू (EU) देश में नई कंपनी शुरू करे या अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, आपको लागू नियमों को जानना होगा और उस विशेष देश में कंपनी स्थापित करने संबंधी राष्ट्रीय संपर्क बिन्दु की जानकारी लेनी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईयू (EU) में व्यवसाय शुरू करने संबंधी ईयू (EU) की वेबपेज[17] पर जा सकते हैं और विस्तृत जानकारी हेतु अपनी पसंद के देश को चुन सकते हैं।

व्यक्तिगत या पेशेवर नेटवर्क से समर्थन पर भी विचार किया जा सकता है। कुछ मामलों में, वीज़ा या आवास आवेदन का समर्थन करने के संभावित तरीके के तौर पर, ईयू (EU) नागरिकों या स्थायी नागरिकों के साथ मिलकर कंपनी बनाने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते यह देश के व्यवसाय और आव्रजन नियमों के अनुसार हो।

उद्यमियों और स्व–रोज़गार वालों की सामान्य आवश्यकताएं

यह उद्यमियों और स्व–रोज़गार करने वालों के लिए सामान्य आवश्यकताओं की सूची है। विशेष आवश्यकताओं के लिए, कृपया संबंधि एमएस (MS) से संपर्क करें।

आप नीचे दिए लिंक पर भारत और ईयू (EU) के बीच स्टार्टअप्स के अंगीकरण और विकास को सरल बनाने संबंधी 2020 के एक अध्ययन में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: https://www.ilo.org/newdelhi/whatwedo/publications/WCMS_766953/lang--en/index.htm.

हालांकि, सुनिश्चित कर लें कि आप इस अध्ययन के प्रकाशित होने के बाद से हुए किसी भी विकास को भी देखेंगे।

15. जिन देशों के साथ भारत के चालू सामाजिक सुरक्षा समझौते हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ उपलब्ध है https://www.epfindia.gov.in/site_en/International_workers.php.
16. https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/eu-immigration-portal/what-category-do-i-fit_en
17. https://europa.eu/youreurope/business/running-business/start-ups/starting-business/index_en.htm

उद्यमियों और स्व-रोज़गार वालों की सामान्य आवश्यकताएं

- एक कारोबारी लाइसेंस
- नए और विस्तार योग्य व्यवसाय के लिए व्यवसाय योजना
- बीते छह माह का कंपनी का बैंक स्टेटमेंट
- आयकर रिटर्न
- कंपनियों से कोई भी अनुबंध या कमीशन
- आवश्यक लाइसेंस या पंजीकरण
- पूंजी का न्यूनतम स्तर
- बीमा
- जरूरी कौशल और योग्यताओं का प्रमाण
- भाषा कौशल

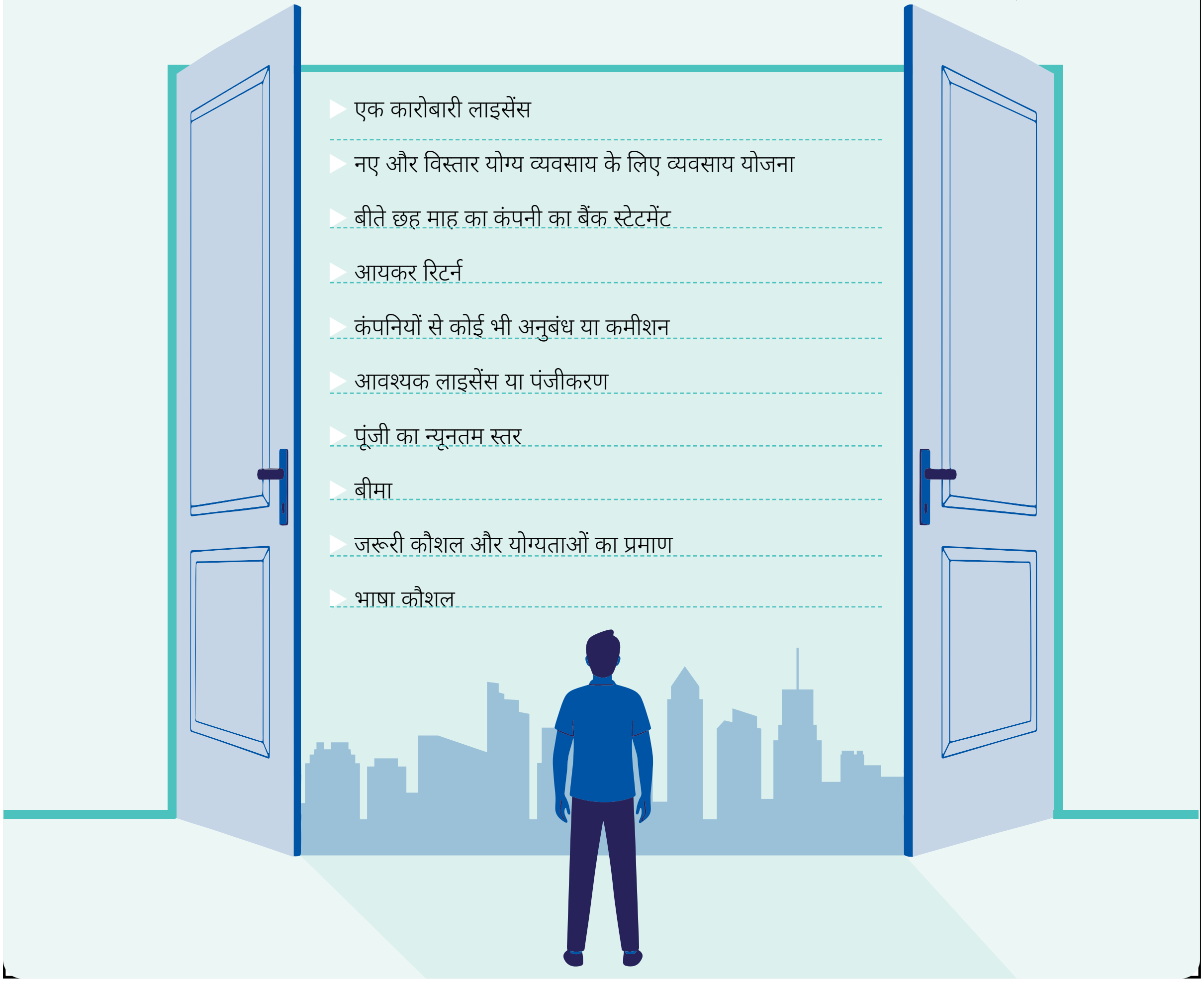

3.8 क्या आप मौसमी श्रमिक हैं?

यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जो साल के समय विशेष में ही किया जा सकता है या यदि आप किसी स्थायी कर्मचारी की जगह हॉलिडे रिप्लेसमेंट (अवकाश प्रतिस्थापन) के रूप में काम करने जा रहे हैं तो आपको मौसमी कामगार के रूप में आवास परमिट मिल सकता है।

मौसमी श्रमिक के लिए कार्य (वर्क) वीज़ा पाने की प्रक्रिया, उच्च- कुशल कामगारों की प्रक्रिया के जैसी ही है। वीज़ा कार्य अनुबंध अवधि के लिए वैध होते हैं और कभी भी नौ 9 महीने[18] से अधिक के नहीं हो सकते।

आपको पता होना चाहिए कि ईयू (EU) में आमतौर पर कम समय के लिए दिए जाने वाले मौसमी रोज़गार आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं हो सकते हैं क्योंकि इससे आप्रवासन का खर्च उठाने और अच्छी बचत या घर पैसे भेजने के लिए पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती है। इसलिए, मौसमी रोज़गार के बारे में कोई भी फैसला बहुत सोच-समझकर लेना चाहिए।

मौसमी श्रमिक वीज़ा प्राप्त करने के लिए, आपको दिखाना होगा कि:

- आपके पास रोजगार अनुबंध है।
- नियोक्ता ने आपकी तरफ से वीज़ा आवेदन किया है।
- आपके पास गंतव्य देश में रहने की उचित जगह है।
- आपके यात्रा खर्च का भुगतान किया जा रहा है।
- काम पूरा हो जाने के बाद आप अपने देश वापस आ जाएंगे। कुछ मामलों में, आपको दूसरा कानूनी कार्य अनुबंध भी मिल सकता है, जिससे आप अपना वीजा और रहने के परमिट का नवीनीकरण करवाने के पात्र हो जाएंगे।

आपको पता होना चाहिए कि ईयू (EU) में आमतौर पर कम समय के लिए दिए जाने वाले मौसमी रोज़गार आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं हो सकते हैं क्योंकि इससे आप्रवासन का खर्च उठाने और अच्छी बचत या घर पैसे भेजने के लिए पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती है। इसलिए

18. https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/eu-immigration-portal/what-category-do-i-fit_en

मौसमी रोजगार के बारे में कोई भी निर्णय बहुत सोच– समझकर लेना चाहिए।

3.9 क्या आप परिवार के सदस्यों को प्रायोजित (स्पॉन्सर) कर रहे हैं?

ईयू (EU) देश में रहने वाला कानूनी निवासी अपने परिवार के सदस्यों को फैमिली रीयूनियन (परिवार पुनर्मिलन) के तहत ईयू एमएस (EU MS) में आने के लिए प्रायोजित (स्पॉन्सर) कर सकता है, जब तक उसका अपना वीज़ा वैध है।

आप परिवार के जिन सदस्यों को अपने साथ ला सकते हैं, वे हैं[19]:

- आपके पंजीकृत जीवनसाथी (पति या पत्नी)।
- आपका अविवाहित पार्टनर।
- आपके या आपके जीवनसाथी के माता– पिता जो आप पर आश्रित हैं और जिन्हें अपने देश में परिवार के दूसरे सदस्यों का सहारा नहीं मिलता।
- आपके व्यस्क, अविवाहित बच्चे या आपके जीवनसाथी के बच्चे, जो स्वास्थ्य कारणों से अपना ख्याल नहीं रख सकते।

आश्रितों को अपने साथ लाने के लिए आपको साबित करना होगा:

- आपके पास रहने की पर्याप्त व्यवस्था है।
- आपके पास अपने आश्रितों के कवर वाला स्वास्थ्य बीमा है।
- आपकी आमदनी पर्याप्त, नियमित और स्थिर है।
- आपको और आपके परिवार के सदस्यों को गंतव्य देश के बारे में भाषा या दूसरी ज्ञान परीक्षाएं भी पास करनी पड़ सकती हैं। इनमें मौखिक या लिखित परीक्षा शामिल हो सकती है, और हर देश के नियम अलग– अलग होते हैं।

यदि कोई आश्रित बच्चा ईयू (EU) में अकेले आ रहा है तो निम्नलिखित दस्तावेज़ दिखाना जरूरी होंगे:

- जन्म प्रमाणपत्र।
- माता– पिता दोनों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन फॉर्म।
- यदि एक अभिभावक के पास पूरी कस्टडी है तो परिवार न्यायालय का आदेशपत्र।
- माता– पिता, दोनों के व्यक्तिगत दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियां।
- यदि नाबालिग अकेले यात्रा कर रहा है तो माता–पिता से अनुमति लेना अनिवार्य है।

3.10 ईयू (EU) में काम करने के लिए वीज़ा आवेदन कब करें?

आप ईयू (EU) के जिस देश में काम करने की योजना बना रहे हैं, वहाँ की यात्रा से कम– से– कम दो माह पहले वीज़ा आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए (यात्रा तिथि से छह माह पहले तक वीज़ा आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं)। कभी– कभी इस प्रक्रिया को पूरा होने में 12 सप्ताह का समय लग सकता है। आपको आमतौर पर एक रोजगार अनुबंध मिलेगा जिससे आपको अपने काम के उद्देश्य के लिए वैध वीज़ा मिल सकता है। यह वीज़ा आपको उस ईयू एमएस (EU MS) में जाने देगा जहाँ आपको काम करने के लिए भेजा गया है और जहाँ आपको आवास परमिट (या रहने की अनुमति) मिलेगी।

अगर आपके पास किसी गैर– शेंगेन देश (आयरलैंड या साइप्रस) का रोजगार अनुबंध है तो ज़रूरी वीज़ा का प्रकार शेंगेन देशों द्वारा जारी किए जाने वाले मानक वीज़ा से अलग होगा और आपको उस विशेष देश से अतिरिक्त जानकारी लेनी होगी।

19. यूरोपीय यूनियन के देश विशेष में आपके साथ परिवार का कौन सा सदस्य आ सकता या सकते हैं और आपको किन विशेष नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, इसकी पूरी जानकारी इस लिंक पर मौजूद इंटरैक्टिव मैप में उपलब्ध है https://ec.europa.eu/immigration/ node_en.

3.11 ईयू (EU) में कार्य वीज़ा के लिए आवेदन करना

कार्य वीज़ा प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित चरणों का पालन करें ईयू (EU) में कार्य वीज़ा प्राप्त करने के चरण)

- **चरण 1:** आप जिस ईयू एमएस (EU MS) में काम करना चाहते हैं, वहाँ उपलब्ध अलग– अलग रोज़गार वीज़ा विकल्पों की जांच करें।
- **चरण 2:** वर्क वीज़ा के लिए ज़रूरी शर्तें पूरी करें; इसमें अन्य बातों के अलावा, बीमा का प्रमाण, पेशेवर प्रमाणपत्र या भाषा की जानकारी शामिल हो सकती है।
- **चरण 3:** वीज़ा के लिए आवेदन करते समय ज़रूरी दस्तावेजों के लिए विशेष सदस्य देश के दूतावास की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी देखें। अपने सभी दस्तावेज़ों और वीज़ा फीस के साथ दूतावास या निर्धारित केंद्र पर वीज़ा के लिए आवेदन करें। ज्यादातर मामलों में, वीज़ा के लिए आवेदन करने से पहले आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत पड़ेगी; साक्षात्कार के लिए समयादेश (अप्वाइंटमेंट) निर्धारित करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास जॉब ऑफर हो।
- **चरण 4**: सभी ज़रूरी दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार में जाएं।
- **चरण 5:** दूतावास से जवाब आने का इंतज़ार करें।

कृपया ध्यान रखें कि ये केवल बुनियादी ज़रूरतें हैं जो आपको कार्य (वर्क) वीज़ा प्राप्त करने के लिए पूरी करनी होंगी। प्रत्येक ईयू (EU) सदस्य देश की अपनी विशेष जरूरतें भी होती हैं जिनके बारे में आपको बहुत ही ध्यान से शोध करना होगा[20]।

ईयू (EU) आप्रवासन पोर्टल

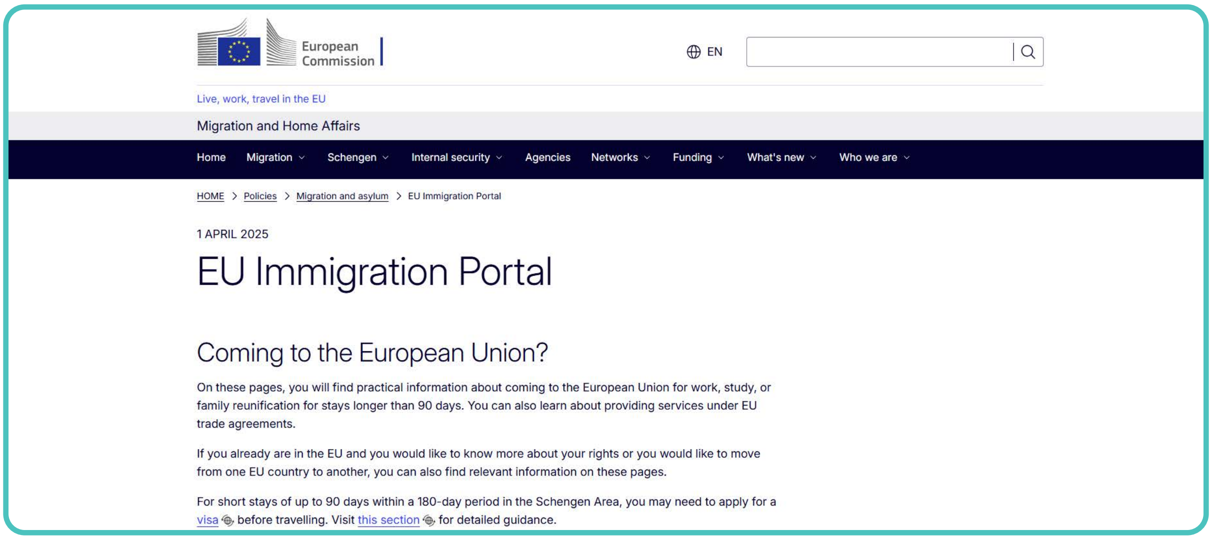

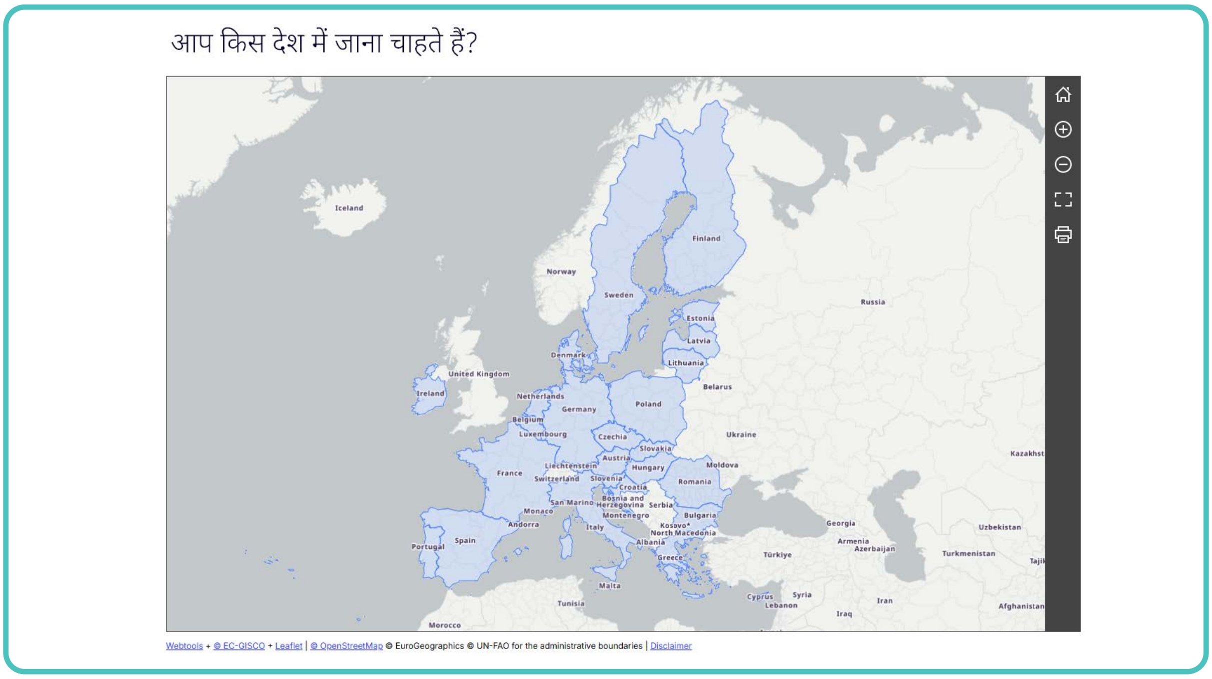

तालिका 2: ईयू (EU) की यात्रा के लिए ज़रूरी दस्तावेज और तैयारी के चरण

चरण	आवश्यक दस्तावेज	दस्तावेज के लिए कहाँ आवेदन करें?
आवेदन– पूर्व	पासपोर्ट	पासपोर्ट कार्यालय
	योग्यताओं और अनुभव का विधिवत अनुवादित और प्रमाणित प्रमाणपत्र	शैक्षणिक संस्थान, नियोक्ता
प्रस्थान से पहले	ईयू (EU) में रोजगार अनुबंध	नियोक्ता, भर्ती एजेंसी
	एमएस (MS) का राष्ट्रीय वीज़ा	ईयू एमएस (EU MS) यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास सेवाएं
	वापसी की टिकट, होटल बुकिंग	विभिन्न सरकारी और निजी सेवा प्रदाता
आने के बाद	आवास परमिट, रुकने का परमिट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और कल्याण प्रणाली के लिए पंजीकरण	स्थानीय अधिकारी (नगर परिषद, स्थानीय स्वच्छता इकाईयां, स्थानीय कल्याण और पुलिस कार्यालय, आदि)

ज्यादा जानकारी के लिए आपको लक्षित ईयू (EU) सदस्य देश के दूतावास की वेबसाइट भी देखनी चाहिए[20]।

ऐसा हो सकता है कि आपको अपना आवेदन पत्र दूतावास में व्यक्तिगत रूप से जमा न करना पड़े और आपको लिखित मुख्तारनामे (पावर ऑफ अटॉर्नी), जिस पर तिथि और आपका हस्ताक्षर हो, के माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी तरफ से आवेदन जमा करने को अधिकृत करना पड़े। हालाँकि, साक्षात्कार के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा।

ध्यान रखें कि यह ईयू (EU) में रोजगार वीज़ा के लिए आवेदन करने का मानक तरीका है। वीज़ा की सटीक प्रक्रिया अलग– अलग सदस्य देशों में अलग– अलग हो सकती है।

3.12 ईयू (EU) में कार्य (वर्क) वीज़ा कितने समय के लिए वैध होता है?

जैसा कि पहले बताया गया है, ईयू (EU) के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक– प्रवास वीज़ा के विकल्प उपलब्ध हैं।

अल्पकालिक– प्रवास वीज़ा, जिसे टाइप C वीज़ा कहा जाता है (जो कार्य/ वर्क वीज़ा नहीं है), धारक को 180 दिनों की अवधि के लिए जारी किया जाता है लेकिन इस समय अवधि में वह शेंगेन क्षेत्र में 90 दिनों से अधिक समय तक नहीं रह सकता। यह वीज़ा निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है:

सिंगल इंट्री वीज़ा: यह वीज़ा धारक को उसके पासपोर्ट के वीज़ा स्टिकर पर बताए गए समयसीमा में शेंगेन क्षेत्र में केवल एक बार प्रवेश की अनुमति देता है।

डबल इंट्री वीज़ा: यह वीज़ा ज्यादातर सिंगल– इंट्री वीज़ा के जैसे ही काम करता है लेकिन यह धारक को शेंगेन क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से वहाँ वापस जाने की अनुमति देता है।

शेंगेन वीज़ा की नमूना प्रति

मल्टीपल इंट्री वीज़ा: यह वीज़ा अपने धारक को शेंगेन क्षेत्र में जितनी बार चाहे उतनी बार आने– जाने की अनुमति देता है बशर्ते वह 180-दिनों की अवधि में वह 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए शेंगेन क्षेत्र में न रहे।

20. अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस वेबसाइट पर जाएँ: https://ec.europa.eu/immigration/node_en

यदि आप ईयू (EU) में 90 दिनों से अधिक समय तक रहना चहाते हैं और आपके पास आवास परमिट न हो तो आपको शेंगेन देश में रहने के लिए राष्ट्रीय दीर्घकालिक वीज़ा (नेशनल लॉन्ग–स्टे वीज़ा) या टाइप D वीज़ा, की जरूरत होगी। यह वीज़ा आमतौर से उन लोगों को दिया जाता है जो शेंगेन देश में पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी करते हैं या स्थायी रूप से रह रहे हैं।

आपके वीज़ा की वैधता, साथ ही कुछ दूसरे विवरण, आपके पासपोर्ट पर लगे वीज़ा स्टिकर पर लिखी होंगी[21]।

राष्ट्रीय वीज़ा (आवास परमिट) भी सिंगल–एंट्री या मल्टीपल–एंट्री वीज़ा हो सकता है।

- सिंगल एंट्री वीज़ा उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्हें गंतव्य देशों में एक निश्चित समय के लिए और एक ही उद्देश्य से रहना होता है, जिसके बाद वे अपने देश लौट जाएंगे।
- मल्टीपल–एंट्री नेशनल वीज़ा धारक को अपने देश में आने–जाने और बिना किसी अतिरिक्त वीज़ा आवश्यकताओं को पूरा किए शेंगेन क्षेत्र में यात्रा करने की अनुमति देता है।

3.13 अपने ईयू (EU) वर्क परमिट का समय–विस्तार करना

ईयू (EU) के ज्यादातर देशों में यदि आपको वर्तमान कार्य– अनुबंध में विस्तार (एक्सटेंशन) मिलता है या आपको नई नौकरी का अनुबंध प्राप्त होता है तो आप अपना ईयू (EU) वर्क परमिट की समय–सीमा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए एक आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें आपको अपने वीज़ा या आवास परमिट की समयावधि समाप्त होने से पहले, ईयू एमएस (EU MS) (जिस देश में आप रहते हैं) के संबंधित अधिकारियों के पास जमा करना होगा। वीज़ा के समयावधि को बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रक्रियाओं के बारे में ट्रेड यूनियनों और प्रवासी संगठनों से सलाह लेना भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है।

ध्यान दें

यदि आप वीज़ा में निर्धारित समय से अधिक समय तक रुक जाते हैं या सही तरीकों का पालन नहीं करते हैं तो आपको एक अनियमित प्रवासी माना जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, नौकरी में आपके शोषण का गंभीर खतरा हो सकता है और आप खुद को बहुत ज्यादा अकेला और गरीबी की स्थिति में पा सकते हैं। एक अनियमित प्रवासी होने के नाते, आखिरकार आपको भारत वापस भेज दिया जाएगा।

21. https://schengenvisainfo.com/sticker/

केस स्टडी- 2

अमर ईयू (EU) के एक सदस्य देश में नौ महीने के लिए वैध मौसमी कार्य परमिट पर एक खेत मजदूर के रूप में आया था। इस समय के बाद, उसे कुछ दोस्तों के जरिए दूसरे खेत में नौकरी मिल गई और उसने भारत न लौटने का फैसला किया क्योंकि उसने एजेंट को भर्ती, वीज़ा और यात्रा के लिए पैसे देने के लिए कर्ज लिया था। नौ महीने काम करने के बाद भी वह कर्ज नहीं चुका पाया था। उसका नया मालिक उसके पेपरवर्क में देरी करता रहा और दो साल के बाद भी, अमर के पास न तो कोई अनुबंध था और न ही उसका वीज़ा आधिकारिक रूप से बढ़ाया गया था। नतीज़तन, वह एक अनियमित प्रवासी बन गया। मालिक उसे वादे से कम पैसे देता था और धीरे– धीरे उससे कई और काम भी करवाने लगा था।

हालांकि अमर दोस्तों के साथ रहता था जो रहने का खर्च मिल कर उठाते थे, लेकिन समय के साथ चूँकि वह पूरा किराया देने में असमर्थ था, दोस्तों ने उससे घर में ज्यादा काम करवाना शुरू कर दिया। अमर का घर पैसे भेजना भी मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि उसकी कमाई पहले जैसी नहीं रही थी। लंबे समय तक काम करने की वजह से उसकी सेहत भी खराब होने लगी और उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने की हिम्मत नहीं की। उसे जेल जाने और देश से निकाले जाने का डर था, इसलिए उसने कभी किसी अधिकारी से संपर्क नहीं किया। वीज़ा समाप्त हो जाने के कारण इस नौकरी को छोड़ना विकल्प नहीं था। उसे कोई दूसरा नियमित अनुबंध भी नहीं मिलता।

अब अमर क्या कर सकता है? नीचे उसके लिए कुछ विकल्प दिए जा रहे हैं।

- सलाह और सहायता के लिए सामाजिक सेवा से संपर्क करे।
- अपने नियोक्ता से अनुबंध प्राप्त करने के लिए किसी वकील की सहायता ले ताकि उसके पास कानूनी रूप से काम करने और रहने के लिए कागज़ात हों।
- वह जिस देश में रह रहा है, वहां के भारतीय दूतावास से संपर्क करे और स्वेच्छा से भारत लौट जाने का विकल्प चुने।

सुनिश्चित करें कि आपका वीज़ा और आवास परमिट समय रहते नवीनीकृत हो जाएं, विशेषरूप से आपके वीज़ा या रोज़गार अनुबंध समाप्त होने से पहले। यदि आप अपने रोजगार अनुबंध के दौरान छोटी छुट्टी लेकर भारत आ रहे हैं तो सुनिश्चित कर लें कि आपके काम वाले देश में लौटने से पहले आपकी वीज़ा की वैधता खत्म न हो जाए।

04

ईयू (EU) में नौकरी तलाशना

ईयू (EU) के नियोक्ता नौकरी की रिक्तियां पोस्ट करने के लिए अलग– अलग सेवाओं और संचार साधनों का प्रयोग करते हैं। वे सीधे अपनी कंपनी की वेबसाइट पर रिक्तियां पोस्ट कर सकते हैं या सरकारी रोजगार सेवा, निजी रोजगार एजेंसी एवं भर्ती एजेंसी, विशेषज्ञ वेबसाइटों एवं प्रकाशन, यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट सेल आदि अलग– अलग माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं।

ईयू (EU) में उपलब्ध नौकरियों की जानकारी, नौकरी के लिए आवेदन करने के टिप्स और ईयू (EU) के सभी देशों में रहने और काम करने की स्थितियों के बारे में जानकारी यूरस (EURES), यूरोपीय जॉब मोबिलिटी पोर्टल[22] पर मिल सकती है । आप किसी विशेष एमएस (MS) की राष्ट्रीय रोजगार एजेंसी, अस्थायी रोजगार एजेंसियों या भर्ती एजेंसियों में भी नौकरी तलाश सकते हैं। यूरस (EURES) पोर्टल पर आप एक देश चुन सकते हैं और खाली जगहों को देखने के लिए लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस खंड में 'नौकरी तलाशना/ Finding a job' पर क्लिक कर सकते हैं। आप क्षेत्र और पेशे के हिसाब से नौकरी तलाश सकते हैं[23]।

यूरस (EURES) जॉब मोबिलिटी पोर्टल

22. जॉब मोबिलिटी पोर्टल: https://europa.eu/eures/portal/jv-se/home?lang=en
23. रहने और काम करने की स्थितियों के लिए लिंक - https://eures.europa.eu/living-and-working/living-and-working-conditions-europe_en

4.1 नौकरी के लिए जानकारी जुटाते समय पूछने लायक प्रश्न

हर उस रिक्त पद के लिए जिसे आपने पहचाना है, ये बातें समझें:

- क्या यह गैर–ईयू (EU) नागरिकों के लिए है?
- भर्ती प्रक्रिया क्या है?
- इस नौकरी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
- अनुबंध कितने समय का है? क्या आप इस समय– सीमा में अपने वित्तीय और व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे?
- योग्यता संबंधी आवश्यकताएं क्या हैं?
- ज़रूरी भाषा कौशल क्या हैं?
- क्या यह नौकरी आपको कुशल बनाएगी और पहले अनुबंध के बाद भविष्य में नौकरियां पाने में सहायता करेगी?

यदि गंतव्य देश में आपके परिवार का कोई सदस्य है, दोस्त या जान–पहचान वाला है, तो वे श्रम बाज़ार में नौकरी पाने के बारे में जानकारी जुटाने में बहुत उपयोगी साधन हो सकते हैं। जैसे, आप अपने उन

ध्यान दें

आपको सलाह दी जाती है कि आप संभावित नियोक्ता की पड़ताल ध्यान से करें क्योंकि रहने और काम की अनुमति सीधे नियोक्ता के वैधानिक स्थिति और राष्ट्रीय नियमों के पालन पर निर्भर करती है। हालांकि सत्यापन आमतौर पर राष्ट्रीय व्यवसाय, श्रम और कर अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है लेकिन आप यूरस (EURES) जैसी सत्यापित सरकारी रोज़गार सेवाओं के जरिए नौकरी ढूंढ़कर जोखिम कम कर सकते हैं, जहाँ केवल सत्यापित नियोक्ताओं की ही नौकरी की रिक्तियों को डाला जाता है।

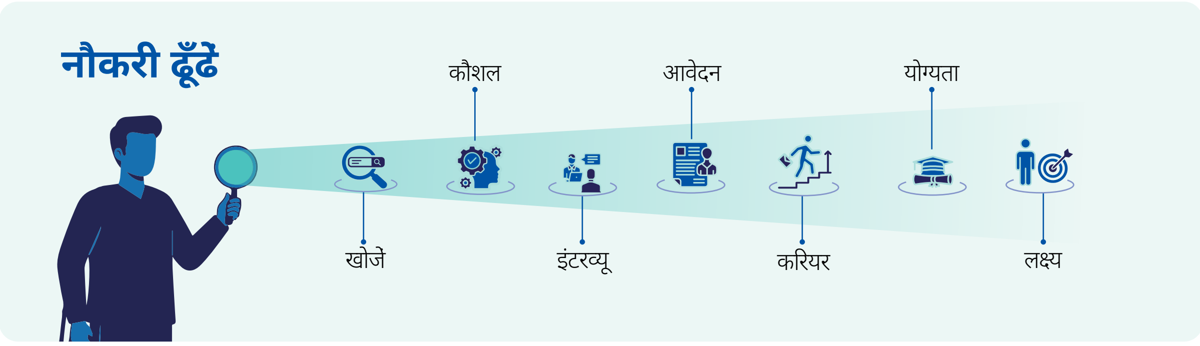

दोस्तों से, जिनकी विश्वविद्यालय की डिग्री आपके जैसी ही है, से जानकारी ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि उस देश में उन्होंने नौकरी कैसी ढूंढ़ी थी?

4.2 नौकरी के लिए आवेदन करते समय पूछे जाने वाले सवाल

- क्या आपके पास सभी ज़रूरी दस्तावेज़ हैं? इन दस्तावेज़ों में पासपोर्ट, आपकी शैक्षणिक योग्यता की प्रमाणित प्रतियां, आपके पिछले नियोक्ता से रेफरेंस, नौकरी के लिए कवर लेटर (व्याख्या पत्र), अंग्रेजी भाषा में एक नवीनतम सीवी, और यदि आवश्यकता हो तो, जिस देश में आप जा रहे हैं, उसकी राष्ट्र भाषा में दस्तावेज़ हों।
- क्या आपके सभी दस्तावेज़ों का अनुवाद किसी प्रमाणित अनुवादक ने किए हैं (यदि ज़रूरी हो)?
- क्या आपके पास अपने सभी प्रमाणपत्रों की प्रमाणित प्रतियां और उनका अनुवाद है (यदि मांगा गया हो)?
- क्या आपने अपने आवेदन की डिजिटल फाइलें बनाई हैं?

एक बार जब आप अपने दस्तावेज़ों को इकट्ठा कर लें और अपना आवेदन पत्र तैयार कर लें, तो रिक्ति के आधार पर, आप ऑनलाइन या डाक द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपने जिस भी तरीके से आवेदन दिया हो, हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप अपने आवेदन को ट्रैक कर पा रहे हों।

4.3 भर्ती एजेंट की सहायता लेना

ईयू (EU) में नौकरी तलाशने में सहायता के लिए आप किसी पंजीकृत एजेंसी के पास भी जा सकते हैं। किसी एजेंसी के साथ जुड़ने से पहले कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए।

- जांच लें कि भर्ती एजेंट भारत सरकार के साथ eMigrate पोर्टल, जिसमें विदेश मंत्रालय द्वारा सत्यापित एजेंटों की सूची होती है, में पंजीकृत है या नहीं। इसका सत्यापन आप दिए गए लिंक https://emigrate.gov.in/#/emigrate/emigrant/list-of-ra-consolidate-report पर जा सकते हैं।
- उनसे भारत सरकार के प्रवासी संरक्षक जनरल (पीजीई (PGE)) द्वारा जारी किया गया मूल पंजीकरण प्रणामपत्र दिखाने को कहें। जब तक एजेंसी पंजीकृत न हो और उसका पंजीकरण वैध न हो, तब तक उनके साथ किसी प्रकार का समझौता न करें। आप यह पता लगा सकते हैं कि कोई भर्ती एजेंट विदेश मंत्रालय में पंजीकृत है या नहीं, या वे eMigrate पोर्टल[24] पर सक्रिए हैं या नहीं।
- किसी पंजीकृत एजेंट के लिए काम करने वाले एजेंट से समझौता न करें। आव्रजन अधिनियम, 1983 के तहत उप–एजेंटों को भर्ती करने की अनुमति नहीं है।
- क्या नियोक्ता या भर्ती एजेंसी वीज़ा आवेदन में सहायता करती है?
- जिस नियोक्ता या भर्ती एजेंसी का बात हो रही है, उसकी साख कैसी है? क्या वे ईमानदार लोग हैं और उनके काम करने का तरीका पारदर्शी है?
- एक बार जब आपको नौकरी मिल जाए, तो अपने रोजगार अनुबंध को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि उसमें आपका वेतन/ मज़दूरी का स्तर और दूसरी सेवा शर्तें विस्तार से लिखी हों।
- एजेंट की सेवाओं के लिए 30,000 रु. से अधिक का भुगतान न करें और इस भुगतान की रसीद ज़रूर लें। सबसे अच्छा होगा कि आप डिमांड ड्राफ्ट या चेक से भुगतान करें और रसीद ले लें।
- भारत में अधिक पैसे लेना या धोखाधड़ी की शिकायतें संबंधित पीओई या पीजीई या प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके (PBSK)) और क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (केपीबीएसके (KPBSK)) में की जा सकती हैं।

4.4 नौकरी का आवेदन जमा करना

जब आपका जॉब आवेदन पूरा हो जाए और जमा कर दिया जाए तो नियोक्ता या एजेंसी उसे स्वीकार करने के लिए उसकी समीक्षा करेगी। इस प्रक्रिया में आमतौर पर दो से छह सप्ताह लगते हैं, और आप अगले चरणों की तैयारी शुरू कर सकते हैं।

नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने और वीज़ा प्रक्रियाओं को शुरू करने से पहले याद रखने वाली अन्य बातें:

- यदि किसी वेबसाइट का यूआरएल (URL) यूरोपीय नहीं लगता है तो यह कभी– कभी इस बात का संकेत होता है कि आप जिस वेबसाइट को देख रहे हैं वह विश्वसनीय नहीं है और आप फ़िशिंग अटैक का शिकार बन सकते हैं। विश्वसनीय वेबसाइट्स में आमतौर पर एक प्रत्यय (suffix) एक्सटेंशन/एंडिंग होती है जिसमें ईयू (EU) देश का शॉट फॉर्म होता है। जैसे– जर्मनी की आधिकारिक वेबसाइट्स के लिए एक्सटेंशन– .de है; फ्रांस के लिए, यह .fr है; इटली के लिए, यह .it है; और यूरोपीय यूनियन के लिए यह .eu है। आप वीज़ा और भारत में ईयू (EU) के सदस्य देशों के दूतावासों के अनुबंध के बारे में अधिक जानकारी ईयू (EU) की वेबसाइट पर पा सकते हैं [25]।

24. eMigrate को इस लिंक से एक्सेस किया जा सकता है https://emigrate.gov.in/.
25. जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है https://www.eeas.europa.eu/delegations/india/consular-protection-eu-citizens-india-or-bhutan_en.

नौकरी के लिए आवेदन जमा करने हेतु प्रश्नों की चेकलिस्ट:

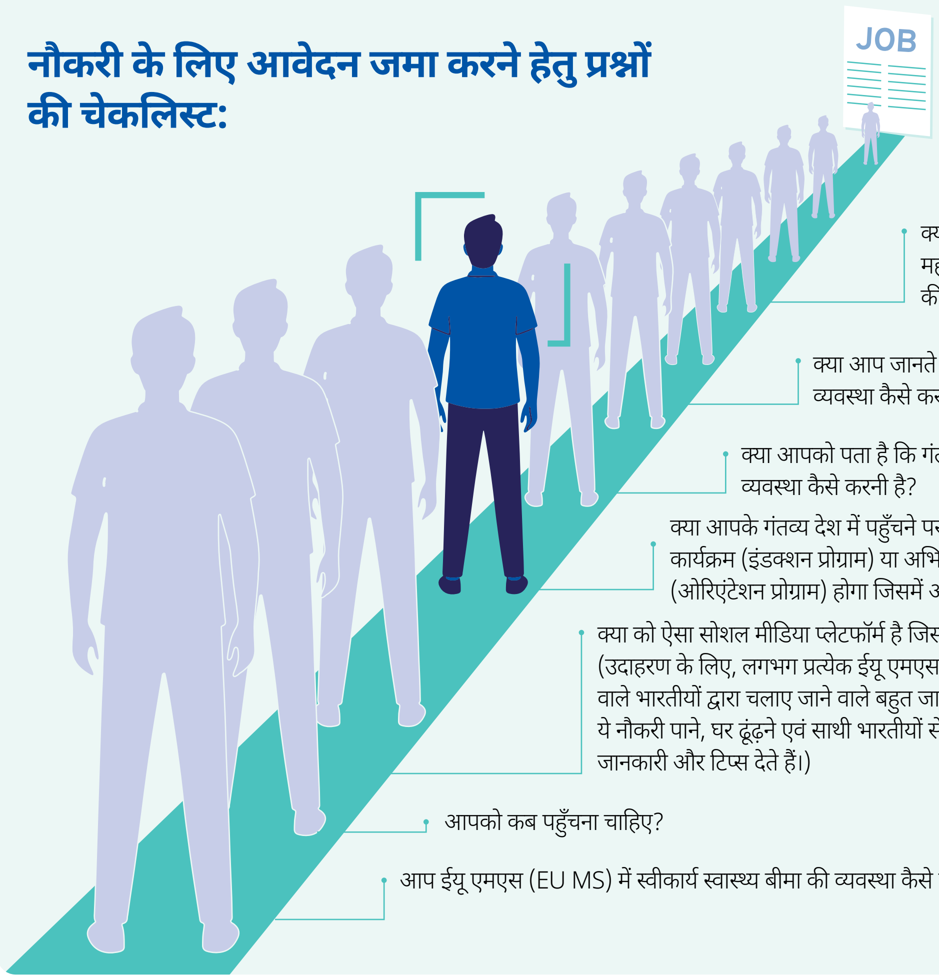

- क्या आप जानते हैं कि आने वाले महीनों में कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?
- क्या आप जानते हैं कि वीज़ा की व्यवस्था कैसे करना है?
- क्या आपको पता है कि गंतव्य देश में रहने की व्यवस्था कैसे करनी है?
- क्या आपके गंतव्य देश में पहुँचने पर किसी प्रकार का परिचय कार्यक्रम (इंडक्शन प्रोग्राम) या अभिविन्यास प्रशिक्षण (ओरिएंटेशन प्रोग्राम) होगा जिसमें आप शामिल हो सकते हैं?
- क्या को ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर आपकी नज़र रहती है? (उदाहरण के लिए, लगभग प्रत्येक ईयू एमएस (EU MS) देशों में देश में रहने वाले भारतीयों द्वारा चलाए जाने वाले बहुत जानकारीपूर्ण फेसबुक पेज हैं, और ये नौकरी पाने, घर ढूंढ़ने एवं साथी भारतीयों से जुड़ने के बारे में बहुत सारी जानकारी और टिप्स देते हैं।)
- आपको कब पहुँचना चाहिए?
- आप ईयू एमएस (EU MS) में स्वीकार्य स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं?

- आप अपने संभावित नियोक्ता की वेबसाइट से स्थान, रिक्तियों और संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- यदि आपको किसी भर्ती एजेंसी के रिक्तियों के विज्ञापन में नियोक्ता की वेबसाइट से अलग जानकारी दिखती है, तो हमेशा आपको मिलने वाले कार्य अनुबंध की शर्तों का पालन करें क्योंकि वही सही वीज़ा पाने की शर्तें होती हैं।

अपने रोज़गार अनुबंध को सत्यापित करना

जब आपको ईयू (EU) में नौकरी मिल जाएगी तो आपको रोज़गार अनुबंध दिया जाएगा। रोज़गार अनुबंध में कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के अधिकार और कर्तव्य बताए गए होते हैं। इसमें न्यूनतम निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:

- **नाम और पता:** इस पर आपका और आपके नियोक्ता, दोनों का, नाम और पता लिखा होता है।
- **अनुबंध शुरू होने की तिथि:** इसी तिथि से नौकरी शुरू होती है।
- **अनुबंध की अवधि:** यह बताता है कि आपका अनुबंध कब समाप्त हो रहा है। अनुबंध की अवधि लिखित में तय होनी चाहिए नहीं तो इसे अनिश्चित समय के लिए वैध माना जाएगा।
- **कार्यस्थल:** आप कहाँ काम करेंगे? यदि काम करने की कोई निश्चित या मुख्य जगह नहीं है तो रोज़गार के अनुबंध में यह बताया जाएगा कि कर्मचारी अलग-अलग जगहों पर काम करता है और उसमें व्यवसाय का पता या यदि आवश्यक हो, तो नियोक्ता के घर का पता लिखा होगा।
- **नौकरी का विवरण:** आपसे कौन से काम करने की उम्मीद की जाती है? अनुबंध में काम का ब्यौरा, कर्मचारी का पद, स्थिति या काम की श्रेणी बताई जानी चाहिए।

- **वेतन:** आपको अपने काम के लिए कितना वेतन मिलेगा? क्या आपका नियोक्ता आपको बोनस देगा? आपको अपना वेतन कब मिलेगा (जैसे महीने के आखिर में या शुरुआत में)? इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुबंध में आमतौर पर कुल वेतन बताया जाता है। इस रकम में से कर और सामाजिक योगदान काटकर आपकी शुद्ध वेतन (टेक-होम सैलरी) की गणना की जाती है।
- **काम करने के घंटे:** इसमें तय किए गए रोज़ाना और हफ्ते के काम के घंटों की अवधि और व्यवस्था शामिल है। कुछ काम के माहौल के उलट जहाँ ओवरटाइम आम बात है, यह काम करने का तरीका ईयू (EU) में अधिक लोकप्रिय नहीं है। ज्यादा घंटे काम करना आम बात नहीं है और इसे हतोत्साहित किया जाता है। हालांकि, कुछ विशेष क्षेत्रों में और तय शर्तों के अधीन आपको बेहतर वेतन के लिए अधिक काम करने के लिए कहा जाएगा। अपने अनुबंध में शामिल होने वाले अपने वेतन या काम के हफ्ते की किसी भी जानकारी के बारे में ट्रेड यूनियन से पता करें।
- **छुट्टियां:** आपको हर साल कितनी छुट्टियां मिलेंगी? छुट्टियों की तारीखें तय करने के नियम क्या हैं?
- **सामूहिक समझौते और काम के समझौते:** कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्यसेवा, नियोक्ता एसोसिएशन और ट्रेड यूनियनों ने मिलकर समझौता किए हैं। ये समझौता उस देश के सभी कामगारों के लिए वेतन, बोनस या छुट्टियों जैसे मामलों को नियमित कर सकते हैं और आपके कार्य अनुबंध में भी बताए और माने जा सकते हैं।

1 अगस्त 2022 से सदस्य देशों में काम करने की शर्तों के बारे में नए नियम लागू हो गए हैं। ऊपर बताई गई जानकारी के अलावा, कर्मचारी को निम्नलिखित जानकारी भी मिलनी चाहिए:

- **अस्थायी एजेंसी श्रमिक:** यदि आपको किसी अस्थायी कार्य एजेंसी द्वारा नौकरी दी जाती है तो आपको उन कंपनियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जहाँ आपको काम करने के लिए भेजा जाएगा।
- **परिवीक्षाधीन अवधि ((प्रोबेशन पीरीयड) यदि हो):** यह वह समय होता है जिसके दौरान आप या आपका नियोक्ता अनुबंध को काफी जल्दी खत्म कर सकते हैं। यदि रोजगार संबंध परिवीक्षाधीन अवधि के तहत है तो आपके नियोक्ता को आपको इसकी जानकारी देनी होगी और यदि ऐसा है तो वह अवधि कितने समय की होगी और उसकी शर्तें क्या होंगी।
- **प्रशिक्षण:** क्या नियोक्ता कोई प्रशिक्षण सुविधा देता है?
- **काम का अप्रत्याशित पैटर्न:** क्या आपके काम करने का पैटर्न पूरी तरह से या ज्यादातर अप्रत्याशित रहता है? ऐसे में, नियोक्ता आपको गारंटीकृत वेतन योग्य घंटों की संख्या और उन घंटों के अलावा किए गए काम के लिए भुगतान के बारे में बताएगा। आपको उन घंटों और दिनों के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए जिनके दौरान आपको काम करना पड़ सकता है और किसी काम को शुरू करने से पहले न्यूनतम नोटिस अवधि और नियोक्ता के लिए किसी काम को रद्द करने की कोई समयसीमा, जिसके बाद आपको मुआवज़ा पाने का अधिकार होगा।
- **सामाजिक सुरक्षा:** यदि नियोक्ता आपकी तरफ से किसी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा योगदान करता है तो आपको यह जानने का अधिकार है कि ये किस संस्था को दिए जा रहे हैं।

केस स्टडी – 3

कई सालों तक अलग– अलग देशों मे कई बड़ी आईटी कंपनियों के साथ काम करने के बाद, माला एक डच आईटी कंपनी में टेक्निकल लीड के तौर पर एम्स्टर्डम चली जाती है। एम्सटर्डम पहुंचने और अपने नए ऑफिस में नियुक्त होने के बाद, उसे पता चलता है कि वह अपने साथ काम करने वालों और सीनियर्स के साथ बहुत अच्छे से घुल– मिल गई है और उसे खुशी है कि उसने यहाँ आने का फैसला किया।

कुछ महीनों के बाद, उसे एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगाया जाता है जिसकी डेडलाइन बहुत सख्त होती है और काम का बोझ भी बहुत ज्यादा होता है और यह प्रोजेक्ट कुछ ही दिनों का होता है। अपने सुपरवाइज़र के अनुरोध करने पर माला डेडलाइन पूरी करने के लिए ऑफिस में देर तक रुकती है। माह के आखिर में, एक ईमेल सभी कर्मचारियों को भेजा जाता है और उन्हें काम पूरा करने में किए गए अतिरिक्त घंटों के बारे में पूछा जाता है। माला को अपने काम के घंटों को लेकर निश्चितता नहीं थी इसलिए वह एक सहकर्मी के पास सलाह लेने गई। उस सहकर्मी ने उसे कंपनी में वर्कर यूनियन के बारे में बताया। यूनियन लीडर्स ने माला को कामगारों के सामान्य अधिकारों के बारे में और देश में ओवरटाइम से जुड़े अधिकारों के बारे में जानकारी दी और यह भी बताया कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकती है।

माला को अपने प्रयासों के लिए तारीफ और अतिरिक्त लाभ पाकर बहुत खुशी और हैरानी हुई। कर्मचारियों के अधिकार और काम में निष्पक्षता, ये ऐसी बातें हैं जिनकी तारीफ नीदरलैंड्स में काम करते हुए माला बहुत करती है।

प्र: ईयू (EU) में काम करने के सामान्य घंटे क्या हैं[26]?

उ: यह सदस्य देशों में अलग–अलग हो सकता है लेकिन प्रत्येक सप्ताह काम करने के औसत घंटे 48 से अधिक नहीं होने चाहिए। काम के इन घंटों में ओवरटाइम भी शामिल है। नीदरलैंड में, काम करने के मानक घंटे प्रति सप्ताह 38 घंटे का होता है।

प्र: इन अधिकारों के बारे में किसी को कैसे पता चल सकता है?

उ: अनुबंध में कार्य शर्तों से।

उ: कंपनी के एचआर से पूछ कर।

उ: ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों से पूछ कर।

प्र: क्या कोई ओवरटाइम वेतन या अन्य लाभ (बदले में छुट्टी) पाने का हकदार है?

उ: हाँ, कर्मचारियों को ओवरटाइम वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं।

जब आप उस ईयू (EU) सदस्य देश में पहुँच जाएं जहाँ आप काम करेंगे, यदि आपको अपने विदेशी नियोक्ता को ढूंढ़ने में परेशानी हो रही है और आप विदेश में खो गए हैं तो तुरंत नज़दीकी भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क करें।

इसके अलावा, जब आप अपने अनुबंध की शर्तों के तहत काम करना शुरू करें तो कृपया अपनी इंडस्ट्री से जुड़े किसी भी ट्रेड यूनियन के स्थानीय कार्यालय जाएं और उन्हें अपना अनुबंध दिखाएं। आप उनसे अपने अनुबंध के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण और कोई भी अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं।

यदि आप अपनी नौकरी और/या नियोक्ता बदलना चाहते हैं, तो आपको यह देखना होगा कि क्या यह उन शर्तों के तहत अनुमित है जिसके तहत आपको वीज़ा मिला था। आपको अपने अधिकारों और नए अनुबंधों की शर्तों को भी समझना चाहिए। ऐसे किसी भी दस्तावेज़ पर कभी हस्ताक्षर न करें जिसे आप समझते नहीं हैं, उसे पढ़ने के लिए समय लें और अपनी राय एवं सुझावों के लिए उसे अपने परिवार, दोस्तों और ट्रेड यूनियन जैसे विशेषज्ञों को दिखाएं।

26. ईयू (EU) में काम करने के घंटों के बारे में विस्तृत जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/general-employment-terms-conditions/working-hours/index_en.htm

05

भारत से बाहर जाने के नियम

भारत के बाहर यात्रा करने के लिए, आपको भारत सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की आवश्यकता होगी। अब पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसके बाद आपको अपने नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके (PSK)) या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ (RPO))[27] जाना होगा।

नया पासपोर्ट बनवाने या अपना पासपोर्ट फिर से जारी करवाने में आमतौर पर 30 दिनों का समय लगता है और इसे बनवाने में 1500 रु. का खर्च आता है।

5.1 पासपोर्ट बनवाना

किसी भी उद्देश्य से ईयू एमएस (EU MS) में जाने के लिए भारत सरकार कोई रोक नहीं लगाती या न ही सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। हर एक व्यक्ति बिना किसी सरकारी औपचारिकता या अनुमति के सफ़र करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि, यह सलाह दी जाती है कि प्रवासी eMigrate वेबसाइट पर पंजीकृत करें ताकि सरकार को उनके रहने के बारे में पता चल सके, जिससे संकट के समय में सरकार को सहायता करना आसान हो जाए।

यदि आपको अपने दस्तावेज़ों या भर्तीकर्ता के बारे में किसी भी प्रकार की शंका है तो आप मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोचीन, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, रायबरेली, पटना, बेंगलुरु, गुवाहाटी, रांची, भुवनेश्वर और अगरतला में मौजूद पीओई (POE)[28] के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

जो लोग आईसीटी कर्मचारी के तौर पर यात्रा कर रहे हैं या शॉर्ट–टर्म स्टे के लिए जा रहे हैं, वे भारत में अपने सामाजिक सुरक्षा लाभ (भविष्य निधि समेत) जारी रख सकते हैं और गंतव्य देशों मे इसी प्रकार की योजनाओं में योगदान देने से बच सकते हैं। यह केवल उन देशों के लिए संभव है जिनके साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा समझौता किया है। देशों की सूची के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक पर विदेश मंत्रालय की वेबसाइट (https://www.mea.gov.in/bilateral-documents. htm?dtl/26465/Social_Security_Agreements) पर जाएं।

यदि आप स्वास्थ्य कर्मी हैं तो इन बातों का ध्यान रखें।

पया उन खास नियमों को देखें जो आपके पेशे पर लागू होते हैं, भारत और यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों दोनों में।

भारत के कई राज्य सरकारों को सरकारी संस्थानों से स्नातक होने वाले मेडिकल डॉक्टरों से पढ़ाई पूरी होने के बाद राज्य को अनिवार्य सेवा देने या भारी जुर्माना भरने की शर्त होती है।

क्योंकि ईयू (EU) में ज्यादातर स्वास्थ्य पेशेवर विनियमित हैं इसलिए कुछ विशेष नियम हैं, जिनमें पेशेवर प्रमाणन भी शामिल हैं। ये प्रमाणन सदस्य देशों में काम करने की इच्छा रखने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को अपना पेशा शुरू करने से पहले करना जरूरी होता है। विनियमित पेशे के बारे में ज्यादा जानकारी उल्लिखित लिंक https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs. पर उपलब्ध है।

27. इस लिंक पर अपने क्षेत्र का पिन कोड डाल कर आप अपने नज़दीकी पीएसके (PSK) या आरपीओ (RPO) का पता लगा सकते हैं: https://www.passportindia.gov.in/psp/LocatePsk
28. https://www.mea.gov.in/Images/attach/01-Overview-04-2024.pdf

तालिका 3: भारतीय पासपोर्ट बनवाने के चरण।

चरण 1	पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल[29] के माध्यम से पंजीकरण कराएं। (आप पोर्टल के होम पेज पर यूज़र रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर ऐसा कर सकते हैं)।
चरण 2	अपने पंजीकृत लॉगइन विवरणों का प्रयोग कर लॉगइन करें।
चरण 3	फ्रेश पासपोर्ट/ री– इश्यू पासपोर्ट लिंक पर क्लिक करें।
चरण 4	फॉर्म में ज़रूरी जानकारी भरें और सब्मिट करें।
चरण 5	अप्वाइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए 'व्यू सेव्ड/सब्मिटेड एप्लीकेशन' स्क्रीन पर 'पे एंड शेड्यूल अप्वाइंटमेंट' लिंक पर क्लिक करें। सभी पीएसके और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) पर अप्वाइंटमेंट बुक करने हेतु अब ऑनलाइन भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है। **ऑनलाइन भुगतान नीचे दिए किसी भी तरीके से किया जा सकता है:** ▶ क्रेडिट या डेबिट कार्ड (मास्टरकार्ड और वीज़ा) ▶ इंटरनेट बैंकिंग (भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ (SBI)), संबद्ध बैंक और दूसरे बैंक) ▶ एसबीआई बैंक चालान
चरण 6	अपना आवेदन रसीद प्रिंट करने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन रिसीट लिंक पर क्लिक करें, जिसमें एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (ARN) / अप्वाइंटमेंट नंबर होगा। अब आपको अपने एप्लीकेशन रसीद का प्रिंटआउट साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अप्वाइंटमेंट के विवरण वाला जो (एसएमएस (SMS)) आपको मिलता है, वह भी पासपोर्ट कार्यालय जाने पर अप्वाइंटमेंट के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
चरण 7	अपने मूल दस्तावेजों के साथ पीएसके या आरपीओ में जाएं जहाँ आपकी अप्वाइंटमेंट बुक की गई है।

29. इस लिंक पर पोर्टल एक्सेस होगा https://www.passportindia.gov.in/psp.

06

अवैध प्रवासन, अवैध व्यापार और तस्करी

ईयू (EU) में बिना वैध वीज़ा के रहना अपराध है। अधिकांश अवैध प्रवासी शुरू में अल्पकालिक प्रवास (शॉर्ट–स्टे) वीज़ा पर कानून यूरोपीय यूनियन में प्रवेश करते हैं लेकिन वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद आर्थिक कारणों से यूरोपीय यूनियन के देश में ही रूक जाते हैं।

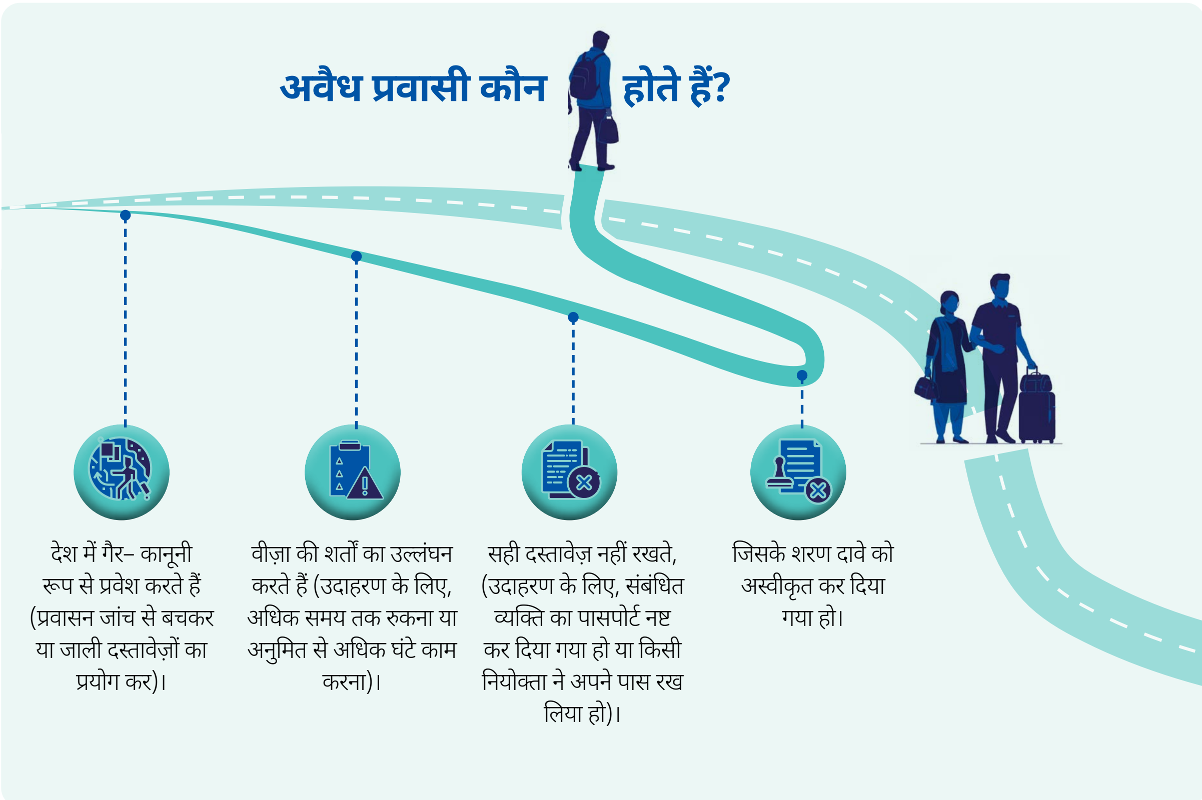

अवैध भर्ती क्या है?

भारतीय आप्रवासन अधिनियम, 1983 के अनुसार अवैध भर्ती में शामिल हैं:

- प्रस्थान करने से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी कर्मचारी के यात्रा दस्तावेज़ों को अपने पास रखना या कर्मचारी को देने से इनकार कर देना।
- काम पर रखे जाने के मामले में, जब काम पर नियुक्त नहीं किया जा पाता, ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को उनके दस्तावेज़ तैयार करने और प्रक्रिया से संबंधित खर्च के पैसे वापस न करना।
- बिना वैध लाइसेंस के भर्ती करना।
- भर्ती के संबंध में गलत जानकारी देना या प्रकाशित करना।
- कानूनन निर्धारित फीस (30,000 रु.) से अधिक की भर्ती फीस लेना।
- रोज़गार अनुबंधों को बदल देना या उनमें फेरबदल करना।

6.1 अवैध भर्ती के संकेत

गैर– कानूनी भर्तीकर्ता को पहचानना हमेशा आसान नहीं होता लेकिन ये कुछ संकेत हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। एजेंट:

- गंतव्य देश में नौकरी पाने के लिए शॉर्टकट बताता है और कानूनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ करने की बात करता है।
- नौकरी अनुबंध की प्रति नहीं देता है।
- नियोक्ता और जिस काम के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं देता है।
- एजेंसी के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं देता है।
- रसीद दिए बिना तुरंत भुगतान करने को कहता है।
- आपका पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज़ अपने पास रख लेता है।
- आपको दूसरों से जानकारी साझा न करने की बात कहता है।
- किसी भी मज़दूर को विदेश में काम के लिए आवेदन करने और कार्य विशेष के लिए लुभाने के लिए बहुत ही कम समय में बहुत सारा पैसा कमाने और सफल होने के अवास्तविक वादे करता है।

6.2 प्रवासी तस्करी और मानव तस्करी

जब कोई आपको बिना वैध दस्तावेज़ों के किसी देश में प्रवेश करने में सहायता करता है, सीमा नियंत्रण से बचने में या पैसे या दूसरे लाभ के लिए झूठे या नकली यात्रा या पहचान दस्तावेज़ दिलवाता है तो इसे प्रवासी तस्करी (स्मगलिंग) कहते हैं।

जब आप किसी देश में गैर–कानूनी तरीके से घुसने के लिए सहमति नहीं देते हैं, लेकिन धमकी या जबरदस्ती की वजह से ऐसा करते हैं, आपको विवश किया जाता है, धोखा दिया जाता है या ऐसा करने की धमकी दी जाती है और आप ऐसे हालातों में फंस जाते हैं जहाँ आपका शोषण किया जाता है तो इसे मानव तस्करी (ट्रैफिकिंग) कहा जाता है।

मानव तस्करी (ट्रैफिकिंग) में शामिल है:

- **भर्ती:** जान– पहचान वालों, रिश्तेदारों या अपराधी गैंग द्वारा, अक्सर अच्छे वेतन वाली नौकरियों का वादा करके।
- **निर्वासन:** दूरदराज के ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर या गरीब देशों से अमीर देशों की ओर पलायन।
- **हेरफेर और जबरदस्ती:** पीड़ितों को धोखे और जोर– जबरदस्ती से नियंत्रित करना।

आम तौर पर, जो लोग ऐसे तरीकों से किसी देश में घुसते हैं, उन्हें प्रवेश के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जिससे अक्सर उन पर बहुत कर्ज़ हो जाता है। गलत तरीकों से किसी देश में घुसने से आप खतरनाक और जोखिम भरी स्थितियों में फंस सकते हैं, और आपको यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानियां बरतनी चाहिए कि आपकी तस्करी करके आपको यूरोपीय यूनियन के देश में न भेजा जाए। स्मगलिंग (तस्करी) को देश के खिलाफ किया जाने वाला अपराध माना जाता है और ट्रैफिकिंग (मानव तस्करी) को व्यक्ति के खिलाफ किया जाने वाला अपराध माना जाता है।

भारत और ईयू (EU) ने स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए वीज़ा प्रक्रिया में बायोमेट्रिक तत्व को शामिल किया है जिसमें फिंगरप्रिंट वाले पासपोर्ट और वीज़ा, चेहरे को पढ़ सकने वाली तकनीक आदि शामिल हैं। हालांकि, मानव तस्करी से बचने और उसका मुकाबला करने के लिए सबसे ज़रूरी कदम है जानकार बनना और सतर्क रहना। यूरोपीय यूनियन में मानव तस्करी की स्थिति और मूल एवं गंतव्य दोनों देशों के संबंधित कानूनों के बारे में जितनी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हों, करें। यूरोपीय यूनियन में, यूरोपियन कमीशन की एंटी–ट्रैफिकिंग वेबसाइट पर ज़रूरी जानकारी मिल सकती है जिसमें ईयू (EU) में मानव तस्करी की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी गई होती है: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/together-against-trafficking-human-beings_en एजेंट या एजेंसी आपसे क्या मांग रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान दें ताकि आप अवैध भर्ती के संकेतों को नज़रअंदाज़ करने से बच सकें।

इंटरनेट से आप जो भी जानकारी जुटाते हैं, उसे सत्यापित करना जरूरी है। जैसे, आफको जॉब वेबसाइटों पर नौकरी के कई आकर्षक ऑफर मिल सकते हैं या डेटिंग या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों पर कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपको ईयू (EU) में उनसे मिलने के लिए कहे। वास्तव में, हाल के वर्षों में, कई तस्करों ने लोगों को फंसाने के लिए ऐसी वेबसाइटों का इस्तेमाल किया है। नौकरी के हर एक ऑफर की अच्छी तरह से जांच करें, विशेषरूप से उन ऑफर्स की जिनमें आपको मिलने वाले अवसर को गोपनीय रखने या किसी के साथ जानकारी साझा न करने के लिए कहा जाता है।

केस स्टडी – 4

रजनीश ने देखा था कि उसके बचपन का दोस्त जीतू यूरोप जाने के बाद जो पैसे घर भेज रहा था, उससे उसके परिवार वालों ने नया घर बनाया था। उन्होंने नई कार भी ले ली थी। वह भी यूरोप जाकर अच्छी कमाई करने का सपना देख रहा था और उसने अपने इस सपने के बारे में कुछ दोस्तों को बताया भी था। कुछ महीनों के बाद, उसके गांव में एक एजेंट ने उससे संपर्क किया। उस एजेंट को स्थानीय चाय की दुकान पर अक्सर देखा जाता। चाय के दुकान का मालिक रजनीश के परिवार का परिचित था। उसने रजनीश को यूरोप में वेटर की नौकरी पाने में मदद करने का वादा किया लेकिन उसे यह भी बताया कि वीज़ा लेने और यात्रा के खर्च बहुत अधिक आएगा इसलिए उसे इस बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। उसने रजनीश को कई तरह के कागज़ात दिखाए, वेटर की नौकरी में 45,000 रु. महीने जितने का वेतन दिखाया गया था। फिलहाल रजनीश 18,000 रु. महीना कमा रहा था, उसे पैंतालीस हजार रु. महीने की नौकरी अच्छी लगी, खासकर तब जब एजेंट ने बताया कि उसका वेतन हर साल बढ़ाया जाएगा। इसलिए अपने परिवार में इस नौकरी के बारे में चर्चा करने

जारी...

के बाद रजनीश ने 14000 यूरो (करीब 12 लाख रु.) का लोन लिया और एजेंट के कहने पर पूरी रकम नकद में उसे दे दी।

अगले तीन माह तक एजेंट ने रजनीश के लिए एक केंद्र में प्रशिक्षण का इंतज़ाम किया, जिसमें बुनियादी अंग्रेजी सीखना भी शामिल था। इस दौरान, रजनीश को सरकारी केंद्र पर भी ले जाया गया और उसका पासपोर्ट बनवाया गया। प्रशिक्षण पूरा होने के दो महीने के बाद, रजनीश को उसका पासपोर्ट दे दिया गया और साथ ही टिकट भी। कहा गया कि वह अगले सप्ताह यूरोप जाने की तैयारी कर ले। रजनीश और परिवार के लोग बहुत खुश थे और उन्होंने एयरपोर्ट पर उसे विदा किया।

जब रजनीश आगमन पर आव्रजन प्रक्रिया के लिए पहुँचा, तो अधिकारी बहुत अधिक समय तक जांच–पड़ताल करते रहे। उसे चिंता होने लगी। आखिरकार उसे एक किनारे ले जाया गया और कई घंटों की पूछ–ताछ के बाद, उसे बताया गया कि जिस वीज़ा को लेकर वह सफर कर रहा है वह जाली है। रजनीश को हिरासत केंद्र (डिटेंशन सेंटर) ले जाया गया और दो सप्ताह के बाद, उसे वापस भारत भेज दिया गया।

भारत लौटने के बाद, रजनीश ने एजेंट के फोन नंबर पर फोन मिलाया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। परिवार के साथ वह चाय के उस दुकान पर भी गया जिस पर अक्सर वह एजेंट मिला करता था, लेकिन एजेंट वहाँ भी नहीं मिला। अब रजनीश कर्ज़ के बोझ तले दबा था और यूरोप जाकर रोटी कमाने का उसका सपना अब शायद ही पूरा हो पाता।

हालात ऐसे न बन पाते, इसके लिए रजनीश क्या कर सकता था?

- भारत सरकार की वेबसाइट का प्रयोग कर एजेंट का सत्यापन करते।
- उन्होंने जो भी भुगतान किया था, चाहे नकद या चेक के द्वारा, उसकी रसीद लेते।
- वीज़ा लेने और सफ़र में होने वाले खर्च के बारे में अपने दोस्तों और परिवार के लोगों से पता लगाते।
- दूतावास के माध्यम से वीज़ा का पता लगाते।

6.3 यदि ईयू (EU) में आप अवैध प्रवासी है तो आपको किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है?

अक्सर, लोग अपने वीज़ा की अवधि खत्म हो जाने के बाद भी यूरोपीय यूनियन के देश में बने रहते हैं, इस उम्मीद में कि वे कभी अपने कागज़ात को वैध करवा लेंगें और यूरोपीय यूनियन के देश में रहने और काम करने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। हालांकि, यूरोपीय यूनियन में बिना परमिट के रहने की वजह से आपको कई प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ खतरे हैं:

- संभव है कि आपको ऐसे क्षेत्र में गैर–कानूनी तरीके से काम करना पड़े जहाँ वेतन बहुत कम दिया जाता है और सुरक्षा मानकों एवं काम करने की स्थितियों पर शायद ही नज़र रखी जाती है। इसके अलावा, शोषण किए जाने का भी खतरा रहता है। ऐसे क्षेत्रों में शामिल हैं–विनिर्माण, खेती, होटल और रेस्त्रां, सफाई, देखभाल संबंधी काम और घरेलू काम।
- मज़दूरी, छुट्टियों आदि के मामले में मालिकों द्वारा शोषण समेत अधिकारों के उल्लंघन के लिए कानूनी मदद लेना मुश्किल हो जाएगा।
- आपको शायद किसी भी सामाजिक सेवा का लाभ नहीं मिलेगा, कुछ देशों में तो स्वास्थ्य सेवा भी नहीं मिलेगी।
- आपको बेरोज़गारी भत्ता जैसे किसी भी सामाजिक सुरक्षा का अधिकार नहीं होगा।

- आपके लिए परिवार के किसी भी सदस्य को यूरोपीय यूनियन के देश में अपने साथ लाना संभव नहीं होगा।
- किराए पर रहने के लिए घर मिलना मुश्किल होगा; ज्यादा संभावना इस बात की है कि आपको रहने के लिए खराब और अस्वास्थ्यकर जगह मिले और उसके लिए भी आपको अधिक पैसे देने पड़ेंगे।
- बैंक में खाता खुलवाना भी बहुत मुश्किल होगा।
- आपको पुलिस कभी भी पकड़ सकती है और हिरासत में लेकर भारत वापस भेज सकती है।

अवैध प्रवासियों की वापसी

यदि आपको अवैध प्रवासी के रूप में पकड़ा जाता है तो आपको देश छोड़कर जाने का आदेश दे दिया जाएगा। आपको यूरोपीय यूनियन ईयू (EU) और शेंगेन क्षेत्र को छोड़ने का आदेश देने वाले फैसले के साथ आपके प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि आपको एक निर्धारित समय के लिए यूरोपीय यूनियन और शेंगेन क्षेत्र में फिर से प्रवेश करने या आने से रोक दिया जाएगा। आमतौर पर आपके पास अपनी मर्ज़ी से अपने देश लौटने का विकल्प होगा और इसमें आपकी सहायता भी की जा सकती है। यदि आप अपनी मर्ज़ी से वापस लौटने में सहयोग नहीं करते हैं तो आपको ज़बरदस्ती वापस भेजने की प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपको हिरासत में भी लिया जा सकता है। जिस सदस्य देश में आप हैं, उसके राष्ट्रीय कानून के तहत गैर– कानूनी रूप से उस देश में रहने और/या गलत तरीके से प्रवेश करना भी अपराध माना जा सकता है। कुछ मामलों में वापसी का खर्च उठाने के लिए आपकी संपत्ति को ज़ब्त किया जा सकता है।

6.4 यदि ईयू (EU) में आपको स्मगल कर या ट्रैफिकिंग के जरिए लाया गया हो तो आपको किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है?

यदि आपको गैर–कानूनी तरीके से ईयू (EU) में प्रवेश दिलाया गया है तो आपको वहां रहने का कानूनी हक नहीं है। आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, और यूरोपीय यूनियन का प्रत्येक देश अवैध प्रवेश या अवैध रूप से रहने के लिए जुर्माना राशि का निर्धारण स्वयं करता है। आपको अपने देश वापस भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा, प्रवासियों की तस्करी करने वाले अपराधी नेटवर्क की जांच और उन पर मुकदमा चलाने के लिए कानून लागू करने की कोशिशों की तहत, आपसे अपराधियों को पकड़वाने के लिए गवाह के रूप में सहयोग करने के लिए कहा जा सकता है।

तस्करी कर लाए गए प्रवासियों से आमतौर पर गंतव्य देश पहुँचने पर उनके पासपोर्ट और आधिकारिक दस्तावेज़ ले लिए जाते हैं और उनसे जबरदस्ती मज़दूरी करवाया जाता है। पीड़ितों को बताया जाता है कि वे गंतव्य देश में गैर–कानूनी तरीके से लाए गए हैं, जिससे उनकी अपने तस्करों पर निर्भरता बढ़ जाती है। अपने दस्तावेज़ों के बिना, वे देश में रहने का अपना अधिकार साबित नहीं कर सकते और न ही सहायता के लिए अधिकारियों के पास जा सकते हैं। पीड़ितों के अक्सर अकेले में या कैद में रखा जाता है। उन्हें कर्ज़ के जाल में भी फंसाया जाता है, जहाँ उन्हें अपने तस्करों से आज़ाद होने से पहले भर्ती, परिवहन और दूसरी फीस के लिए बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। इंसानी तस्करी ईयू (EU) कानूनों के तहत एक गंभीर अपराध है और यदि आपको पता चलता है कि आप ऐसे किसी अपराध के शिकार हुए हैं तो आपको पुलिस में इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, ताकि आप अकेलेपन के इस घेरे को तोड़ सकें। कुछ नागर समाज के संगठन भी हैं जो ऐसी स्थिति में आपकी सहायता कर सकते हैं, जिसमें पुलिस को रिपोर्ट करना या ऐसी सेवाओं के बारे में बताना शामिल है जो आपको सहायता, समर्थन और सुरक्षा दे सकती हैं।

इसके अलावा, यदि आप बिना अनुमति के यूरोपीय यूनियन के देश में रह रहे हैं तो आपको नौकरी पाने, रहने के लिए जगह ढूंढ़ने और शिक्षा एवं स्वास्थ्यसेवा का लाभ उठाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे और भी जोखिम और शोषण की संभावना हो सकती है।

हालांकि यह तय करने का कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है कि किसी व्यक्ति को तस्करी कर लाया गया है या नहीं, लेकिन नीचे दी जा रही सवालों की सूची से यह पता लगाने में सहायता मिल सकती है कि स्थिति विशेष में तस्करी की गई है या नहीं।

- क्या आप अपने कार्यस्थल को छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं?
- क्या आपके साथ शारीरिक, यौन या मानसिक दुर्व्यवहार किया जा रहा है?
- क्या आपके पास वैध पासपोर्ट या पहचान पत्र है? क्या आपके पास ये दस्तावेज़ हैं?
- आपकी नौकरी में वेतन और उसकी शर्तें क्या हैं? क्या आपका वेतन रोक दिया गया है? क्या काम करने की स्थितियां खराब या शोषक हैं?
- क्या आप किसी से भी अपने रहने और काम करने की स्थितियों के बारे में बात करने से डरते हैं?
- क्या आप पर बहुत अधिक कर्ज़ है या आपका कर्ज़ बढ़ता जा रहा है?

- क्या आपको या आपके परिवार के सदस्यों को धमकी मिल रही है?
- क्या आपको इस बात का डर है कि यदि आपने इस नौकरी को छोड़ा तो आपके या आपके परिवार के सदस्यों के साथ कुछ बुरा हो जाएगा?

6.5 आप इन जोखिमों से कैसे बच सकते हैं?

बहुत सावधान रहें और यूरोपीय यूनियन में किसी भी ऐसी नौकरी, जो सुनने में बहुत अच्छी लग रही हो, को स्वीकार करने से पहले उसकी अच्छी तरह से पड़ताल कर लें। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि कोई प्रवासी तस्करी नेटवर्क अपना काम कर रहा है और आप उसके अलगे शिकार हो सकते हैं। कम समय के लिए या अधिक समय के लिए कानूनी रूप से यूरोपीय यूनियन के देशों में कैसे प्रवेश पाएं, इसकी जानकारी के लिए वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों से संपर्क करें और सरकारी वेबसाइट पर जाएं।

यदि आप अवैध भर्ती के शिकार होते हैं तो क्या करें?

भर्ती एजेंटों के खिलाफ डाक द्वारा या ई–मेल के माध्यम से pge@mea.gov.in पर शिकायत की जा सकती है। शिकायतें 16 प्रवासी संरक्षकों में से किसी के पास भी दर्ज कराई जा सकती हैं[31]। सहायता मांगने के लिए एक टोल–फ्री हेल्पलाइन नंबर, 1800-11-3090, पर भी कॉल किया जा सकता है। दुखी प्रवासी गंतव्य देश में भारतीय मिशन में फोन या ई–मेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकता है। भारतीय मिशन के बारे में संपर्क सूचना विदेश मंत्रालय की वेबसाइट (https://mea.gov.in/indian-missions-abroad-new.htm) पर उपलब्ध इंटरैक्टिव मैप पर मिल सकती है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया इस मैप पर दिखने वाले देश पर क्लिक करें।

इंटरैक्टिव मैप–विदेशों में भारतीय मिशन[30]

भारतीय मिशन A से Z

विदेशों में भारतीय मिशनों के बारे में विवरण देखने के लिए संबंधित देश पर क्लिक करें।

नोट: उपरोक्त मानचित्र को केवल आसान उपयोगकर्ता नेविगेशन प्रदान करने के लिए ग्राफिकल प्रतिनिधित्व के लिए रखा गया है और यह देशों की किसी भी राजनीतिक सीमाओं को प्रस्तुत या संबद्ध नहीं कर रहा है।

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y | Z

30. भारतीय मिशनों की पूरी लिस्ट यहाँ उपलब्ध है: https://igod.gov.in/int/INMISS/organizations
31. https://www.mea.gov.in/Images/attach/01-Overview-04-2024.pdf

यदि आप मानव तस्करी के शिकार हैं तो क्या करें?

यदि आप मानव तस्करी के शिकार हैं या आपके पास किसी संभावित तस्करी की स्थिति के बारे में जानकारी है, तो तुरंत स्थानीय पुलिस, संबंधित सरकारी एजेंसियों, दूतावास, ट्रेड यूनियन, गैर–सरकारी संगठन और प्रवासी संगठनों को मामले की रिपोर्ट करें। जैसे, यूरोपियन कमीशन की एंटी–ट्रैफिकिंग वेबसाइट में सदस्य देशों में संबंधित संपर्क जानकारी https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/together-against-trafficking-human-beings/national-hotlines_en पर दी गई है, साथ ही ईयू (EU) में मानव तस्करी के पीड़ितों के साथ काम करने वाले नागर समाज के संगठनों की भी एक सूची उपलब्ध है, जिसे इस लिंक https://home-affairs.ec.europa.eu/document/download/ce3caea2-9939-49e4-af1a-11191b368ac3_en?filename=EU-Civil-Society-Platform-participants_en.pdf पर क्लिक कर देखा जा सकता है

तालिका 4: यूरोपीय यूनियन में सुरक्षित और वैध प्रवास के लिए क्या करें और क्या न करें.

क्या करें	क्या न करें
अपने वीज़ा की प्रमाणिकता का पता लगाने के लिए गंतव्य देश के दूतावास से संपर्क करें। आप सीधे दूतावास से संपर्क कर सकते हैं और अपने पासपोर्ट की जानकारी देकर वीज़ा की स्थिति का पता लगा सकते हैं।	विदेश मंत्रालय के साथ उचित रूप से पंजीकृत न होने वाले भर्ती एजेंसियों में आवेदन न करें।
अपने कार्य अनुबंध की मूल प्रति देने और प्रति संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित हो, इस पर ज़ोर दें।	किसी भी ऐसे व्यक्ति से बातचीत न करें जो लाइसेंसधारी एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि न हो।
भारत छोड़ने से पहले अपने कार्य अनुबंध के साथ– साथ अपने पासपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां परिवार को दें।	यदि आप कानूनी तरीके से जाना चाहते हैं तो काम करने के उद्देश्य से आगंतुक, पर्यटक या छात्र वीज़ा न लें। एक बार जब आर यूरोपीय यूनियन के देश में पहुँच जाएंगे, तब कानूनी प्रवासी कामगार के रूप में नियमित होने में आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
	भारत में या गंतव्य देश में पहुँचने के बाद, किसी भी स्थिति में कोरे कागजडों पर हस्ताक्षर न करें। यदि आपको कोरे कागज़ों पर हस्ताक्षर करने के लिए राज़ी किया जाता है या मज़बूर किया जाता है तो कृपया इसकी जानकारी आगामी 24 घंटों के भीतर नज़दीकी पुलिस स्टेशन और भारतीय दूतावास को दें।
	मान्यताप्राप्त भर्ती एजेंसियों को आप्रवासन अधिनियम,1983 के तहत निर्धारित सेवा शुल्क से अधिक फीस की भुगतान न करें। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की रिपोर्ट संबंधित दूतावास या विदेश मंत्रालय को करें।
	जब तक आपको वैध रोजगार अनुबंध या आधिकारिक रसीद न दे दी जाए, तब तक सेवा शुल्क या प्लेसमेंट फीस का भुगतान न करें।

07

यूरोपीय यूनियन में रहना

7.1 सांस्कृतिक भिन्नताओं के लिए तैयार रहना

सांस्कृतिक सदमा वह प्रतिक्रिया है जिसका सामना तब होता है जब आप एक नए संस्कृति माहौल में आते हैं। विदेश में रहने की दिक्कतें जैसे भाषा की समस्या, सामाजिक संकेतों का अभाव और जानी–पहचानी जगहों का न होना, सामने आ सकती हैं। इससे निराशा, गुस्सा और नींद न आने की समस्या हो सकती है। यह न जानना कि सड़क कहाँ से और कब पार करनी है, या बाज़ार तक वापस जाने का रास्ता कैसे पता करना है, इससे आपको परेशानी हो सकती है। आप बेचैन या अकेला महसूस कर सकते हैं, और इस पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका यह हो सकता है कि आप परिवार से जुड़े रहें, नए दोस्त बनाएं और देश भर में घूमें।

सांस्कृतिक सदमे की तैयारी का पहला कदम यह जानना है कि यह क्या है। अपने गंतव्य देश के बारे में जितना हो सके उतना जानकारी जुटा लें। आपको ऐसे रीति–रिवाज़ या तौर–तरीके मिलेंगे जो आपके लिए नए होंगे।

यूरोपीय यूनियन के देशों में आमतौर पर एकल परिवार होते हैं। अक्सर, बच्चे 18 वर्ष के होने के बाद माता–पिता से अलग रहने लगते हैं और वे कम उम्र में ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन जाते हैं। इसके कारण, उनके फैसलों में अक्सर परिवार की राय शामिल नहीं होती है और युवाओं एवं बुजुर्गों, पुरुषों एवं महिलाओं के बीच रिश्ते अलग एवं अधिक बराबरी वाले होते हैं। इसके साथ तालमेल बैठाने में आपको थोड़ा समय लग सकता है। इसके अलावा, और भी कई अंतर होंगे और अलग–अलग लोगों से बात करना, उनके रहन–सहन को देखना और उससे सीखना आपके लिए लाभकारी होगा। यूरोपीय संस्कृति की बारीकियों के बारे में जानने और बड़े–बड़े अंदाज़े लगाने या रूढ़ीवाद का प्रयोग करने से बचने के लिए, सांस्कृतिक जिज्ञासा विकसित करना भी फायदेमंद रहता है।

यूरोपीय यूनियन के किसी देश में रहने की जगह ढूंढ़ने, स्कूल ढूंढ़ने, कर, रहने का खर्च, स्वास्थ्य, सामाजिक कानून, योग्यता की तुलना वगैरह से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए आप यूरस (EURES) पोर्टल पर उपलब्ध लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वाली वेबपेज देख सकते हैं[32]।

7.2 यूरोप में संस्कृति

यूरोपीय मान्यताओं के बारे में आप कितना जानते हैं?

यूरोपीय यूनियन की मूलभूत मान्यताएं हैं–व्यक्ति की गरिमा और मानवाधिकारों का सम्मान करना, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता और कानून का पालन[33], और ये सभी प्रवासियों पर भी लागू होती हैं।

व्यक्ति की गरिमा: हर किसी का सम्मान किया जाना चाहिए और यह अनुल्लंघनीय है।

स्वतंत्रता: इसमें निजी जीवन और निजता का सम्मान, विचारने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी, स्वतंत्र हो कर एक स्थान पर जमा होने, खुद को व्यक्त करने और जानकारी साझा करने की आज़ादी शामिल है।

लोकतंत्र: लोग अपने नेताओं के लिए वोट करते हैं और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों के विचारों को सुनते हैं।

समानता: कानून के सामने सभी नागरिकों को बराबर अधिकार हैं। यह सिद्धांत महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता, समान काम के लिए समान वेतन आदि तक पर लागू है। महिला नेतृत्व के उदाहरण बढ़ रहे हैं। आपके बॉस और सुपरवाइज़र एक महिला हो सकती हैं।

विधि– नियम : यूरोपीय यूनियन कानून के शासनाधीन है। यूरोपीय यूनियन जो कुछ भी करता है वह उन संधियों पर आधारित होता है जिन पर इसके सदस्य देशों ने स्वेच्छा से और लोकतांत्रिक तरीके से सहमति जताई है। स्वतंत्र न्यायपालिका न्याय की स्थिति बनाए रखती है।

32. https://eures.europa.eu/living-and-working/living-and-working-conditions-europe_en
33. ज़्यादा जानकारी यहाँ उपलब्ध है: https://ec.europa.eu/component-library/eu/about/eu-values/.

मानवाधिकार: मानवाधिकारों को यूरोपीय यूनियन के मौलिक अधिकार पत्र द्वारा सुरक्षित किया जाता है। इसमें लिंग, नस्ल या जातीय मूल, धर्म या विश्वास, विकलांगता, उम्र या यौन रुझान के आधार पर भेदभाव मुक्त अधिकार, आपके व्यक्तिगत आंकड़ों की सुरक्षा का अधिकार और न्याय पाने का अधिकार शामिल है। यदि कोई मर्द घर पर पति के होने की बात करे तो हैरान न हों।

यूरोपीय यूनियन में कार्यस्थलों पर बहुत अधिक पेशेवराना रवैया अपनाया जाता है, और हर किसी से अपेक्षा की जाती है कि वह दिए गए काम को पूरा करे। समय का बहुत सख्ती से पालन किया जाता है और भले ही कानून के अनुसार ओवरटाइम करने पर भुगतान किया जाता है लेकिन इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाता और न ही ओवरटाइम करना वहाँ सामान्य है।

पेशेवर कार्यों और व्यक्तिगत जीवन के बीच उचित संतुलन बनाए रखना ज़रूरी माना जाता है। उम्मीद की जाती है कि सभी के साथ बराबरी और सम्मान के साथ पेश आया जाएगा और पुरुषों एवं महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।

7.3 अपनी सेहत का ख्याल रखना

क्या आप यूरोपीय यूनियन के देश में सफ़र करने और रहने के लिए तंदुरुस्त हैं?

आपको नौकरी का अनुबंध दिए जाने से पहले मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप नौकरी के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त हैं और यह जानने के लिए कि आपके स्वास्थ्य की स्थिति देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा तो नहीं है। आपको कुछ विशेष टीके लगवाने के लिए कहा जा सकता है, और इन खर्चों काक भुगतान नियोक्ता को करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी यात्रा के दौरान आपको कवरेज मिल सके, आपको अपने टिकट के साथ ट्रैवल इंश्योरेंस (यात्रा बीमा) ज़रूर करवाना चाहिए।

यदि आप यूरोपीय यूनियन में बीमार पड़ जाएं तो क्या होगा?

यूरोपीय यूनियन में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य है। इसलिए, सभी भारतीय प्रवासियों, जो यूरोपीय यूनियन में रह रहे हैं, के पास स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए जो यूरोपीय यूनियन में प्रवेश करने के दिन से ही शुरू हो जाए।

आमतौर पर, आपका नियोक्ता आपके लिए बीमा खरीदेगा। जिसमें सामान्य रूप से आपातस्थिति, अस्पताल में भर्ती करने का खर्च, आउटपेशेंट केयर, डॉक्टर द्वारा बताई गईं दवाएं, थेरेपी, मटर्निटी और प्रयोगशाला जांच शामिल होंगे। कवरेज की राशि आपके नियोक्ता द्वारा दिए गए स्वास्थ्य बीमा योजना और साथ ही यूरोपीय सदस्य देश के कानून पर निर्भर करती है। अल्पकालिक श्रमिक अपनी भारतीय योजना को उन यूरोपीय देशों के लिए भी लागू करवा सकते हैं जहाँ वे काम करने वाले हैं।

कोविड-19 महामारी जैसी स्वास्थ्य आपातस्थिति की वजह से यात्रा के लिए कुछ और शर्तें लगाई जा सकती हैं। अपनी यात्रा से पूर्व किसी भी बदलाव के बारे में नवीनतम जानकारी रखें।

7.4 आवास और आवास से जुड़े खर्चे

यूरोपीय यूनियन में अपार्टमेंट ढूंढ़ना मुश्किल और तनावपूर्ण हो सकता है। सबसे अच्छा होगा कि आप भारत से निकलने से पहले किराए की जगह ढूंढ़ना शुरू कर दें या इस काम के लिए कुछ खाली समय निकाल लें। आपको यूरोपीय यूनियन में किराए से संबंधित मूलभूत तरीकों और शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे–आपको किराए के अलावा आवास खर्च के बारे में भी पता होना चाहिए। सामान्य तौर पर, यूरोप में, किराया और घर से जुड़े खर्च जैसे बिजली, हीटिंग, गैस आदि पर औसत परिवार की शुद्ध आय का बड़ा हिस्सा खर्च होता है। यह जानना ज़रूरी है कि किराए में कचरा फेंकने, सफ़ाई और कभी–कभी वाई–फ़ाई, पानी बिजली और हीटिंग जैसे अतिरिक्त खर्चे शामिल हैं या नहीं। अपने नए देश में दोस्तों या सहकर्मियों से सहायता मांगना सबसे अच्छा रहेगा।

किराया अलग–अलग इलाकों और शहरों में बहुत अलग होता है और यह रपहने की जगह कैसी है, इस पर निर्भर करता है। यह बहुत महंगा हो सकता है, विशेष रूप से बड़े शहरों में जहाँ कई प्रवासी किराया बचाने के लिए एक साथ रहते हैं। बेशक, छोटे शहरों और ग्रामीण

इलाकों में किराया कम होता है, खासकर दक्षिणी और पूर्वी यूरोप में। ज्यादातर मामलों में, घर किराए पर लेने के लिए आपसे डिपॉज़िट जमा करने के लिए कहा जाएगा। डिपॉज़िट एक से तीन महीने के किराए के बराबर हो सकता है।

आवास से जुड़े सवाल

- क्या आपका नियोक्ता या दोस्त आपको घर ढूंढ़ने में सहायता करेगा?
- आपको शेयरिंग वाला कमरा मिलेगा या अलग (सिंगल) कमरा मिलेगा?
- क्या आपको ऑफिस में ही रहना होगा? आपके रूममेट्स कौन हैं?
- क्या भुगतान करने से पहले आप अपना कमरा देख सकते हैं?
- गंतव्य देश में प्रवासी के रहने का सामान्य खर्च कितना होता है?
- क्या घर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दूर है? कार्यस्थल से घर कितना दूर है?
- आपको एक, दो या तीन– कितने महीने का किराया एडवांस के रूप में देना होगा?
- क्या आपने जो कमरा ऑनलाइन ढूंढ़ा था वह एक स्कैम है? आपके दोस्त और नियोक्ता आपकी सहायता कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन कमरे/ घर उपलब्ध करवाने वाले हमेशा विश्वसनीय नहीं हो सकते।

ध्यान दें

आपको अपने साथ तीन महीने के किराए, खाने, कपड़ों और परिवहन जैसे रहने के खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे लाने होंगे। जब आप यह तय कर रहे हों कि कितने पैसे लाने हैं, तो यह जानना अच्छा होगा कि यूरोपीय यूनियन के जिस हिस्से में आप रहने की योजना बना रहे हैं, वहाँ रहने का खर्च कितना है।

7.5 भारतीय दूतावास को सूचित रखना

आपको जिस देश में जाना है, वहाँ भारतीय दूतावास में पंजीकरण करने की सलाह दी जाती है। इससे दूतावास को आपकी मौजूदगी के बारे में पता चलता है और आपातस्थिति में वे आपसे संपर्क कर सकते हैं। यदि उस देश में कोई दूतावास नहीं है तो किसी दूसरे देश में सबसे नज़दीकी दूतावास का पता लगाएं। दूतावासों का पता लगाने के लिए विदेश मंत्रालय की वेबसाइट (https://mea. gov.in/indian-missionsabroad-new.htm) पर देखें।

7.6 घूमना– फिरना

यूरोपीय यूनियन के ज्यादातर देशों में सार्वजनिक परिवहन (पब्लिक ट्रांसपोर्ट) व्यवस्था बहुत अच्छी है और आमतौर पर आपको निजी वाहनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई देशों के उलट जहाँ कार रखना स्टेटस सिंबल माना जाता है, वहीं यूरोप के बड़े शहरों में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करना पसंद करते हैं। नीदरलैंड्स जैसे देशों में, परिवहन साधन के रूप में साइकिल का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। यूरोपीय यूनियन के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से शहर से जुड़े हुए हैं। अपने गंतव्य का नक्शा साथ रखें ताकि आप स्थानीय सार्वजनिक परिवहन ढूंढ़ सकें क्योंकि यह निजी टैक्सी से कहीं अधिक किफायती विकल्प हो सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस

यदि आप अपनी खुद की कार लेना चाहते हैं तो आपको अपने मेज़बान देश में वैध ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होगी। यूरोपीय यूनियन का ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आपको निम्नलिखित काम करने होंगे:

1. सामान्य रूप से आप ईयू एमएस (EU MS) के देश में रहते हैं जहाँ आप आवेदन कर रहे हैं
2. न्यूनतम उम्र शर्तों को पूरा करें
3. न्यूनतम चिकित्सा शर्तों को पूरा करें
4. ड्राइविंग टेस्ट पास करें

यूरोपीय यूनियन में मान्य वैध ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए ज़रूरी सभी प्रक्रियाओं के बारे में पूरी जानकारी https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving-licence/get-driving-licence/index_en.htm पर उपलब्ध है।

सबसे बड़ी रुकावट जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है वह है भाषा, क्योंकि आपको स्थानीय भाषा में समझ एवं वाक्पटुता के साथ परीक्षा पास करनी होगी।

7.7 अपने पैसा का प्रबंध करना

यदि आप यूरोपीय वेतन को सीधे भारतीय रुपये में बदलते हैं तो वे भारतीय प्रवासी मज़दूरों को बहुत ज्यादा लग सकती है लेकिन आपको यूरोप में रहने के खर्च को भी ध्यान में रखना होगा। सभी मूलभूत खर्चों को घटाने के बाद, आपको रोज़ाना गुज़ारा करना होगा और आपको पता चल जाएगा कि आप उम्मीद से बहुत कम पैसे बचा पाएंगे। इसलिए, यह ज़रूरी है कि आप अपने पैसे का प्रबंधन करने और अपनी वापसी एवं फिर से बसने की योजना बनाने के लिए रहने के खर्चे के बारे में जानते हों।

यूरोप के अलग–अलग देशों में आपको रहने और काम करने की अलग–अलग स्थितियाँ मिलेंगी और कभी–कभी, एक ही देश में, कुछ इलाके रहने के लिए अधिक महंगे होते हैं और कुछ सस्ते।

क्षेत्रीय स्तर पर, यूरोपीय यूनियन के दक्षिणी और पूर्वी देश ज्यादा गरीब हैं और उनके पास प्रवासन संबंधी नियम सरल हैं। इसके अलावा, उत्तरी और मध्य यूरोपीय देशों की तुलना में यहाँ घर, वेतन और रहने का खर्च कम है। इसके उलट, उत्तरी और मध्य यूरोपीय देशों में, प्रवासियों को अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं और वे अधिक विकसित कल्याण व्यवस्था पर विश्वास कर सकेत हैं, लेकिन उन्हें प्रवेश के सख्त नियमों और पहुँचने पर अधिक खर्च जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मामलों में यह अक्सर बहुत महंगा होता है।

यूरोपीय यूनियन में सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली मुद्रा यूरो है, और यूरोपीय यूनियन के 20 सदस्य देशों में[34] यूरो को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप यूरोपियन सेंट्रल बैंक की वेबसाइट पर यूरो की एक्सचेंज रेट देख सकते हैं[35]।

जब भी आप इन 20 देशों में से किसी भी देश में आएं तो अपने साथ बहुत कम मात्रा में यूरो या दूसरे देशों की मुद्रा ले कर आएं, यदि वह भारत में उपलब्ध हो। आप अपना क्रेडिट कार्ड या एटीएम (ATM) कार्ड भी ला सकते हैं। यूरोप में कार्ड का प्रयोग बहुत सामान्य है, और ज्यादातर जगहों पर अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट और डेबिट कार्ड चल जाते हैं। नकद निकालने पर अधिक फीस लग सकती है और इस बारे में भारत में अपने स्थानीय बैंक से पता करना सबसे अच्छा रहेगा।

एक बार जब आप ईयू (EU) में पहुँच जाएंगे और सेटल हो जाएंगे तो आपको एक आवास परमिट मिलेगा, जिसके और भी कई फायदे हैं, जैसे कि आप राष्ट्रीय डाकघर में अपना खाता खोल पाएंगे और डेबिट कार्ड (प्रीपेड) के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह नकद जमा करने और निकालने एवं आपके रोज़मर्रा के खर्चों (टिकट, खरीददारी, बिल आदि) के लिए ऑनलाइन भुगतान करने में काम आता है। यूरोपीय यूनियन में क्रेडिट कार्ड बहुत महंगे पड़ते हैं।

34. https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/euro/countries-using-euro_en
35. अधिक जानकारी इस लिंक पर मिलेगी https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/using-euro/index_en.htm

7.8 भारत में पैसे भेजना

बहुत से लोग घर पैसे भेजने के बारे में सोचते हैं क्योंकि यूरो में थोड़ी सी रकम भी भारतीय रुपये में बहुत अधिक हो सकती है और इससे उनके परिवारों को खर्चों को पूरा करने में सहायता मिलती है। आप अपने भविष्य के लिए पैसे बचाने के लिए भी घर पैसे भेज सकते हैं। कुछ सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए, जैसे:

- आपकी गैरमौजूदगी में भारत में आपके परिवार की वित्तीय ज़रूरतें क्या हैं?
- आप उन्हें कितना पैसा भेजना चाहेंगे और कितने समय अंतराल पर?
- क्या आपका कोई कर्ज़ है जिसे चुकाया जाना है?
- भारत में यह पैसा किसे मिलने वाला है? क्या उस व्यक्ति का बैंक खाता है? देश छोड़ने से पहले आप उन सभी के बैंक खाते का विवरण ले लें, बैंक कोड के साथ, जिन्हें आप पैसे भेजने वाले हैं।
- क्या आप अपना पैसा अपने नाम से विदेशी मुद्रा में रखना चाहते हैं? ऐसा करने के लिए, क्या आप एनआरआई (NRI) खाता भी खोल सकते हैं?

भारत में पैसा भेजने के तरीके को चुनते समय इन बातों का ध्यान रखें।

अंतरराष्ट्रीय धन अंतरण

क्या आप भारत में अपने परिवार या अपने बैंक खाते में पैसा भेजना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए कई अलग–अलग विकल्प हैं। आप बैंकिंग सेवाओं, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर सेवाओं, ऑनलाइन पेमेंट साइट्स या फिनटेक के माध्यम से डिजिल भुगतान कर भारत में पैसा भेज सकते हैं।

बैंक ट्रांसफर (बैंक के माध्यम से पैसे भेजना)

यूरोप के बैंकों के जरिए, यदि उनमे आपका खाता हो, ही बैंक ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक खाता संख्या (IBAN) और बैंक आइडेंटिफायर कोड (BIC) या सोसायटी ऑफ वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशल टेलीकम्युनिकेशन कोड (स्विफ्ट (SWIFT)) की जरूरत होगी। इस ट्रांसफर में कई सप्ताह लग सकते हैं और इसमें खर्च भी अधिक आता है। यह तब लाभकारी हो सकता है जब आप कम लेकिन बड़े ट्रांसफर कर रहे हों।

पैसे भेजने वाली एजेंसियां: वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम जैसी कंपनियों के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने में केवल कुछ मिनटों का समय लगता है लेकिन ये बहुत महंगे हो सकते हैं। भेजी जाने वाली

विकल्प चुनते समय पूछे जाने वाले सवाल:

- पैसे भेजने में कितना खर्च आएगा?
- आपको क्या एक्सचेंज रेट दिया जा रहा है?
- गंतव्य तक पैसा कितने समय में पहुँचेगा?
- तरीका कितना सुरक्षित है?
- आपके लिए पैसा भेजना और पाने वाले के लिए पैसे पाना कितना आसान है?

रकम का 3 प्रतिशत, 20 प्रतिशत या कभी–कभी 50 प्रतिशत राशि तक शुल्क के रूप में देना पड़ सकता है। पैसे पाने वाले व्यक्ति को आपके बताए गए कार्यालय में पहचान पत्र दिखाना होगा। ट्रांसफर का खर्च कमीशन, एक्सचेंज रेट और ट्रांसफर शुल्क के हिसाब से अलग–अलग होती है।

डिजिटल सेवाएं: पैसे ट्रांसफर करने के लिए कई मोबाइल और इंटरनेट–आधारित सेवाएं तेज़ी से उपलब्ध हो रही हैं। ऐप्स के माध्यम से ऑनलाइन अकाउंट खोले जा सकते हैं, और पैसे तुरंत जमा किए और भेजे जा सकते हैं। क्योंकि ये पूरी तरह से डिजिटल हैं, इसलिए इनमें कमीशन कम लगता है और समय भी। पैसे पाने वाले को बैंक ट्रांसफर, मोबाइल मनी वॉलेट या कैश पिक–अप के जरिए पैसे मिलते हैं। यूरोप में, कुछ जानी– मानी सेवाएं हैं– Wise, WorldRemit और Remitly, यह क्षेत्र बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है।

बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है और चूंकि भारत एवं कुछ यूरोपीय यूनियन के देश अभी भी इनसे संबंधित नियम बनाने की प्रक्रिया में हैं इसलिए इंतज़ार करना और इन मुद्राओं के बारे में अधिक जानकार होना सबसे अच्छा तरीका हो सकता है।

सुरक्षा कारणों से नकद साथ ले जाना कभी भी अच्छा विकल्प नहीं माना जाता है। विभिन्न देशों में नकद लाने या ले जाने की सीमा भी होती है। आप यूरोपीय यूनियन के देशों में 10,000 यूरो (या दूसरी मुद्रा में इसके बराबर) नकद ला या ले जा सकते हैं। आप बिना बताए लगभग 4,000 यूरो (5000 डॉलर के बराबर) भारत ला सकते हैं; बता कर लाने में धनराशि पर कोई सीमा नहीं है। अनौपचारिक या बिना पंजीकृत बिचौलियों के ज़रिए नकद का हस्तांतरण करना जोखिम भरा, असुरक्षित है और इससे बचना ही बेहतर है।

7.9 बीमा

उचित यात्रा और व्यापक स्वास्थ्य बीमा कराएं जो आपके किसी भी अचानक होने वाले खर्च को कवर करे। सुनिश्चित करें कि आपने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए चिकित्सीय सलाह ली हो, आपने नवीनतम टीकाकरण करवा लिया हो और यदि आप भारत से फार्मास्युटिकल उत्पादों या दवाएं ले जा रहे हैं तो सुनिश्चित कर लें कि उक्त उत्पाद/दवाओं को ले जाने की यूरोपीय यूनियन में अनुमति है।

7.10 भोजन

यूरोप में खाने–पीने की आदतें इलाके और सामाजिक श्रेणी के हिसाब से भिन्न होती है और वहाँ का खाना भारत में सामान्य रूप से खाए जाने वाले खाने से बहुत अलग होता है। नाश्ते और रात के खाने दोनों में मुख्य रूप से ब्रेड खाया जाता है। सुबह के नाश्ते में सामान्यतया क्रॉसान या अलग–अलग तरह के रोल्स होते हैं जबकि रात के खाने में आमतौर पर ब्रेड, मीट, चीज़ और शायद सलाद रहता है। सब्जियों का प्रयोग अक्सर सूप या स्टू (उबाल कर पकाया जाने वाला भोजन) में किया जाता है लेकिन इन्हें पूरक व्यंजन (साइड डिश) के रूप में परोसा जाता है। वहाँ मांस खाना सामान्य बात है। आलू के साथ– साथ चावल, पास्ता और नूडल्स बहुत लोकप्रिय भोजन हैं। हालांकि, यूरोप में खाने की आदतों में काफी अंतर भी हैं, चाहे वह खाने की चीजों की बात हो या खाने के समय की। ज्यादातर यूरोपियन लोग सुपरमार्केट या बेकरी और कसाई के दुकानों जैसी विशेष दुकानों से भोजन सामग्री खरीदते हैं लेकिन कई जगहों पर आपको खाद्य वस्तुओं के बाज़ार भी मिलेंगे। प्रवासी यूरोपियन रेस्त्रां में विविधता लाते हैं और यदि आप चाहें तो आपको ग्रीक, इटैलियन, टर्किश और एशियन रेस्त्रां मिल सकता है।

यूरोपियन खाने में भारतीय खाने जितने अधिक और अलग– अलग मसालों का प्रयोग नहीं किया जाता और कभी–कभी भारतीयों के लिए यूरोपीय खाना खाना मुश्किल हो जाता है। नियमित रूप से अच्छा भारतीय खाना मिलना भी यूरोप के देशों में मुश्किल है। हालांकि यूरोप के बड़े शहरों में कई भारतीय रेस्त्रां हैं लेकिन ऐसा रेस्त्रां ढूंढ़ना जो आपके बजट में हो, जिसमें असली स्वाद हो और जिसमें आपकी पसंद का खाना भी मिलता हो, यह अभी भी एक मुश्किल काम है।

भारतीय या एशियाई दुकानों में कुछ भारतीय चीजें मिल सकती हैं लेकिन हो सकता है कि उनके पास बहुत ज्यादा वैरायटी न हो। डिब्बा बंद खाना ले जाने की बजाय बेहतर होगा कि आप ऐसे मसाले ले जाएं जो आपको आसानी से वहाँ नहीं मिलेंगे। चावल, दालें और आम सब्जियां सुपरमार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती हैं और आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान खरीद सकते हैं। कृपया ध्यान रखें कि आपको भारत से यूरोपीय यूनियन के देश में किसी भी प्रकार का मांस या डेयरी उत्पाद लाने की अनुमति नहीं है[36]।

36. ईयू (EU) में भोजन ले जाने के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/ carry/meat-dairy-animal/index_en.htm. उपलब्ध है

7.11 पावर प्लग और वोल्टेज

यदि आप भारत से अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या अप्लायंसेज लाते हैं तो ध्यान रखें कि हालांकि यूरोपियन इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड भारत जैसा ही है (230 वोल्ट (50Hz) ए.सी (AC), यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों में प्रयोग किए जाने वाले प्लग के प्रकार अलग हो सकते हैं (और वे सदस्य देशों में भी अलग– अलग हो सकते हैं)। आपको एक एडॉप्टर की ज़रूरत पड़ सकती है या आपको लोकल सॉकेट के हिसाब से डिवाइस खरीदना पड़ सकता है।

7.12 मौसम

यूरोप में जलवायु आमतौर पर समशीतोष्ण (यानि न बहुत अधिक ठंड ना बहुत अधिक गर्मी) रहता है। पश्चिम और मध्य यूरोप के अधिकांश हिस्सों की जलवायु समुद्री होती है जिसकी वजह से ऐसे प्रदेशों में गर्मी कम पड़ती है, सर्दियों में ठंड अधिक होती है और अक्सर आसमान में बादल छाए रहते हैं। दक्षिण यूरोप के मौसम की विशेषता है उसका भूमध्यसागरीय जलवायु– इसमें गर्म, सूखी गर्मी पड़ती है, सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है और बारिश भी होती है। हालांकि, कई बार कुछ देशों में मौसम थोड़ा अप्रत्याशित हो सकता है। इसलिए आपको अपने साथ कुछ गर्म कपड़े, अच्छे जूते, बारिश से बचने का सामान, छाता वगैरह अपने साथ रखना चाहिए।

7.13 दवाएं

अगर आप अपने साथ दवाएं ला रहे हैं तो उन्हें उनके मूल, स्पष्ट लेबल वाले कंटेनर में ही लाएं। आपको अपने डॉक्टर के हस्ताक्षर वाला जिस पर तारीख लिखी हो, पत्र भी लाना होगा जिसमें आपकी चिकित्सीय स्थिति और दवाओं के बारे में लिखा गया हो। यदि आप अपने साथ सीरिंज या सुई ले जा रहे हैं तो सुनिश्चित कर लें कि आपके पास डॉक्टर का पत्र हो और उस पत्र में उन सीरिंजों की ज़रूरत बताई गई हो। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस और चश्मा का प्रयोग करते हैं तो उनकी एक अतिरिक्त जोड़ी साथ रखें एवं अपने चश्मे की पर्ची भी साथ ले कर जाएं।

7.14 महत्वपूर्ण दस्तावेजों का प्रबंधन

- अपने पासपोर्ट (वीज़ा वाले पन्ने समेत), बीमा नीति, ट्रैवलर्स चेक, वीज़ा और क्रेडिट कार्ड नंबरों की प्रतियां बना लें। इन सब की एक प्रति मूल प्रति से अलग रकें और एक प्रति घर में किसी सदस्य को दे कर जाएं।
- अपने पासपोर्ट को सुरक्षित रखें और यदि वो गुम हो जाए, चोरी कर ली जाए या खराब हो जाए तो तत्काल इसकी रिपोर्ट करें। अपने साथ अपनी अतिरिक्त पासपोर्ट आकार की फोटो रखें। यदि आपका पासपोर्ट चोरी हो जाता है या गुम जाता है और आपको घर से दूर उन्हें बदलने की जरूरत पड़ती है तो यह काम आएगी।
- यदि आप यूरोपीय यूनियन के किसी भी देश में अच्छे–खासे समय तक रुकने वाले हैं, तो भारत छोड़ने से पहले या गंतव्य देश में पहुँचने के तुरंत बाद स्थानीय भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण कराएं ताकि आपको बेहतर दूतावास सहायता और अपडेट प्राप्त हो सके।
- भारत छोड़ने से पहले आपके पास अपने नियोक्ता का पूरा नाम, पता, टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर होना चाहिए। साथ ही आपके पहुंचने वाले हवाईअड्डे से आपके घर तक पहुंचने का रास्ता भी पता होना चाहिए।
- यदि आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है तो तत्काल नज़दीकी भारतीय दूतावास या वाणिद्य दूतावास में इसकी रिपोर्ट करें और उन्हें ज़रूरी जानकारी दें, जैसे पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट जारी होने की तिथि और स्थान, आपका नाम और जिस देश में आप काम कर रहे हैं, वहां आपके प्रवेश की तिथि। आप ये सारा विवरण तभी दे पाएंगे जब आप अपने पासपोर्ट की प्रति किसी सुरक्षित जगह पर रखेंगे। यदि देश में कोई दूतावास नहीं है तो पता लगाएं कि सबसे पास के किस देश में दूतावास है। आप निम्नलिखित वेबसाइट: https://www.mea.gov.in/indian-missions-abroad-new.htm. पर जाकर भारतीय दूतावास का पता लगा सकते हैं।
- अपने रोजगार अनुबंध की प्रति को गुम न होने दें। उसकी प्रतियां बना लें और हमेशा अपने साथ रखें। उसकी अतिरिक्त प्रतियां अपने दोस्तों को दे कर रखें।

7. 15 यूरोप की भाषाएं

यूरोपीय संघ में काम करने और रहने के अच्छे अनुभव के लिए स्थानीय भाषा की जानकारी शायद सबसे ज़रूरी है और कई मामलों में विशेष स्तर की भाषा आना ज़रूरी हो सकता है। आप भारत छोड़ने से पहले भाषा सीखने के बारे में विचार कर सकते हैं। दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी यात्रियों द्वारा और व्यवसाय के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है लेकिन यह लंबे समय तक वहां रहने के लिए पर्याप्त नहीं होगी विशेषरूप से काम से जुड़े अनुभवों के लिए।

भाषा सीखना

भाषा के कोर्स कई सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों जैसे विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक केंद्रों और निजी भाषा स्कूलों में उपलब्ध हैं। ऐसी कक्षाएं किसी देश की संस्कृति और व्यवस्था के बारे में जानने की जगह भी बन जाती हैं और आपको दोस्त बनाने एवं बेहतर तरीके

आपकी भाषा कौशल को साबित करने के लिए आमतौर पर इनमें से किसी एक दस्तावेज़ को स्वीकार किया जाता है

गेटे संस्थान (गोएथे –इंस्टीट्यूट) जैसी किसी मान्यताप्राप्त भाषा संस्थान द्वारा दिया गया भाषा प्रमाणपत्र।

आपके मेज़बान देश की भाषा (ओं) में मिली योग्यता की प्रति।

आपके मेज़बान देश में पिछले पेशेवर अनुभव का प्रमाण।

आपके मेज़बान देश की भाषा (ओं) में पढ़ाई गई विश्वविद्यालयी डिग्री।

यदि आप इनमें से कोई भी दस्तावेज़ नहीं दे पाते हैं तो आपको साक्षात्कार या परीक्षा (मौखिक और/या लिखित) देनी पड़ सकती है।

से घुलने– मिलने में सहायता करती हैं। कोई भी नई भाषा धाराप्रवाह बोलने और लिखने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यूरोप में रहते हुए अपनी भाषा कौशल को बेहतर बनाने के कुछ तरीके नीचे दिए जा रहे हैं:

- स्थानीय अख़बार और पत्रिकाओं को पढ़कर, टेलीविज़न शो और फ़िल्में देखकर एवं रेडियो सुनकर भाषा की शब्दावली और ध्वनियों को जानें। आप जितनी ज्यादा स्थानीय भाषा बोलते हुए सुनेंगे, उतनी ही तेज़ी से आप उसे सीख पाएंगे।
- जितना हो सके लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलें। अपने सहकर्मियों, पड़ोसियों, दोस्तों, दुकानदारों आदि से उनकी भाषा में बात करें।
- यदि आपके पास अतिरिक्त पैसा है तो भाषा सीखने के लिए प्राइवेट वन–ऑन–वन क्लास लेने के बारे में विचार करें। इसका खर्चा आमतौर पर 15 यूरो प्रति घंटे से शुरू होता है।

7.16 प्रवासियों के अधिकार और ज़िम्मेदारियां

नौकरी करने वालों को, नियम के अनुसार, जिस देश में वे जाते हैं, वहां कर, सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, सार्वजनिक आवास, बेरोज़गारी सुरक्षा आदि के लिए भुगतान करना होता है और आपको भी ये भुगतान करना होगा। आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं और जिस देश में रहते हैं, उसके आधार पर ये भुगतान आमतौर पर आपकी कुल आमदनी का लगभग 40–50 प्रतिशत होगा। हालांकि,

नियोक्ता आमतौर पर इस लागत का आधा हिस्सा देता है जिसका मतलब है कि आपका योगदान आपकी आमदनी का लगभग 20 प्रतिशत होगा।

प्रवासियों के अधिकार और ज़िम्मेदारियां:

- सामाजिक सुरक्षा
- पेंशन
- ट्रेड यूनियन की सदस्यता

7.16.1 सामाजिक सुरक्षा

यूरोपीय यूनियन के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही देश के सामाजिक सुरक्षा कानूनों के दायरे में आ सकता है और उसे अपने सामाजिक सुरक्षा योगदान उसी देश में करने होंगे। सामान्यतया, जिस देश में व्यक्ति मूल रूप से काम करता है (कर्मचारी या स्व–रोज़गार के रूप में), उसी देश के कानून लागू होते हैं और योगदान भी वहीं करना होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कहाँ रहता है (जैसे, यदि वो काम पर आने के लिए रोज़ाना सफ़र करता हो) या उसका नियोक्ता कहाँ रहता है।

अल्पकालिक स्थानांतरण पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, उन्हें यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों में सामाजिक सुरक्षा की सभी शाखाओं में योगदान नहीं देना पड़ सकता है, यदि भारत और उस देश के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौता है तो। सामाजिक सुरक्षा समझौता की सूची के लिए कृपया दिए गए लिंक: https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/26465/Social_Security_ Agreements पर क्लिक करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने भविष्य निधि के पैसे रख सकें, आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। यह सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल सकता है। भारत सरकार से क्लीयरेंस सर्टिफिकेट पाने के लिए इस लिंक पर https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php जाएं।

7.16.2 पेंशन

ज्यादातर प्रवासी यूरोपीय यूनियन के देशों में पेंशन (सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ) के पात्र नहीं होंगे जब तक कि उनके पास दीर्घकालिक निवास (लॉन्ग–टर्म रेजिडेंसी) न हो। पात्रता अवधि यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों में अलग–अलग होती है। जैसे, जर्मनी में न्यूनतम पात्रता अवधि पांच वर्ष की है और इटली में यह 10 वर्ष और स्पेन में 15 वर्ष की। हालांकि, यदि आप यूरोपीय यूनियन के ऐसे सदस्य देश में जा रहे हैं जिसका भारत के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता है और यदि आपने भारत छोड़ने से पहले क्लीयरेंस सर्टिफिकेट ले लिया है तो आप अपने भविष्य निधि में योगदान जारी रख सकते हैं और उसके परिपक्व (मेच्योर) होने पर लाभ उठा सकते हैं।

7.16.3 ट्रेड यूनियन की सदस्यता

ट्रेड यूनियन ऐसी सदस्यता वाले समूह या संगठन होते हैं जो मज़दूरों/कर्मचारियों के सामूहिक हितों की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। यूरोप में ट्रेड यूनियन अक्सर नियोक्ता के साथ सामूहिक मोलभाव समझौतों पर बातचीत करते हैं जो कर्मचारियों के लाभ और काम करने की स्थितियों को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। सदस्यता के लिए आपसे मामूली सी फीस ली जाती है।

ट्रेड यूनियन का सदस्य क्यों बनें?

आपको निम्नलिखित लाभ होंगे:

- यदि आपको अपने कार्यस्थल पर कोई शिकायत या समस्या है तो सहयोग मांगें। ट्रेड यूनियन मज़दूरों/कर्मचारियों से संबंधित ज़रूरी मुद्दों, जैसे कम वेतन, काम की जगह पर भेदभाव और काम करने की असुरक्षित स्थितियों पर अभियान चलाते हैं।
- आपने अधिकारों के बारे में जानें और काम से जुड़े मुद्दों के बारे में जानकारी और सलाह ले सकते हैं।
- यूनियन की अतिरिक्त सदस्यता सेवाओं जैसे बीमा और छूट, वित्तीय सेवाओं एवं कानूनी परामर्श का लाभ उठाएं।
- अपने व्यावसायिक एवं पेशेवर योग्यता को निखारने के लिए प्रशिक्षण के अधिक मौके पाएं।

08 प्रस्थान की तैयारी

ध्यान रखें कि यूरोपीय यूनियन का प्रत्येक सदस्य देश अलग है लेकिन वे काम करने के एक जैसे विकल्प देते हैं। नीचे दिए जा रहे बिन्दु यात्रा की योजना बनाते समय कई मुद्दों के बारे में विचार करने में सहायता के लिए बनाए गए हैं।

सुविधाजनक और परेशानी मुक्त यात्रानुभव के लिए:

- अपनी निर्धारित उड़ान से कम–से–कम तीन घंटे पहले हवाईअड्डे पर पहुँचें।
- अपना और अपने सामान की सुरक्षा जांच करवाएं।
- हवाईअड्डे के टाइमटेबल में अपनी फ्लाइट ढूंढ़ें और एयरलाइन काउंटर पर चेक–इन करें।
- अपना बोर्डिंग पास और बैगेज क्लेब स्टब अपने पास रखें।
- वीज़ा दस्तावेजड आपके हैंड बैगेज में होना चाहिए, चेक–इन लगेज में नहीं।
- किसी से भी कोई पैकेट न लें, खासकर किसी भी अनजान से। यदि आपको किसी से कोई पार्सल लेना ही पड़े तो उस पार्सल में क्या है उसकी जांच कर लें। ऐसा न करने पर आपको अपने मेज़बान देश पहुँचने पर गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
- आव्रजन काउंटर पर अपने यात्रा दस्तावेज़ों को दिखाएं।
- प्रतीक्षालय या निर्धारित गेट संख्या पर जाएं।
- जब आपको बोर्डिंग करने को कहा जाए तब विमान की ओर प्रस्थान करें।
- सीमा–शुल्क नियमों के बारे में जानकारी रखें, जिसमें यह भी शामिल है कि आप भारत से कितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा ले जा सकते हैं। वर्ष 2025 में, विदेश में नौकरी करने वालों के लिए अनुमत राशि 5000 डॉलर थी। अधिक जानकारी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट देखें[37]।

37. https://www.rbi.org.in/commonman/english/scripts/FAQs.aspx?Id=829#q3

केस स्टडी – 5

मीरा विमान के प्रस्थान करने से तीन घंटे पहले हवाई अड्डे पहुँच जाती है और प्रस्थान टाइमटेबल पर देखती है कि उसका विमान सही समय पर उड़ान भरेगा। उसके पास एक सूटकेस है जिसका वज़न 20 किलोग्राम से कम है और छोटा शोल्डर बैग है। एयरलाइन डेस्क पर चेक–इन के लिए कतार में प्रतीक्षा करते समय, एक आदमी उससे अपना बैग अपने सामान में शामिल करने का अनुरोध करता है। वह कहता है कि वह अपना उक्त बैग अपने साथ नहीं ले जा सकता। वह बहुत ही विनम्रता के साथ ऐसा करने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसे पता है कि स्वास्थ्य, प्रशासनिक और सुरक्षा कारणों से यात्रा के पहले और यात्रा के दौरान किसी को भी अपने बैग नहीं बदलने चाहिए।

अपनी बारी आने पर, वह अपने दस्तावेज़ और टिकट दिखाती है। अपने सूटकेस की चेक–इन करने के बाद, वह अपना शोल्डर बैग लेती है और प्रस्थान क्षेत्र में चली जाती है। सुरक्षा जांच और आव्रजन के बाद, वह प्रस्थान हेतु डिपार्चर टाइमटेबल पर नज़र दौड़ाती है। इसमें इसे प्रस्थान हेतु गेट संख्या दिख जाता है। वह गेट पर जाती है और प्रस्थान की घोषणा की प्रतीक्षा करती है। मीरा अपना टिकट दिखाती है और यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश के लिए अपनी उड़ान भरती है। लैंड करने के बाद, वह आव्रजन प्रक्रिया से गुज़रती है, जहाँ वह सीमा पुलिस को अपना पासपोर्ट और वीज़ा दिखाती है, अपना सामान लेने बैगेज कक्ष में जाती है, वहाँ से अब वह अपना बैग ले सकती है और हवाईअड्डे से बाहर जा सकती है।

प्र. मीरा ने उस व्यक्ति का बैग लेने से इनकार क्यों कर दिया?

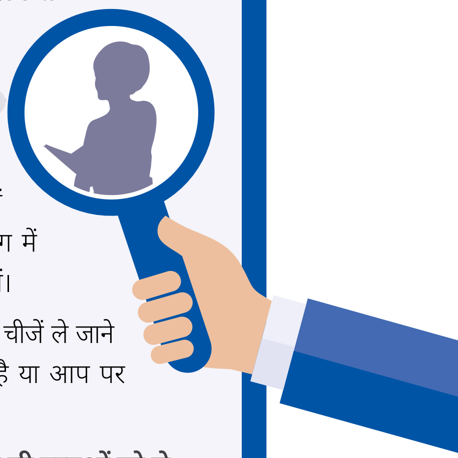

उ. वह उस व्यक्ति को नहीं पहचानती थी और उसने खुद नहीं देखा था कि उसके बैग में क्या था और उसे यह भी नहीं पता था कि उस व्यक्ति के बैग में कोई गैर–कानूनी चीज़ है या नहीं।

उ. यूरोपीय यूनियन में गैर–कानूनी चीजें ले जाने पर जुर्माना लगाया जा सका है या आप पर मुकदमा किया जा सकता है।

प्र. क्या आपको पता है कि कौन सी वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध है?

उ. बिना पर्ची की दवाएं

उ. विलुप्तप्राय प्रजातियों के जीव

उ. खतरनाक रसायन

उ. नकली या चोरी के सामान

उ. पशु उत्पाद, भोजन या पौधे

उ. हथियार

8.1 ईयू (EU) में पहुँचना

जब आप हवाईअड्डे पर उतरते हैं और सीमा–शुल्क विभाग से गुज़रते हैं तो आमतौर पर तीन कतारें होती हैं:

- ईयू (EU) के नागरिक जिन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं देनी होती
- ईयू (EU) के नागरिक जिन्हें अपने पास की कुछ वस्तुओं के बारे में बताना होता है
- ईयू (EU) के बाहर के देशों के नागरिक

आपको किसी भी समय जांच के लिए अपना सामान खोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें यूरोप से आयात या निर्यात करने पर प्रतिबंध है या पूरी तरह से मनाही है। हथियार, दवा, जानवरों एवं खाने–पीने की चीज़ों पर सख्त नियम लागू होते हैं। नशीली दवाओं और पदार्थों का आयात या निर्यात करना मना है। भले ही यूरोपीय यूनियन के कुछ देशों में व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए थोड़ी मात्रा में नशीली दवाओं को ले जाने की इज़ाजत हो लेकिन उनका आयात या निर्यात करना मना है।

आपके आगमन संबंधी कुछ उपयोगी टिप्स

भारत से निकलते समय अपने गंतव्य का मानचित्र और अपने रहने की जगह तक पहुँचने के लिए परिवहन साधनों का मैप अपने साथ ले जाएं। आमतौर पर सभी यूरोपीय देशों में हवाईअड्डे से शहर तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। अपने आने से पहले इसका पता लगा लें, इससे आपके गैर–ज़रूरी खर्चे बच सकते हैं।

अपने दस्तावेज़ों के प्रमाणित अनूदित प्रतियां साथ रखें। जाने से पहले इस जानकारी के लिए भारत में गंतव्य देश के दूतावास से जानकारी लें।

आपसे आशा की जाती है कि गंतव्य देश में पहुँचने के बाद जितनी जल्द हो सके आप अपना बैंक खाता खुलवा लें, खासकर तब जब आप वेतनभोगी हों। गंतव्य देश में पहुँचने के बाद ये काम जल्द– से– जल्द करवा लें।

कई देशों में आपसे स्थानीय नगरपालिका में पंजीकरण कराने और आईडी, स्वास्थ्य एवं दूसरे ज़रूरी पंजीकरण वगैरह करवा लेने की भी उम्मीद रखी जाएगी। सुनिश्चित करें कि आप ये सारे काम जल्द– से– जल्द पूरा कर लें।

8.2 भारत वापसी

जब आप प्रवासी बनने की तैयारी कर रहे हों तो अपनी वापसी और फिर से अपने देश के माहौल में तालमेल बैठाने की योजना बनाना भी ज़रूरी है। यहां कुछ उपयोगी टिप्स दिए जा रहे हैं।

यहां आपको कुछ उपयोगी टिप्स दिए जा रहे हैं।

- अपने देश लौटने पर यह समझ लें कि फिर से तालमेल बैठाने में कुछ समय लग सकता है इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा। फिर से तालमेल बैठाने की प्रक्रिया में कई महीनों का समय लग सकता है क्योंकि आप अपने रिश्ते फिर से बनाते हैं और तय करते हैं कि आपकी ऊर्जा और संसाधन कहाँ खर्च होने हैं।
- अपने खर्चों पर नज़र रखें। अपनी वापसी की खुशी में रेस्त्रां में खाना खिलाना या तोहफे बांटने का मन कर सकता है लेकिन यह ज़रूरी है कि आप अपने बजट में रहें और भविष्य के लिए बचत करते रहें। वापस आने पर जल्दबाज़ी में खर्च न करें और अपनी बचत खत्म न करें।
- अपने पैसे का प्रभावी प्रबंधन करना सीखें और अपने लिए एक "बलात– बचत (फोर्स्ड-सेविंग)" कार्यक्रम बनाएं। इस प्रक्रिया में आपकी मदद करने के लिए कई ऐप्स उपलब्ध हैं।
- ज़रूरत के हिसाब से भविष्य की योजनाओं, सपनों और उम्मीदों पर फिर से विचार करें।
- अपने परिवार के लोगों और दोस्तों के संपर्क में रहें।

अनुलग्नक I

▶ महत्वपूर्ण संपर्क

आप यहाँ: https://www.mea.gov.in/indian-missions-abroad-new.htm. मैप पर क्लिक कर दुनिया के सभी देशों में भारत के सभी मिशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

••आपातकालीन वाणिज्य दूतावास सहायता हेतु आप संबंधित स्थानीय भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास से (फोन या ईमेल के ज़रिए) संपर्क कर सकते हैं। सभी भारतीय दूतावासों या वाणिज्य दूतावासों की संपर्क जानकारी इस लिंक: https://www.mea.gov.in/ indian-missions-abroad-new.htm पर उपलब्ध है।

••आप जिस देश में जा रहे हैं, वहां के दूतावास में पंजीकरण कराएं।

••यदि आप किन्हीं कारणों से भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो विदेश मंत्रालय के सीपीवी (CPV) संभाग के वाणिज्य दूतावास विभाग http://www.mea.gov.in/cpv.html से संपर्क किया जा सकता है।

••यदि आप मिली हुई कांसुली सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं तो आप मदद (MADAD) पर इससे संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं: http://madad.gov.in (या मदद (MADAD) मोबाइल एप या हेल्पलाइन नं. 1800-11-3090 (टोल फ्री); (011-26885021 (अंतरराष्ट्रीय))।

••एजेंट्स के बारे में जानकारी के लिए, पीओई/पीजीई (POE/PGE) से संपर्क करें। पीओई (POE) के बारे में जानकारी निम्नलिखित https://mea.gov.in/protector-general-emigrants.htm लिंक पर उपलब्ध है ।

••वीज़ा के बारे में जानकारी के लिए, यूरोपीय यूनियन के अलग–अलग देशों से संपर्क करें (अनुलग्नक 2 देखें, भारत में उनके मिशन के लिंक दिए गए हैं)।

अनुलग्नक II

भारत में यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों के मिशन

ऑस्ट्रिया	http://www.bmeia.gv.at/en/embassy/new-delhi.html
बेल्ज़ियम	https://india.diplomatie.belgium.be/en
बुल्गारिया	https://www.mfa.bg/en/embassies/india
क्रोएशिया	https://mvep.gov.hr/in/en
साइप्रस	https://www.gov.cy/mfa-highcomnewdelhi/en/
चेक गणराज्य	http://www.mzv.cz/newdelhi/en/index.html
डेनमार्क	https://indien.um.dk/en
एस्टोनिया	https://newdelhi.mfa.ee/
फ्रांस	https://in.ambafrance.org/
फिनलैंड	https://finlandabroad.fi/web/ind/frontpage
जर्मनी	http://www.india.diplo.de/
ग्रीस	https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/india-en
हंगरी	https://delhi.mfa.gov.hu/eng
आयरलैंड	https://www.dfa.ie/irish-embassy/india/
इटली	https://ambnewdelhi.esteri.it/ambasciata_newdelhi/en/
लातविया	https://www2.mfa.gov.lv/en/newdelhi
लिथुआनिया	https://in.mfa.lt/en
लक्ज़मबर्ग	http://newdelhi.mae.lu/en
माल्टा	https://foreignandeu.gov.mt/en/Embassies/Hc_New_Delhi/Pages/ HC_New_Delhi.aspx
नीदरलैंड्स	https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/india
पोलैंड	https://www.gov.pl/web/india
पुर्तगाल	https://novadeli.embaixadaportugal.mne.gov.pt/en/
रोमानिया	https://newdelhi.mae.ro/en
स्लोवेनिया	http://newdelhi.embassy.si/index.php?id=37&L=1
स्लोवाकिया	https://www.mzv.sk/web/dilli-en
स्पेन	https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/nuevadelhi/en/Paginas/index.aspx
स्वीडन	https://www.swedenabroad.se/en/embassies/india-new-delhi/

ILO Decent Work Team for South Asia and Country Office for India

India Habitat Centre, Core 4B, 3rd Floor
Lodhi Road, New Delhi 110003, India

टेलीफ़ोन: +91 11 47509200

ईमेल: delhi@ilo.org | www.ilo.org/india

ICMPD Brussels Mission

Pl. du Champ de Mars,1050 Brussels

ईमेल: euindia@icmpd.org

वेबसाइट: www.icmpd.org/euindia

#EUIndiaCAMM

Indian Council of World Affairs

Sapru House, Barakhamba Road
New Delhi 110001

टेलीफ़ोन: +91 11 2331 72 46

वेबसाइट: www.icwa.in

Funded by the European Union

International Labour Organization

ICMPD International Centre for Migration Policy Development

Indian Council of World Affairs